प्राक्कथन

अदालतमें काम करनेवाले भाइयोंको बहुत तरहके मसविदोंकी प्रायः आवश्यकता रहा करती है। हिन्दी पढ़े लिखे सज्जनोंको, अङ्गरेजी या उर्दूमें छपे मसविदोंसे नितान्त अज्ञान रहनेके कारण बड़ी असुविधा होती है। हमारे पास बहुतेरे भाइयोंने पत्र भेजकर हिन्दीमें मसविदोंके छापनेके लिये आग्रह की एवं हमने हिन्दीके गौरव तथा भाइयोंके लाभके लिये, यह ग्रन्थ, अर्जीदावों, जवाबदावों, अर्जियों, नोटिसों, दस्तावेज़ों आदिके अनेक मसविदों, तथा आवश्यक क़ानूनों, व हाईकोर्ट रूल्स आदि छापकर, प्रकाशित किया है। हमें विश्वास है कि अदालती काम करनेवालोंको इसके द्वारा काफी सहायता मिलेगी। मुहर्रिरोंके लिये भी यह ग्रन्थ बड़ा ही उपकारी सिद्ध होगा। इस गून्थमें ज़ाबता दीवानी और अन्य जगहोंसे नमूने संगूह किये गये हैं। कुछ नमूने तो ऐसे हैं जिनके लिये हज़ारों रुपया खर्च होगये हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे भाइयों को इस गून्थसे लाभ पहुँचेगा।

ता० १ मार्च सन १९२७ ई०

निवेदक

चन्द्रशेखर शुक्ल

प्लीडिङ्ग्स्, अर्जियों और दस्तावेजों आदिके नमूने

—:o—

अनुक्रमणिका

अर्ज़ीदावा और बयान तहरीरी

ज़रूरी ज़रूरी अर्ज़ियोंके नमूने

कोर्टफीस ऐक्ट
नं० ७ सन १८७० ई०

——:०:——

सिविल जनरल रूल्स
३१ जनवरी सन् १९२७ ई०
नकलोंकी फीसें

तलबाना आदिकी फीसें

दस्तावेजों पर स्टाम्प
इन्डियन स्टाम्प ऐक्ट नं० २ सन १८९९ ई०

इति।

सूचना

इस भागमें जहां पेजोंके देखनेका हवाला दिया गया है उससे हिन्दीमें छपे जाबता दीवानीके पेजोंके देखनेका तात्पर्य समझना चाहिये।

भाग ३

प्लीडिंगस्, अर्जियों और दस्तावेजों आदिके नमूने

प्लीडिङ्गसके लिये देखिये पेज ९

अर्जीदावा और बयान तहरीरी

१ आम अर्जीदावा

अर्जीदावा नीचे लिखे अनुसार लिखा जाना चाहिए और उसमें नीचे लिखी बातें लिखनी चाहिए —

कागज के सिर्फ एक ही ओर और करीब २ इंच का हाशिया कागज के बाए ओर छोड़ कर (अंगरेजी व हिन्दी में) लिखना चाहिए। उर्दू के लिए इसी तरह पर दाहिने ओर हाशिया छोड़ना चाहिए। ऊपर नीचे करीब एक एक इंच जगह छोड़ देनी चाहिए।

(क) [नाम उस अदालतका जिसमे नालिश दायर की गई हो]
जैसे—ब अदालत श्रीमान् (जनाब) सब-जज साहब बहादुर, कानपुर ।
[मुकद्दमेका रजिस्टरमे लिखे जाने वाले नम्बर और सन्के लिए जगह छोड़ दी जानी चाहिये]

जैसे—नकद रुपयेकी नालिश नं० १३२५ सन् १९२७ ई०

(ख) [मुद्दईका नाम उमर वल्दियत व पेशा और सकूनत वगैरा]
जैसे—सालिकराम उमर अन्दाजन ४० साल वल्द सीताराम क़ौम ब्राम्हण पेशा जमीन्दारी व महाजनी । साकिन मौजा वैकुण्ठपुर परगना व थाना यमपुर जिला शांतिपुर ।

बनाम

(ग) [मुद्दाअलेहका नाम उमर वल्दियत व पेशा और सकूनत वगैरा]
जैसे—चूड़ामनि उमर अन्दाजन ४० साल वल्द थुरई कौम चमार पेशा काश्तकारी साकिन मौजा दशमापुर थाना चौवेपुर जिला कानपुर।

(घ) [जब मुद्दई या मुद्दाअलेह नाबालिग या पागल हो तो यहां पर वे सब बातें लिख दी जानी चाहिए]

(ङ) [नालिशकी तफसील और दावाकी मालियत]
जैसे—दावा बाबत दिलापाने मुबलिग ८५०) जो नक्द कर्ज कर दिये गए थे ।

(च) [वे बाते जिनसे कि बिनाय मुखासमत दावा पैदा हो और यह कि वह कब पैदा हुई]

नोट—ऊपर बतलाए अनुसार फ़रीकैन मुकद्दमाका नाम,उमर वल्दियत,सकूनत और पेशा इत्यादि लिख चुकनेके बाद मुकद्दमेकी दूसरी बाते शुरू करना चाहिए । जिन बातोंके आधार पर मुद्दई अपना दावा पेशकरता है, वह शहादत जो कि वह अपने दावाकी ताईदमें पेश करना चाहता है । वे सब बातें सक्षेपमें अलग अलग पैरा डाल कर लिखना चाहिये उनपर सिलसिलेका नम्बर डाला जाना चाहिए और तारीखें, रुपयेकी संख्या (तादाद) और नम्बर सब अक्षरों (हिन्दुसों) मे लिखी जाना चाहिए ।

जैसे—उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है —

१ यह कि तारीख ३० जून सन् १९२७ ई० को मुद्दईने मुद्दाअलेहको मुबलिग ५०) रु० २४) सैकड़ा सालाना व्याजकी दर पर कर्ज दिए जिसको मुद्दाअलेहने तारीख २९ जून सन् १९२८ ई० को या उससे पहिले अदा कर देनेका वादा किया था । मुद्दाअलेहने इस रकमकी निस्वत एक बाक़ायदा तमस्सुक मुद्दईके हकमें लिख दिया था और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री भी करा दी थी । वह तमस्सुक इस अर्जीदावाके साथ नत्थी है ।

२ यह कि मुद्दाअलेहने मुद्दईको मुबलिग ७५) रु० बाबत ब्याजके तारीख़ २१ नवम्बर सन १९२७ को अदा किए जिसकी वसूली मुद्दाअलेहने स्वय उस तमस्सुककी पीठ पर लिख दी।

३ इस रुपयाको वसूल देनेके बाद भी मुबलिग ''' ') रु० की रकम मुद्दईको मुद्दाअलेहसे अब भी मिलना बाकी है लेकिन मुद्दाअलेहने वह रकम अभी तक अदा नहीं की, यद्यपि बार बार उससे इसके लिए कहा गया।

(छ) [वे बातें, जिनसे यह मालूम होता हो कि अदालतको इस मामले की समाअत करनेका अधिकार है]

४ मुद्दईकी इस नालिशके दायर करनेकी बिनाय मुखासमत तारीख़ २९ जून सन १९२८ ई० को मौजा हसनापुरमे पैदा हुई जो मौज़ा कि इस अदालतके अधिकार-क्षेत्र (अख्त्यार समाअत) में है।

(ज) [वह दादरसी जिसके लिए मुद्दई दावेदार है]

५ मुद्दईका दावा है—

(१) कि मुद्दाअलेहके ऊपर ''''''''''') रु० की डिकरी मय ब्याज व असल, रुपयेके उस ब्याजकी दर पर, जो अदालत उचित समझे इस नालिशकी तारीखसे डिकरीकी तारीख़ तक और इस कुल रुपये पर, रुपया वसूल हो जानेकी तारीख़ तक उस ब्याजकी दर पर, जो अदालत उचित समझे दे दी जाय।

(२) यह कि मुद्दाअलेहको यह हुक्म दिया जाय कि वह मुद्दईको इस मुकद्दमेमे होनेवाला खर्चा और उसके वसूल होने तक ६) रु० सैकड़ा सालानाकी दरसे ब्याज (सुद) अदा करे।

(ज) [जब मुद्दईने कुछ छूट दी हो या अपने दावाका कुछ हिस्सा छोड़ दिया हो तो उस रकमकी तादाद लिख देनी चाहिए],

(झ) [अख्त्यार समाअत और कोर्ट फ़ीसकी रकम तय करनेके लिए यहां पर दावाकी मालियत लिख देनी चाहिए]

६ अख्त्यार समाअतके लिये इस नालिशके दावाकी मालियत'''''')रु० है और इसी रकम पर कोर्ट-फ़ीस लगाया गया है।

(ञ) [तस्दीक़ और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

नोट—अर्जीदावाके तैयार करनेके पहले देखो पेज ९ से ३६ तक।

आम जवाबें दावा या बयान तहरीरी

उनवान (शीर्षक) मुकद्दमा [देखो अर्जी दावा न० १]

इन्कारी मुद्दाअलेह इस बातसे इकार करता है कि (यहा पर उन बातोंको लिखना चाहिये जिनसे इंकारीकी जाती है)

मुद्दाअलेह इस बात को स्वीकार नहीं करता कि (यहाँ पर वे बातें लिखनी चाहिए) ।

मुद्दाअलेह इकबाल करता है.......... ...लेकिन उसका कहना है कि—

विरोध — मुद्दाअलेह इस बात से इन्कार करता है कि उसने उक्त इकरारनामा या कोई इकरार मुद्दई के साथ किया ।

मुद्दाअलेह इस बात से इन्कार करता है कि उसने मुद्दई के साथ अमुक इकरार (मुआहिदा) किया या किसी तरह का कोई भी मुआहिदा किया ।

मुद्दाअलेह को वसूली जायदाद से इकबाल है लेकिन वह मुद्दई के दावा को नहीं मानता ।

मुद्दाअलेह इन्कार करता है कि उसने मुद्दई के हाथ यह माल बेचा जिसका ज़िक्र अर्जीदावा में किया गया है या उसमें से कोई भी माल उसके हाथ बेचा है ।

मीयादसमाअत — भारतीय कानून मियाद सन् १९०८ ई० के परिशिष्ट (२) की आर्टि० ....से या आर्टि०.. ......से इस नालिश की तमादीआरिज़ होती है ।

अख्त्यार समाअत — अदालत को इस वजह से (यहां पर वजह लिखनी चहिये) इस मुकद्दमें की समाअत करने का अख्तयार नहीं है ॥

तारीख..... ...माह.........सन्...... ...ई को मुद्दा अलेह ने एक हीरे की अंगूठी मुद्दई को दी और मुद्दई ने अपने दावा की बेबाकी मे उसे स्वीकार कर लिया ।

दीवाला — मुद्दाअलेह दीवालिया करार दे दिया गया है मुद्दई इस नालिशके दायर होने के पहिले दीवालिया करार दे दिया गया था और इसलिये नालिश करने का हक रिसीवर को था ।

नाबालिग — उक्त मुआहिदा करते समय मुद्दाअलेह नाबालिग था ।

अदालतमेंअदा किया गया — मुद्दाअलेह ने कुल दावा के बाबत (या मुबलिग.....) रुपया की बाबत जो कि दावा का एक हिस्सा है या जैसी कुछ भी अवस्था हो ... ...) रु० अदालत में दाखिल करदिए हैं और उसका यह निवेदन है कि इस रुपयेसे मुद्दईके दावा की (या उसके उक्त अश की) बेबाकी हो जाती है

तामीलमुआहिदासे दस्तबर्दारी — उक्त मुआहिदे की तामील से तारीख ... ... को दस्तबर्दारी की गई है

मुआहिदाकी मसख़ी मुद्दई और मुद्दाअलेहके बीच, हुए इक़रारनामाके अनुसार मुआहिदा तारीख़ को मसूख़ किया गया।

प्राङ्न्याय Resjudiata — अमुक डिकरीके कारण मुद्दई का दावा दायर नही हो सकता (यहा पर हवाला देना चाहिए)।

रुकावट Estoppel — मुद्दई इस बातसे इनकार नही कर सकता (यहां पर वे बातें लिखना चाहिए जिनकी विनापर रुकावट पेश कीगई है) क्योंकि ...... (यहा पर वे बाते लिखनी चाहिये जिनके आधार पर रुकावट Estoppel का प्रश्न उठाया गया है)।

नालिश होने के बाद बचावमें पेश की जानेवाली बातें — चूंकि नालिश दायर होने के बाद से, अर्थात तारीख़ ... .. माह ... सन् .. . ई० से (यहां पर उन बातोंको लिखना चाहिए जो बाद दायर होने नालिश के हुई)।

नोट—बयान तहरीरीका मसविदा तैयार करते समय आर्डर ६ के नियमों को हमेशा ध्यानमे रखना चाहिये। आर्डर ८ मे बतलाये हुये नियमोंको ध्यान पूर्वक पढ जाना चाहिये। बयान तहरीरीके लिये देखो पेज ६४

ज़ाबता दीवानीके जमीमा न० (ए) मे हर प्रकारकी नालिशोंमे दाख़िल किये जाने वाले अर्जीदावा और तहरीरी बयानोंके नमूने बतलाये गये है और आर्डर ६ रूल ४ मे यह बतलाया गया है कि उन अवस्थाओंमे जहा पर उनका प्रयोग होता है और उन अवस्थाओमे भी जहां पर कोई उपयुक्त कार्यका नमूना न हो, जहां तक सम्भव होगा प्लीडिङ्गस के लिये इन्ही नमूनों को काम मे लाया जायगा।

---

२ नालिश बाबत बक़ाया लगान

बअदालत जनाब मुन्सिफ़ साहब बहादुर बिसवां जिला सीतापुर मु० सीतापुर
नालिश बाबत लगान। नम्बरी १२७९ सन् १९२६ ई०

प० मनीराम उमर ४५ साल वल्द टीकाराम क़ौम ब्राह्मण पेशा जमीदारी साकिन मौजा सरैया थाना कमालपुर जिला सीतापुर... .. मुद्दई

बनाम

प० हरीनाथ उमर ६० साल वल्द मगलदत्त क़ौम ब्राह्मण पेशा काश्तकारी साकिन मौजा पतारा थाना कमालपुर जिला सीतापुर ... मुद्दाअलेह

दावा दिलापाने मुबलिग .... ' रु० बाबत बक़ाया लगान।

मुद्दई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है —

१ यह कि मुद्दई मौजा पताराका जमीन्दार है जो इस अदालतके अधिकार-क्षेत्र (हद अख़्तयार समाअत) मे वाक़ै है और वह उस मौजेका दख़ीलकार क़ब्जेदार है और असामियोंसे लगान वगैरा की तहसील वसूल करता है।

२ यह कि मुद्दाअलेह, मुद्दईकी ···· ··आराज़ी का, जो उक्त मौज़ेमे वाकै है, ··· ···· ···रु० सालाना लगान पर, जो हर साल चार बराबर किस्तोंमे वाजिबुल-अदा है जोतिया है।

उक्त जोत की चौहद्दी परिशिष्ट (ब) में बतलाई गई है जो इस अर्ज़ीदावा के साथ नत्थी हैं।

३ यहकि मुद्दईको उक्त जमाकी जमाबन्दी पर क़ानूनके अनुसार······आना फी रुपया के हिसाबसे अबवाब (महसूल) की तहसील करनेका अधिकार है।

४ यह कि उक्त जमाकी जमाबन्दी, अबवाबके हिसाबका नक़शा अर्जीदावाके परिशिष्ट (अ) में दिया गया है ।

५ यह कि मुद्दाअलेहने अदा कर सकनेके क़ाबिल होते हुए और बिना किसी मुनासिब वजहके होते हुये भी लगान और अबवाब की बक़ाया अदा नही की है जैसा कि परिशिष्ट (अ) में बतलाया गया है, यद्यपि मुद्दईने उससे बार बार यह रुपया तलब किया।

६ यह कि ऊपर बतलाये कारणों से मुद्दई बक़ाया रुपये के अलावा उस बक़ायाका २५ फीसदी बतौर हर्जाके दिला पानेका हक़दार है।

७ यह कि उसके दावा की बिनाय मुख़ासमत उक्त मौजा पतारा में, जो इस अदालतके अधिकार-क्षेत्र (हद अख़्यार समाअत) में है, हर साल की हर एक क़िस्त की मियाद गुज़र जानेके बाद पैदा हुई है।

८ अख़्यार समाअत तय करनेके लिए इस नालिशकी मालियत दावा ३७॥) ········रु० है और कोर्ट-फीसके लिए भी यही मालियत है।

९ मुद्दईका दावा है कि मुद्दाअलेहके ऊपर ··· ··· ··· रु० की जिसमे अबवाब और हर्जानाकी रक़म शामिल है, मय व्याज ··· ··· रु० सैकड़ा सालाना रुपएकी वसूलयाबी हो जाने तक और मय खर्चा इस नालिशके डिकरी दीजाय।

परिशिष्ट (अ)

हिसाब

	लगान	अबवाब	वसूल	बक़ाया
सन् १३२८ फसली	८) रु०	।) आना	३) रु०	५।) रु०
सन् १३२९ "	८) रु०	।) आना		८।) रु०
सन् १३३० "	८) रु०	।) आना		८।) रु०
सन् १३३१ "	८) रु०	।) आना		८।) रु०
				३०) रु०
			हर्जा	७॥) रु०
			दावाकी रक़म	३७॥) रु०

परिशिष्ट (ब)

आराज़ीकी चौहद्दी और तफसील

[जबकि आराजी किसी ऐसे रकबेमें वाक़े हो जिसकी खेवट तैयार होगई हो और वह प्रकाशित होगई हो तो जोतका नम्बर, सिलसिला सर्वेके खेतोंकी फेहरिश्त, वग़ैरा भी देना चाहिए]

मै उक्त मनीराम मुद्दई सच सच यह तस्दीक़ इज़हार करता हूँ कि अर्जीदावाके पैरा १, २, ३, ४, ५ में लिखी हुई बातोंको मै खुद जानता हूँ कि वे सही है और बाकी पैराग्राफोंमे लिखी हुई बातें मेरी इत्तला और यकीन के ऊपर लिखी गई है और मुझे उनकेभी सही होनेका यकीन है आज तारीख़ ... माह ' सन् '' ' ई० को बवक्त . बजे दिनके (अपने मकान) पर इस तस्दीक़के ऊपर दस्तख़त करता हूँ। दस्तखत और तस्दीक़के लिए देखो पेज १३।१४

मनीराम
(दस्तख़त मुद्दई)

उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

बअदालत जनाब मुंसिफ़ साहब बहादुर बिसवां जिला व मुक़ाम सीतापुर
(उनवान मुक़द्दमा)

नालिश बक़ाया लगान नं० १२७९ सन् १९२६ ई०

उपरोक्त नालिशमें मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है:—

१ यह कि मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने के लिये कोई कारण व हक़ नही है।

२ यह कि फरीक़ैनके बीच जमीदार और असामीका कोई रिश्ता नही है, और यह कि वह इस बातसे इनकार करता है कि वह मुद्दईकी ' ..... रु० जमा की जमीन जोते है या कभी जोते रहा है।

३ यह कि नालिश मय खर्चे के खारिज होनी चाहिए और खर्चा दिलाया जाना चाहिए।

तस्दीक़ (देखो पेज १३।१४)

[दस्तखत मुद्दाअलेह]

(या आवश्यकतानुसार नीचे लिखी बाते जवाबदावामे पेशकी जा सकती है।

१ यहकि अर्ज़ीदावाके पैरा ···में बतलाई गई बातोंसे मुद्दाअलेह इन्कार करता है और मुद्दईसे उनका सुबूत तलब करता है और यहांके और तमाम दूसरी बातों की निस्बत जो कही गई हैं और जिनकी निस्बत इसके आगे खास तौर पर इन्कार नहीं कीगई है, यह समझना चाहिए कि वे इक़बाल नहीं कीगई हैं।

२ यह कि जो जोत उसके क़ब्ज़ेमे है वह मुक़र्ररी जोत है और वह खतियान नं० ···· में बतौर मुक़र्ररी जोतके दर्ज है और वह सरसरी रैय्यती जोत नहीं है जैसा कि अर्ज़ीदावा मे बतलाया गया है।

३ यह कि उसकी जोतका लगान जमाबन्दी में···· · ··· रु० है, जैसा कि ऊपर बतलाए हुए खतियानमे दर्ज है,· · ·· · रु० नहीं जैसा कि अर्ज़ीदावामें बतलाया गया है।

४ यह कि मुद्दई अदम तामीलके ऊपर अवध रेण्ट ऐक्ट की दफ़ा ·········के अनुसार बज़रिये नालिश, लगान वसूल पानेका हक़दार नहीं है।

५ यह कि ···· ·····उस जोतके शरीकदार, काश्तकार हैं और मुद्दाअलेहके साथ साथ वे लोग भी उस आराज़ी पर क़ाबिज हैं और इसलिए बिना उनको फ़रीक़ मुक़द्दमा बनाए, नालिश क़ाबिल समाअत नहीं है।

६ यह कि··· ··· ···रु० के लगानमें अबवाबकी रक़म भी शामिल है और इसलिये अलगसे अबवाब अदा न होना चाहिए।

७ यह कि मुद्दाअलेह ऊपर बतलाई दर (शरह) पर लगान अदा करने के लिए हमेशा तैयार था और अब भी तैयार है, लेकिन मुद्दईके गुमाश्ता ··· ···— ने उस समय तक लगान लेनेसे इन्कार कर दिया जब तक कि मुद्दाअलेह ग़ैर क़ानूनी इज़ाफ़ा लगानके लिए राज़ी न हो जाय।

८ यह कि मुद्दाअलेह ने उक्त आराज़ीका लगान तारीख़ ······ को ········ के सामने पेश किया और उसे लगानके मनीआर्डरसे भी भेजा जो बिना किसी उचित कारणके वापस आया और यह कि ऐसी दशामें मुद्दई किसी हर्जा या मुक़द्दमेका ख़र्चा दिलापानेका हक़दार नहीं है।

---

२ नालिश बाबत तमस्सुक सादा

[अदालत और फ़रीक़ैन वग़ैराका हवाला ऊपर बतलाए अर्ज़ीदावा नं० १ की तरह पर ही लिखना चाहिए]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ यह कि तारीख़ १२ मार्च सन् १९१४ ई० को मुद्दईने २००) रु० मुद्दाअलेह को १८) रु० सैंकड़ा सालाना ब्याजकी दर पर क़र्ज़ दिए मुद्दाअलेह ने बाक़ायदा तौर पर एक तमस्सुक मुद्दईके हक़में तहरीर कर दिया जिसकी रजिस्ट्री भी होगई। उक्त तमस्सुक इस अर्ज़ीदावाके साथ नत्थी है।

२ यह कि सिवाय १०) रु० के जो तारीख़ ११ जनवरी सन् १९१४ ई० को ब्याजकी मदमें अदा किए गए थे, मुद्दाअलेह ने क़र्ज़े का रुपया अदा नहीं किया है।

३ यह कि उपरोक्त तमस्सुक की बाबत ... ...) रु०, बाद मिनहाई उस ऊपर बतलाई रक़मके जो ब्याज की निस्बत अदा कीगई है, मुद्दईको मुद्दा-अलेह से अब भी वाजिबुल वसूल है, जिसका हिसाब नीचे दिया जाता है, और यह कि बार-बार तलब किए जाने पर भी मुद्दाअलेहने वह बाकी का रुपया अदा नहीं किया है।

४ मुद्दईकी इस नालिशकी बिनाय मुखासमत तारीख़ १ मार्च सन् १९१५ ई० को मुक़ाम ... ... मे, जो कि इस अदालतके अधिकार-क्षेत्र (हद्द अख़्तयार समाअत) मे है, मुद्दाअलेहके उक्त तमस्सुककी बाबत वाजिब रुपए के अदा न कर सकने पर पैदा हुई।

५ इस नालिशकी मालियत दावा, अधिकार-क्षेत्र (अख़्तयार समाअत) के अन्दर ... ... रु० है और कोर्ट-फीस भी इसी रक़म पर लगाया गया है।

६ मुद्दई प्रार्थी है—

(अ) कि मुद्दाअलेहके ऊपर ... ... रु० की मय ब्याज बशरह ६) रु० सैकड़ा सालाना, नालिश होनेकी तारीखसे रुपया वसूल होजाने की तारीख़ तक, डिकरी दीजाय। और

(ब) यह कि मुद्दाअलेह के ऊपर इस नालिशके खर्चे की डिकरी दी जाय, और

(स) दूसरी ऐसी दादरसी दिलाई जाय जिसे अदालत मुनासिब समझे।

हिसाब—

(तस्दीक़ और दस्तख़त अर्जीदावा न० १ में बतलाए अनुसार)

उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

अदालत और फरीक़ैन वगैराका हवाला ऊपर बतलाए अर्जीदावा नं० १ की तरह पर दिया जाना चाहिए।

मुद्दाअलेह ऊपर बतलाई हुई नालिशके सम्बन्धमें नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है—

१ यह कि मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई कारण व हक़ नहीं है।

२ यह कि मुद्दई ने जो हिसाब बतलाया है वह सही सही नहीं है और उसने उस रक़मके अलावा जिसका अदा किया जाना अर्जीदावामें स्वीकार किया गया है नीचे लिखी रक़मे जो अदा की है मुजरा नहीं दी है (यहां पर अदा किये गये रुपए क तादाद और उसकी अदायगीकी तारीखें लिखो)

३ यह कि मुद्दाअलेह ········ रु० की रकम, बाबत कीमत उस मालके जो बेचा गया और मुद्दईके हवाले किया गया है, मुजरा पानेका हक़दार है (यहां पर वे सब बातें लिखनी चाहिये)

४ यह कि कुल रुपएकी बाबत (या ' ········ रुपएकी बाबत, जो कि दावाकी रकमका एक हिस्सा है) मुद्दाअलेहने नालिश दायर होनेके पहिले ········ रु० अदा करने के लिए पेश किये थे और उसने वह रकम अदालतमें दाखिल करदी है।

या

५ यह कि मुद्दाअलेहने कोई भी रुपया बाबत व्याजके अदा नही किया और न उसकी बेबाकी तमस्सुककी पीठ पर लिखवाई जैसा कि अर्जीदावामें बतलाया गया है और कानून मियादके आर्टि० ········ के अनुसार इस नालिशकी तमादी आरिज़ होगई है।

या

६ यह कि मुद्दाअलेहको इस बातसे इन्कार है कि उसने ··· ······ रु० की रकम कर्ज़ ली और उसके लिये तमस्सुक लिखा, जैसा कि बतलाया जाता है ।

७ यह कि मुद्दाअलेहका विश्वास है कि मुद्दईने ··· · · · के भड़काने पर, जिससे मुद्दाअलेहकी अदावत है (यहां पर अदावत पैदा होनेका कारण इत्यादि लिखना चाहिये) एक जाली तमस्सुकके ऊपर यह नालिशकी है।

८ यह कि नालिश मयखर्चेके खारिजकी जाय और खर्चा दिलाया जाय।

(तस्दीक़ और दस्तखत)

[देखो पेज १३।१४]

---

४ नालिश बाबत रुक्का (प्रोनोट)

[अदालत और फरीकैन मुकद्दमाका हवाला अर्जीदावा नं० १ मे बतलाये अनुसार]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है:—

१ यह कि मुद्दाअलेहने तारीख १ जनवरी सन् १९२७ ई० को एक रुक्का बाबत २५०) रु० के मुद्दईके हकमें लिख दिया और रुपयेके वसूल न हो जाने तक असल रुपये पर १२) रु० सैकड़ा सालानाके हिसाबसे व्याज देनेका इकरार किया। मुद्दाअलेहने यह भी इकरार किया कि वह तलब किये जाने पर कुल असलका रुपया मय व्याजके अदा कर देगा। रुक्का इस अर्जीदावाके साथ नत्थी है।

२ यह कि " ······ रु० की रकम, जो इस अर्जीदावाके परिशिष्ट (अ) में बतलाई गई है, मुद्दई को मुद्दाअलेहसे वाजिबुल वसूल है।

३ यह कि रुपया अदा कर सकनेकी सामर्थ्य रखते हुये भी मुद्दाअलेहने जो रुपया उसे वजिबुल अदा है अदा नही किया, यद्यपि मुद्दईने इसके लिए बार-बार तकाज़ा किया।

४ इस नालिशकी विनाय मुखासमत तारीख़ · ··· (जिस तारीखको रुक्का लिखा गया था) और उसके बादकी तारीखोंको, जिस समयकि मुद्दाअलेह रुपया अदा करनेसे इनकार कर दिया, बमुकाम · ·· जो कि इस अदालतके अधिकार-क्षेत्र (हद अख्तियार समाअत) मे है, पैदा हुई।

५ [जैसा कि अर्जीदावा न० १ में बतलाया गया है]

६ मुद्दईका दावा है कि मुद्दाअलेह के ऊपर ·· · ·· ··· रु० की मय सूद (ब्याज) बशरह ··· · रु० सैकड़ा सालाना, नालिशकी तारीखसे लेकर रुपया वसूल होजानेकी तारीख़ तक, और मय खर्चाके डिकरी दी जाय।

परिशिष्ट (अ) (तस्दीक़ अर्जीदावा नं० १ मे बतलाये अनुसार)

उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जानेवाला बयान तहरीरी

[अदालत वगैराका हवाला अर्जीदावा न० १ मे बतलाये अनुसार]

ऊपर बतलाये मुकदमेंमे मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है:—

१ यह कि मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई कारण व हक़ नही है।

२ यह कि मुद्दाअलेहने वह रुक्का, जिसकी निस्बत नालिश है, नही लिखा है जैसा कि मुद्दईने बयान किया है।

३ यह कि यह नालिश उस वैमनस्यके कारण दायर कीगई है जो फरीकैन के बीचमे है।

४ यह कि मुद्दईने यह नालिश सिर्फ मुद्दाअलेहको परेशान करनेके इरादेसे दायरकी है।

५ यह कि नालिश मय खर्चेके खारिजकी जाय और खर्चा दिलाया जाय।

[तस्दीक़ और दस्तखत]

(देखो पेज १३।१४)

---

५ नालिश बाबत उस मालके जो बेंचा और हवाले किया गया

[अदालत और फरीकैन वगैराका हवाला न० १ में बतलाए अनुसार]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है:—

१ यह कि तारीख़ ५ फ़रवरी सन् १९१८ ई० को · ·· ··· ···ने इस अर्जीदावाके साथ नत्थी परिशिष्ट मे बतलाया हुआ माल मुद्दाअलेहके हाथ बेचकर उसके हवाले किया।

२ यह कि मुद्दाअलेहने वादा किया था कि वह माल हवाले कर दिये जाने पर ______ रु० बाबत कीमत उस मालके अदा कर देगा।

३ यह कि मुद्दाअलेहने वह रुपया अदा नहीं किया जो उसके और ······, के बीच तय हुआ था, यद्यपि ······ ···ने इसके लिये बार-बार तक़ाज़ा किया।

४··· ······की तारीख़ ··· ······ सन् १९१४ई० को मृत्यु होगई । अपनी आख़िरी वसीयतके जरिये उसने अपने भाई, अर्थात् मुद्दईको अपना साधक (तामील कुनिन्दा वसी) नियत किया ।

५ यह कि इस नालिशकी बिनाय मुखासमत तारीख़ ··· ··· · · को (माल हवाले किये जाने पर मुद्दाअलेहके उस मालकी कीमत अदा न कर सकने पर) मुक़ाम ··· ······ में, जो इस अदालतके अधिकार-क्षेत्र (हद अख़्तियार समाअत) के भीतर है, पैदा हुई ।

६ अख़्तियार समाअत और कोर्ट फ़ीसके लिये इस नालिशके दावाकी मालियत··· ·······रु० लगाई गई है।

७ मुद्दई··· ·······रु० की डिकरी मय सूद बशरह ६) रु० सैकड़ा सालाना नालिशकी तारीखसे रुपया वसूल होनेकी तारीख़तक और मय खर्चा इस नालिश के दिलापानेके लिये दावेदार है ।

परिशिष्ट

[तस्दीक़ और दस्तख़त]
(देखो पेज १३।१४)

उपरोक्त नालिशमें दाख़िल किया जानेवाला बयान तहरीरी

[शीर्षक नं० १ में बतलाये अनुसार]

ऊपर बतलाए हुए मुक़द्दमेमें मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है·—

१ मुद्दईको, मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई कारण व हक नहीं है।

२ मुद्दाअलेहने उस मालके लिए कोई आर्डर नहीं दिया था जो अर्ज़ीदावाके साथ नत्थी परिशिष्ट में बतलाया गया है।

३ माल मुद्दाअलेहको हवाले नहीं किया गया।

४ उस मालकी क़ीमत····· · ·······रु० नहीं थी, जैसा कि अर्ज़ीदावा में बतलाया गया है।

५ मुद्दईकी ओरसे दायर कीगई यह नालिश इस मौजूदा शकलमें क़ाबिल समाअत नहीं है, क्योंकि वह · ··· ·· का साधक (तामील कुनिन्दा) नहीं है।

६ नालिश मय खर्चे के खारिज की जानी चाहिए और मुझ मुद्दाअलेहका ख़र्चा दिला दिया जाना चाहिए।

[तस्दीक़ और दस्तख़त]
(देखो पेज १३।१४)

६ नालिश बाबत इस्तेमाल और क़ब्ज़ा

[अदालत, फ़रीक़ैन वग़ैरा का हवाला अर्ज़ीदावा नं० १ मे बतलाए अनुसार]
उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है.—

१ यह कि मुद्दाअलेह ने मुद्दई के मकान पर, जो कि इस अर्ज़ीदावा के साथ नत्थी परिशिष्ठ मे बतलाया गया है, तारीख़ '' ''माह ' सन् १९२७ ई० तक क़ब्ज़ा व दख़ल रक्खा, और उक्त मकान का इस्तेमाल करने की बाबत अदा की जाने वाली रक़म की निस्बत कोई इक़रारनामा नही किया गया था।

२ यह कि उक्त मकान के उक्त मियाद तक इस्तेमाल मे रखे जाने का उचित दाम ५००) रु० हुआ।

३ मुद्दाअलेहने यह रुपया अदा नही किया है, यद्यपि मुद्दईने इसकी निस्बत बार बार तक़ाजा किया।

४ यह कि इस नालिश की बिनाय मुख़ासमत, मुद्दाअलेह के उस रुपये के अदा न करने पर जो उससे तलब किया गया था, इस अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर मुक़ाम '''' '' मे तारीख़ माह''' सन् १९२७ ई० को पैदा हुई।

५ (जैसा कि अर्ज़ीदावा न० १ मे बतलाया गया है)

५ मुद्दई ५००) रु० की डिकरी के लिए मय सूद बशरह'''''' रु० सैकड़ा सालाना, नालिश की तारीख़ से रुपया वसूल होने की तारीख़ तक, मय ख़र्चा इस नालिश के दावेदार है।

परिशिष्ट

[तस्दीक़ और दस्तख़त]
देखो पेज १३।१४

उपरोक्त नालिश में दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है:—

१ यह कि मुद्दाअलेह ने उस मकान को उस मुद्दत तक क़ब्ज़े मे नही रखा जो अर्ज़ीदावा में बतलाई गई है।

२ यह कि ५००) रु० की रक़म जो मुद्दई बाबत इस्तेमाल उस मकान के तलब करता है उचित किराया नही है।

३ यह कि मुद्दाअलेह ने तारीख ··· ···को १०) रु० की रकम बाबत इस्तेमाल के उस मकान के अदा किया और वह समझता है कि ऐसी दशा मे यह रकम मुनासिब रकम है।

४ यह कि मुद्दई को इस नालिश के दायर करने का कोई कारण व हक नही है और यह कि इसलिए यह नालिश मय खर्चे के खारिज की जाय व खर्चा मुद्दाअलेह दिलाया जाय।

[तस्दीक और दस्तखत]
देखो पेज १३।१४

---

७ नालिश बाबत तोड़े जाने साझेदारी के

(फरीकैन वगैरा के हवाले के सम्बन्ध में देखो नं० १ अर्जीदावा)
उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है—

१ यह कि मुद्दई और मुद्दाअलेह, गत ग्यारह वर्षों से, एक रजिस्ट्री शुदः इकरारनामा के अनुसार, जो कि तारीख ·· ·· माह····· सन्··· ई० को लिखा गया था और जिसकी रजिस्ट्री ता०·········को हुई थी पुस्तक विक्रेता (बुकसेलर) और प्रकाशक (पब्लिशर) का काम साथ साथ करते आए है।

२ मुद्दई और मुद्दाअलेह के बीच बहैसियत साझीदारों के बहुत से झगडे और मत-भेद उत्पन्न हो गए है, जिनके कारण यह असम्भव हो गया है कि वे साझेदारी में अब उस काम को कर सकें और उससे एक दूसरे को फायदा पहुँच सके।

३ यह कि मुद्दाअलेह ने इस साझेदारी के कार-बारमें होने वाले मुनाफा का अनुचित व्यय (तसर्रुफ बेजा) करके और हिसाब मे जालसाजी करके उन शर्तों का भी उल्लंघन कर दिया है जो उक्त इकरारनामा में बतलाई गई है।

४ यह कि इस नालिश के लिए बिनाय मुखासमत दावा व मुकाम······ ········में (जिस स्थान पर कि साझीदार लोग अपना कार-बार करते है) तारीख ·· ····को (जिस दिन कि मुद्दाअलेह ने पहिले पहल इकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन किया था) और दूसरी तारीखों को पैदा हुयी।

५ [जैसा कि अर्जीदावा नं० १ में बतलाया गया है].

६ मुद्दई प्रार्थी है—

(अ) यह कि साझेदारी का कार-बार तोड़ देने के सम्बन्ध में मुद्दाअलेह के ऊपर डिकरी दी जाय।

(ब) यह कि मुद्दाअलेह से हिसाब तलब किया जाय और जो कुछ रकम मुद्दाअलेह के ऊपर वाजिब निकले उसके सम्बन्ध में उसके ऊपर इस नालिश के खर्चे के सहित डिकरी दी जाय।

(स) यह कि दौरान मुकद्दमा मे, इस साझेदारी के कार-बार का उचित प्रबन्ध करने और उक्त कार-बार की बाबत मिलने वाले रुपये को वसूल करने के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया जाय।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुक़द्दमेंमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ यह कि अदालत को इस नालिश की समाअत (सुनाई) करने का अधिकार नही है क्योकि साझेदारी की सम्पत्ति की मौजूदा मालियत उस मालियत से अधिक है जिसके सम्बन्ध में समाअत करने का अधिकार इस अदालत को है।

२ यह कि अर्जीदावा के पैरा ३ मे लिखी हुई, बाते बिल्कुल झूठी है। मुद्दाअलेह ने साझेदारी के इकरारनामा मे लिखी हुई किसी शर्त का उल्लघन नही किया है और न उसने कोई जाली हिसाब तैयार किया है।

३ मुद्दाअलेह अर्जीदावा के पैरा २ मे लिखी हुई, बातों के सही होने से साफ़ इन्कार करता है और यह निवेदन करता है कि फर्म (दूकान) को मिलने वाले रुपये की तहसील वसूल मुद्दई करता था और वही कार बार का हिसाब-किताब रखता था और यह कि इसलिए मुद्दई इस बात के लिए बाध्य है कि वह सही हिसाब-किताब बनाकर मुद्दाअलेह के सामने पेश करे।

४ यह कि मुद्दई की बहुत सी अनुचित कार्रवाइयो (फेल बेजा) के कारण मुद्दाअलेह ने उससे सही हिसाब-किताब तैयार करके देने के लिए प्रार्थना की लेकिन मुद्दई ने कुछ धूर्त आदमियों के सलाह पर हिसाब दाखिल करने से साफ इन्कार कर दी और उसने बिल्कुल झूठी बातों के आधार पर यह झूठी नालिश दायर की है।

५ यह कि मुद्दई को मुद्दाअलेह के ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई कारण व हक नही है।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

८ नालिश बाबत हक़ असायश वास्ते निकलने रास्ता और हुक्म इम्तनाई

[अदालत और फरीकैन का विवरण]

(देखो अर्जीदावा नं० १)

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ मुद्दई एक मकान वाकै ... ...जिसका विवरण इस अर्जीदावा के साथ परिशिष्ट (अ) में दिया हुआ है और इसमें आगे बतलाए हुए समय पर क़ाबिज था।

२ मुद्दई को मय अपने नौकरों के उक्त मकान से खेत .... पर होकर आम रास्ते पर जाने और वहां से उक्त खेत पर होकर उक्त मकान को वापस आने का हक था।... ...रास्ते का मौक़ा जो मकान से खेत.... .... पर होकर गया है, और अन्त में आम... ... .सड़क से जाकर मिल गया है, इस अर्जीदावा के साथ परिशिष्ट (ब) में दिए गए नक़शे में दिखलाया गया है।

३ मुद्दई ने....... रास्ते को खुले तौर पर, शांति के साथ बिना किसी प्रकार की रोक-टोक के और बतौर हक़ के क़रीब २० वर्ष के ऊपर तक इस्तेमाल किया है और इस कारण से उसे उसके ऊपर हक़ आसायश पैदा हो गया है।

४ तारीख़........ माह...... सन् १९.... ... ई० को मुद्दाअलेह ने बेजा तौर पर उक्त रास्ते को, उसके आर-पार टट्टी लगाकर, बन्द कर दिया ताकि मुद्दई उस रास्ते से निकल न सके और तब से उसे बेजा तौर पर बरा-बर बन्द किए है।

५ इस नालिश की बिनाय मुख़ासमत तारीख़ ... .माह....... ...सन् १९ ....ई० को बमुकाम .... जो इसअदालत के अधिकार क्षेत्रमे है, पैदा हुई।

६ [जैसा कि अर्जीदावा नं० १ में बतलाया गया है]

७ मुद्दई प्रार्थी है—

(अ) यह कि मुद्दाअलेह के ऊपर डिकरी दी जाय जिसमें ......रास्ते से होकर मुद्दईके निकलने सम्बन्धी अधिकारकी घोषणा करदी जाय।

(ब) यह कि इस मुक़द्दमेंके ख़र्चेके सम्बन्धमे मुद्दाअलेहके ऊपर डिकरी दी जाय।

(स) यह कि मुद्दाअलेहके ऊपर हमेशा के लिए यह हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाय कि वह उस रास्तेके सम्बन्धमें, जिसकी निस्बत नालिश दायर की गई है, कोई रुकावट न डाल सके।

परिशिष्ट (अ)

परिशिष्ट (ब) (नक़शा)

(तस्दीक़ और दस्तख़त)

देखो पेज १३।१४

———

उपरोक्त मुक़द्दमें में जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि]

जैसा अर्जीदावा न० १ में है।

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता हैः—

१ मुद्दई को मुद्दाअलेह के ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई हक़ व कारण नही है।

२ मुद्दाअलेह अर्जीदावा के दूसरे और तीसरे पैरों मे बतलाई गई बातों की सत्यता को अस्वीकार करता है और निवेदन करता है कि उस रास्ते का, जिसकी निस्बत नालिश दायर कीगई है, कभी भी इस्तेमाल नही किया जैसा कि मुद्दई ने बतलाया है।

३ मुद्दई ने अपना यह मौजूदा मकान सिर्फ़ तेरह साल हुए जब खरीदा था और इसके बाद से वह उसमे रहता है, और इसलिये जिस रास्ते के इस्तेमाल की निस्बत नालिश कीगई है वह बीस साल से ऊपर नहीं हो सकता।

४ यह कि उस रास्ते के इस्तेमालको मुद्दाअलेहने दो साल हुए तेरह महीने के लिये बन्द कर दिया था और सिर्फ़ मुद्दई के खुशामद बरामद करने पर मुद्दाअलेह ने केवल थोड़े समय के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिये मुद्दई को इजाज़त दे दी थी।

५ यह कि ऐसी दशा मे मुद्दई को उक्त रास्ते के इस्तेमाल के सम्बन्ध मे जिसके लिए नालिशहै, हक़ असायश पैदा नहीं हो सकता और इसलिए उसे हुक्म इम्तनाई जारी करवाने का हक़ नही है जिसके लिये उसने प्रार्थना की है।

६ यह कि जो नक़शा अर्जीदावाके साथ दाखिल किया गया है उसमें बहुत सी बातें गलत हैं और उसमे उसके इर्द गिर्द के स्थानोंका मौक़ा ठीक नही दिखलाया गया है। मुद्दाअलेह इस जवाब दावा के साथ एक नक़शा दाखिल करता है जिसमे इर्द गिर्द के स्थानोंका, उस रास्ते का, जिसकी निस्बत नालिशहै, मौक़ा ठीक २ दिखलाया गया है।

७ यह कि मुद्दई ने यह झूठी नालिश मुद्दाअलेह को परेशान करने के लिये दायर की है, क्योंकि उनके (फ़रीक़ैन के) बीच आपस मे कुछ झगड़ा है।

८ चूंकि मुद्दई ने रास्ता मुतनाजा का इस्तेमाल इस नालिशके दायर किये जाने के पहिले बीस साल तक नहीं किया, इसलिये इस नालिश की तमादी आरिज होगई है।

९ यहकि नालिश मय खर्चेके खारिज होनी चाहिये और खर्चा दिला दिया जाना चाहिये।

नक़शा [तस्दीक़ और दस्तखत]

देखो पेज १३। १४

६ अदावतन् मुक़द्दमा चलाए जानेकी बाबत नालिश

[फ़रीक़ैन वग़ैरा का हवाला अर्ज़ीदावा नं॰ १ मे देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ तारीख़ ··· माह ·· सन् ··· ई॰ को मुद्दाअलेह ने ख़यानत मुजरिमाना के झूठे अभियोग के ऊपर मुद्दई की गिरफ्तारी के लिए एक वारण्ट गिरफ्तारी ···· डिपुटी मजिस्ट्रेट की अदालत से हासिल किया और इसके परिणाम स्वरूप मुद्दई गिरफ्तार किया गया और दो दिन क़ैद मे रखा गया और अपनी रिहाई के लिये उसने ·· ·· रु॰ की ज़मानत दाख़िल की।

२ यह कार्रवाई मुद्दाअलेह ने अदावतन् और विना किसी उचित अथवा सम्भव कारण के की।

३ तारीख़ ··· माह ·· सन् ··· ई॰ को उपरोक्त डिपुटी मजिस्ट्रेटने मुद्दाअलेह का इस्तग़ासा खारिज कर दिया और मुद्दई को बरी कर दिया। उक्त फ़ौजदारी अदालतके फैसलेकी तस्दीकशुदः नकल इसके साथ दाखिलकी जाती है।

४ उक्त गिरफ्तारी के कारण मुद्दई को, जनताकी निगाहोंसे गिर जानेके अतिरिक्त, बहुत कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पड़ा और वह अपना कार बार भी नही कर सका, और उसकी साख को भी बहुत कुछ धक्का पहुंचा और उसे उक्त क़ैद से रिहाई पाने और उक्त इस्तग़ासे के खिलाफ़ पैरवी करने मे खर्चा उठाना पड़ा।

५ यह कि इस नालिश के लिये विनाय मुखासमत तारीख़ ··· को मुकाम ······मे, जो इस अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर है, पैदा हुई।

६ ऐसी दशा में मुद्दई ६००) रु॰ बाबत हर्ज़ा के, जो उसे शारीरिक और मानसिक कष्टों के कारण और कार बार (व्यापार) तथा प्रसिद्ध को हानि पहुचने के कारण हुआ है, और ५००) रु॰ बाबत उस खर्चे के जो उसे उपरोक्त फ़ौजदारी मुक़द्दमे की पैरवी मे उठाना पड़ा दिला पाने का दावेदार है।

७ अख्तियार समाअत और कोर्ट फ़ीस के लिये दावा की मालियत ११००) रु० लगाई गई है।

८ मुद्दई दावा करता है—

(अ) यह कि मुद्दई के हक़ में मुद्दाअलेह के ऊपर ११००) रु॰ की डिकरी मय खर्चे के दीजाय।

(ब) यह कि अदालत कोई भी दूसरी दादरसी दिला सकती है जो वह ऐसी अवस्था मे उचित समझे।

[तस्दीक़ और दस्तखत]

देखो पेज १३। १४

उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा

[शीर्षक फरीकैन वगैरा]

उपरोक्त मुकद्दमेमें मुद्दाअलेह नीचे लिखा निवेदन करता है :—

१ मुद्दईको मुद्दालेहके ऊपर इस नालिशके दायर करनेका कोई कारण व हक नही है।

२ मुद्दईको मुद्दाअलेहने बतौर अपने मुख्तार (कारिन्दा) के असामियोसे लगानकी तहसील वसूल करनेके लिए नौकर रखा था। मुद्दईने फरेबसे ..... रु० की रकम, जो उसने असामियोंसे तहसीलकी थी, बेजातौर पर सर्फ करदी और इसलिए मुद्दाअलेहने नेक नीयतीके साथ फौजदारी अदालतमें मुद्दईके ऊपर मुकद्दमा चलाया। मुकद्दमा फैसल करनेवाले मजिस्ट्रेटने यह मुकद्दमा रूयदादके ऊपर नही बल्कि जाबता फौजदारीकी दफा२०३ के अनुसार यह कह कर खारिज कर दिया कि उसकी समाअत अदालत दीवानी द्वाराकी जानी चाहिए।

३ मुद्दई एक संदिग्ध आचरण (मशकूक चाल चलन) का आदमी है और समाजमे उसकी कोई प्रतिष्ठा नही है, क्योंकि वह सन् १९०७ ई० में ख़यानत मुजरिमानाके अभियोगमे फौजदारी अदालतसे सज़ा पाचुका है।

४ मुद्दईको फौजदारी मुकद्दमेंकी पैरवी करनेमें ५००) रु० का खर्चा नही उठाना पड़ा, क्योंकि उसकी पैरवी एक मुख्तारने की थी।।

५ मुद्दई कोई हर्जा दिला पानेका हकदार नही है, क्योंकि उसके पहिलीबार सजा पाजानेके कारण जनताकी निगाहोंमें समाजसे उसकी प्रतिष्ठा पहलेही उठ जाचुकी है और यह कि यह दावा अधिक है।

६ यह कि नालिश मय खर्चेके खारिजकी जानी चाहिए। और मुद्दालेहका खर्चा दिला मिलनेका हुक्म होना चाहिए।

[तसदीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

---

१० वसीके ऊपर नालिश, बाबत दिलापाने उस आमदनी के जो वसीयतनामेंमें बतलाई गई है

[शीर्षक फरीकैन वगैरा]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है :—

१ " ' साकिन " जिला की तारीख माह "' सन् १९ ' ई० को मृत्यु होगई। उसने अपने तारीख ..."माह' ......सन् १९ " ई० को लिखे गए आखिरी वसीयत नाक़ीम

जरिये मुद्दाअलेहको अपना वसी मुकर्रर किया और अपनी सारी जायदाद, मनकूला और गैर-मनकूला अपने वसीके नाम वसीयत करदी है, कि वह उससे होने वाली आमदनी और उसके लगानको मुद्दईको जिन्दगीभर अदा करता रहे और बाकीको उसके मरजानेके बाद, मवसी के कानूनी वारिसोको।

२ यह वसीयत मुद्दाअलेहने तारीख ······ माह ······ सन् १९···ई० को··· ··· के जिला-जजकी अदालतमें बाकायदा तौरसे साबित कर दी थी।

३ मरनेके समय मवसी (Testator) जायदाद मनकूला और गैर-मनकूलाका हकदार था, मुद्दाअलेहने जायदाद गैर-मनकूलाके लगानकी रसीद लिखदी और जायदाद मनकूला उसको मिल गई, उसने जायदाद गैर-मनकूलाका कुछ हिस्सा बेच लिया और उस जायदाद का ठीक ठीक हिसाब दाखिल नही किया, यद्यपि मुद्दईने तारीख ·····को उसे तलब किया।

४ यह कि इस नालिशकी बिनाय मुखासमत (मुद्दाअलेहके ठीक ठीक हिसाब दाखिल न करने पर) तारीख ··· ··· को बमुकाम ··· · · पैदा हुई जो कि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है।

५ जैसा कि नं० ९ के पैरा ८ में है।

६ मुद्दईका दावा है—

(१) कि ··· ··· की जायदाद मनकूला और गैर मनकूला का प्रबन्ध इस अदालतमें किया जाय और इस कामके लिए तमाम मुनासिब हिदायतें दी जांय और हिसाब लेलिया जाय।

(२) और भी ऐसी कोई दादरसी दिलाई जाय जो इस मुकद्दमेंमें मुनासिब मालूम हो।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पज १३.१४

उपरोक्त मुकद्दमेंमें जवाब दावा

[शीर्षक फरीकैन वगैरा]

मुद्दाअलेहका नीचे लिखा निवेदन है:—

१ मुतौफी मवसी (वसीयत कुनिंदा) ·····के वसीयतनामामें कर्ज़की रकम भी तहरीर थी, जिस समय वह मरा है उस समय वह दिवालिया हो गया था, उसके मरने पर वह कुछ जायदाद मनकूलाकी निस्बत कर्जदार था जिसे मुद्दाअलेहने बेच डाला और जिससे कुल ···)रु०की आमदनी थी और मवसीके पास कुछ जायदाद मनकूला थी जिसे मुद्दाअलेहने अपने कब्जेमें ले ली और जिससे कुल ··· · ···) की आमदनी होती थी।

२ मुद्दाअलेहने उपरोक्त कुल रुपया और ......) रु० की रकम, जो कि मुद्दाअलेहको उस जायदाद गैर मनकूलाके लगानके निस्वत वसूल हुई थी, क्रिया-कर्म और वसीयत लिखने आदि कामोंमे और मवसीके कुछ कर्जा अदा करनेमें खर्च कर डाला।

३ मुद्दाअलेहने अपना हिसाब ठीक करके उसकी एक नकल तारीख माह सन् १९ ई० को मुद्दईके पास भेज दी और मुद्दईको इस बातका पूर्ण अधिकार दे दिया कि वह इस हिसाब-किताबकी जांच करनेके लिए वाउचरोंको देख लें, लेकिन उसने मुद्दाअलेहकी इन बातोंको स्वीकार नहीं किया।

४ मुद्दाअलेहकी प्रार्थना है कि मुद्दईको इस मुकद्दमेका खर्चा अदा करनेका हुक्म हो और दावा खारिज हो।

(तस्दीक और दस्तखत)

देखो पेज १३।१४

---

११ दस्तावेज रेहननामाके ऊपर नीलाम या बैबात की बाबत नालिश

[शीर्षक फरीकैन वगैरा]

उपरोक्त मुद्दईका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है:—

१ मुद्दई उस आराजीका मुर्तहिन है जो कि मुद्दाअलेहकी मिल्कियत है और जो इस अर्जीदावाके साथ लगी हुई सूची (फेहरिस्त) (अ) मे तफ़सीलवार दिखलाई गई है।

२ रेहननामाकी खास २ बाते नीचे लिखे अनुसार है —

(क) तारीख ३० जून सन् १९१२ ई० को मुद्दाअलेहने एक बाकायदा दस्तावेज रेहननामा बहक मुद्दई ...) रु० की निस्वत, जो कि मुद्दईने उसे कर्ज दिये थे, लिख दिया जिसके जरिये सूची (अ) में बतलाई हुई जायदाद रेहन कर दी।

(ख) [राहिन और मुर्तहिनके नाम]

(ग) [जो रुपया लिया गया हो]

(घ) [व्याजकी दर]

(ङ) [जायदाद मरहूना) जो कि सूची (अ) में बतलाई गई है।

(च) अब ...) रु० की रकम मुद्दईको मुद्दाअलेहसे बाबतअसल मय सूदके, जैसा कि अर्जीदावाके साथ लगी हुई सूची (ब) में ,साब दिया हुआ है, वाजिब है

(छ) [अगर मुद्दईको उस जायदादकी हकीयत किसी दूसरे शख्ससे हासिल हुई है तो यहां पर सक्षेपमें लिखना चाहिये कि किस मुतक्किलीके जरिये उसे दावाका यह हक हासिल हुआ है]

३ मुद्दईके बार-बार मांगने पर भी मुद्दाअलेहने उस रुपयेको जो वाजिब है, अदा नहीं किया ।

४ इस नालिशके लिए मुद्दईकी विनाय मुखासमत तारीख'''को [जो तारीख वास्ते अदायगी रुपया दस्तावेजमें बतलाई गई है] बमुकाम ' ''' पैदा हुई जो कि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है

५ मुकद्दमाकी मालियत दावा वास्ते अख्तियार समाअत ''' ''') रु० है और कोर्ट-फीसके लिए ''' ''' ''') रु० है ।

६ मुद्दईका दावा है:—

(क) यह कि मुद्दाअलेहके ऊपर''''') रु० की, मय खर्चा मुकद्दमा और सूद आयन्दा बशरह मुन्दर्जे दस्तावेज दिनों पर, एक प्रारम्भिक डिकरी दी जाय, और यह कि उस डिकरीमें उस रकमकी, जो कि वाजिबुलअदा है, अदायगीके लिये एक समय नियत कर दिया जाय, और यह कि अगर उस नियत समयके भीतर रुपया अदा न हो तो मुद्दईका कुल रुपया जायदाद मरहूना के नीलामसे वसूल करनेका हुक्म दिया जाय ।

[यहां पर आर्डर ३४, रूल ६ लागू होता है]

देखो पेज १८१

(ख) यह कि अगर नीलामसे वसूल हुई रकम, मुद्दईका कुल रुपया अदा करनेके लिए काफी न हो, तो मुद्दईको यह अधिकार दिया जाय कि वह बाकी रुपयेके लिए मुद्दईके जिस्मके ऊपर डिकरी दिए जानेके लिए दरख्वास्त दे सके ।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

सूची (अ) तफसील जायदाद ।

सूची (ब) हिसाब ।

नोट—अगर नालिश बाबत बैआतके है, तो क्लॉज (६ क) में यह मजमून जोड़ देना चाहिए:—"और अगर नियत समयके भीतर रुपया न अदा किया जाय तो बैआत (और कब्ज़ा) की बाबत हुक्म दिया जाय जिससे मुद्दाअलेहको जायदादकी फकरेहनीका कोई हक बाकी न रहे और मुर्तहिनको आराज़ी मरहूनासे फायदा उठानेका पूरा अख्तियार हासिल हो जाय ।"

उपरोक्त मुक़द्दमेंमें जवाब दावा

[शीर्षक फरीकैन वग़ैरा]

उपरोक्त मुकद्दमेमे मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करनेकी बिनाय मुखा-समत पैदा नही हुयी है।

२ मुद्दाअलेह इस बातको स्वीकार करता है कि जिस दस्तावेजकी निस्वत नालिश है, वह दस्तावेज उसने लिखा है, लेकिन उसका कहना यह है कि उसे सिर्फ ···) रु० ही बाबत जुज मतालवा उस दस्तावेजकी तकमीलके वक्त मिले है फरीकैनके बीच यह तय पाया था कि मुद्दालेहको दस्तावेजकी तकमीलके वक्त सिर्फ ···)रु० ही मिलेगे और यह कि बाकी रुपया उसे धीरे धीरे, जब २ उसे जरूरत पड़ती रहेगी, मिलता रहेगा लेकिन वास्तवमें मुद्दाअलेहको बकाया रुपया लेनेका कभी भी मौका नही आया।

३ मुद्दईकी नालिश कानून मियादके द्वितीय परिशिष्टके आर्टि० ········के अनुसार तमादी आरिज़ हो गई है।

या

१ मुद्दाअलेहने दस्तावेज़ नही लिखा था या यह कि कानूनके अनुसार उस पर बाकायदा तौरसे गवाही नही की गई थी।

२ रेहन नामाकी मुन्तकिली मुद्दईके नाम नही कीगई थी [अगर एकसे ज्यादा मुन्तकिलियां कीगई है तो यह लिखना चाहिए कि किस मुन्तकिली से इन्कार है]

३ कानून मियादके द्वितीय परिशिष्टके आर्टि०··· ··के अनुसार नालिशकी मियाद आरिज़ होगई है।

४ नीचे लिखी रकमे अदा कीगई है (यहां पर उसकी तफसील और तारीख देनी चाहिए)

५ मुद्दईने तारीख····· ··माह ··· सन ····ई० को कब्जाले लिया था और उस समयसे लगान वसूल कर रहा है।

६ यह कि जिस समय तस्फिया या हिसाब किया गया था उस समय मुद्दईने इस दस्तावेजका रुपया वसूल किया था।

७ मुद्दाअलेहने तारीख··· ·· के दस्तावेज़के जरिये अपने कुल हकूक ···) को मुन्तकिल कर दिया था।

तस्दीक़ और दस्तखत

देखो पेज १३।१४

१२ नालिश बावत दस्तावेज रेहन नामा दखली या गैर-मामूली,

[शीर्षक-फ़रीकैन वग़ैरा]

मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है—

१ (जैसाकि नं० ११ मे है)

२ (जैसाकि नं० ११ में है)

३ मुद्दईने तारीख़······ ·को जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया और दस्तावेज की शर्तोंके अनुसार आराज़ीका मुनाफ़ा, या सूद (ब्याज)में मुजरा होगया [या]

यह कि मुद्दईने तारीख़ ······को जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया और उस समयसे बतौर मुर्तहिन काबिजके हिसाब देनेको तैयार है और यह कि तस्फ़िया हिसाब होजाने पर [जैसाकि सूची (ब) में जोकि अर्जीदावाके साथ दिखलायी गयी है] उसी रेहन नामाकी बाबत मुद्दईको मुद्दाअलेहसे मिलना है।

४ (जैसाकि नं० ११ के पैर ३ में है)

५ (जैसाकि नं० ११ के पैरा ४ में है)

६ (जैसा कि नं० ११ के पैरा ५ में है)

७ मुद्दईका दावा है कि:—

(क) मुद्दाअलेहके ऊपर एक डिकरी बावत ·····) रु०के मय खर्चा और सूद बशरह ६) रु० सैकड़ा ता० तारीख़ वसूली रुपयेके दीजाय या यह कि जायदादके वासिलातका हिसाब लिया और दस्तावेजमें बतलाए अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाय और जो रुपया बाक़ी निकले उसकी निस्बत मय सूद बशरह ६) रु० सैकड़ा सालाना ता तारीख़ अदायगी रुपयाके मुद्दाअलेहके ऊपर डिकरी दीजाय।

सूची(अ) [तफसील जायदाद] तस्दीक और दस्तख़त
सूची (ब) [हिसाब] (देखो पेज १३।१४)

नोट—मुर्तहिन क़ाबिज़को, बहैसियत ऐसे मुर्तहिनके,नीलाम या बैवातका हक़ न होगा, जब तक कि उस दस्तावेजमें प्रकट अथवा अप्रकट रूपसे ऐसी कोई शर्त नहो जो उसे ऐसा अधिकार देती हो [देखो क़ानून इन्तक़ाल जायदादकी दफा ६७] अगर किसी खास शर्तोंसे नीलामका हक़ विशेष अवसर पर काममे लाए जानेके लिएही रख छोड़ा गया है, तो यह रेहन नामा ग़ैर-मामूली समझा जायगा और ऐसी दशामें मुद्दईको अधिकार होगा कि नियत समय पर डिकरीका रुपया अदा नकिए जाने पर वह जायदाद मरहूनाकी नीलामके लिए दरख्वास्त करे।

[दस्तखत और तस्दीक़]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुकद्दमेमें बयान तहरीरी

[शीर्षक फरीकैन वग़ैरा]

मुद्दाअलेहका नीचे लिखे अनुसार निवेदन हैः—

१ मुद्दाअलेहने दस्तावेज मुतनाजाको मुद्दईके हकमें लिखा।

२ मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने की बिनाय मुखासमत पैदा नही है।

३ भारतीय कानून मियाद सन १९०८ई०के द्वितीय परिशिष्टके आर्टि० ·····के अनुसार इस नालिशकी मियाद आरिज होगई है।

४ नीचे लिखी क़र्ज़ अदा कीगई है, अर्थात्—

३ मार्च सन १९०९ ई० ······	२५०) रु०
७ जून सन १९०९ ई० ······	२५०) रु०
जोड़	५००) रु०

५ मुद्दईने जायदाद मरहूनाके ऊपर तारीख़ ··माह······ सन········ ई० को कब्जा कर लिया था और तबसे लगान और मुनाफ़ाका रुपया लेता रहा है

६ यह कि तारीख़ को हिसाबका तस्फ़िया हुआ था जब कि मुद्दईने क़र्जेके रुपयेकी फारखती करदी थी।

[तस्दीक और दस्तख़त]
देखो पेज १३।१४

---

१३ नालिश बाबत इन्फ़िकाक रेहन

[फरीकैन वगैराकी तफ़सील जैसा कि नं० १ मे है]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ मुद्दई सूची (अ) में [जोकि इसके साथ नत्थी है] बतलाई गई आराजी का राहिन है जिसका कि मुद्दाअलेह मुर्तहिन है।

२ रेहन नामाकी तफ़सील नीचे लिखे अनुसार हैः—

(क) यह कि मुद्दईने · रु० की निस्बत मुद्दाअलेहके हकमे एक दस्तावेज रेहननामा तारीख़ ····माह ·· सन् ···ई० को लिख दिया था और उसके जरियेसे सूची (अ) मे बतलाई हुई जायदाद रेहन करदी थी।

(ख) जैसाकि न० ११ में है।

(ग) ,, ,, ।

(घ) ,, ,, ।

(ङ) ,, ,, ।

(च) ,, ,, ।

[अगर मुद्दाअलेह मुर्तहिन क़ाबिज़ है, तो नीचे लिखी बातें जोड़दी जानी चाहिये]

३ उक्त दस्तावेज रेहननामामें यह भी इक़रार हुआ था कि मुद्दाअलेह सूची (अ) में बतलाई हुई जायदादको अपने क़ब्जेमें लेलेगा और यह कि उस इक़रारनामाके अनुसार उसने तारीख़......माह.... सन्......ई० को उस पर दख़ल कर लिया और उसके लगान तथा मुनाफ़ाकी तहसील-वसूल करता रहा और हिसाबका ताफ़िया होने पर तारीख़......को यह मालूम हुआ कि असल का रुपया, जोकि उस दस्तावेजके ऊपर लिया गया था, मय सूद वग़ैरह मुन्दर्जे दस्तावेजके अदा कर दिया गया है। और यह कि मुद्दईको सूची (ब) में बतलाए हुए ......रु० की रक़म मुद्दाअलेहको वापस करनी होगी, लेकिन तोभी मुद्दाअलेहने दस्तावेज़ वापस करनेसे इन्कार कर दिया, यद्यपि रुपया उसके सामने पेश कर दिया गया था। दस्तावेज मुतनाज़ाकी एक तस्दीक़शुदः नक़ल इसके साथ नत्थीकी जाती है।

४ यह कि इस नालिशके लिए बिनाय मुख़ासमत तारीख़......को (जब कि मुद्दाअलेहने फ़ारख़ती करके दस्तावेज़ वापस देनेसे इन्कार किया) बमुक़ाम ....पैदा हुई जोकि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है।

५ जैसा कि अर्जीदावा नं० ११ के पैरा ५ में है।

६ मुद्दईका दावा है कि—

(क) सूची (अ) में बतलाई हुई जायदादकी फ़करेहनी करदी जाय और वह जायदाद उसके नाम फिर मुन्तक़िल कर दीजाय और उस पर क़ब्जा दिला दिया जाय।

(ख) दस्तावेज़ मुतनाज़ाके हिसाब किताबकी बाबत मुद्दाअलेहके ऊपर एक डिकरी देदीजाय।

(ग) जो कुछ रुपया मुद्दाअलेहके जिम्मे बाक़ी निकले उसकी बाबत मुद्दाअलेहके ऊपर डिकरी दीजाय और यह कि जिस दस्तावेजकी निस्बत झगड़ा है वह बेबाक हुआ क़रार दिया जाय।

(घ) एक डिकरी बाबत खर्चा मुक़द्दमाके मुद्दाअलेहके ऊपर दीजाय।

(ङ) दूसरी ऐसी कोई औरभी दादरसी दिलाई जाय जैसी कि मुक़द्दमें की ऐसी अवस्थासे अदालतको आवश्यक प्रतीत हो।

सूची (अ) जायदाद जो रेहन कीगई है।

सूची (ब) हिसाब किताब।

[तस्दीक़ और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुक़द्दमेमें जवाब-दावा

[शीर्षक जैसाकि नं० १ में है]

मुद्दाअलेहका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है —

१ मुद्दईके हक़ इन्फ़िक़ाक रेहनकी मियाद, भारतीय क़ानून मियाद सन् १९०८ई० के द्वितीय परिशिष्टकी आर्टि० ' के अनुसार तमादी ख़ारिज होगई है।

२ मुद्दईने जायदादमे अपने कुल हकूक ' '' ''को मुन्तक़िल कर दिये हैं।

३ मुद्दाअलेहने तारीख़'''''' माह ' सन्''' ई० के एक दस्तावेजके ज़रिये जर-रेहन और जायदाद मरहूनामें [जोकि अर्जीदावाके साथ नत्थी सूची (अ) मे बतलाई गई है] अपने कुल हकूक '''''' को मुन्तक़िल कर दिए।

३ मुद्दाअलेहने कभी भी जायदाद मरहूना पर कब्जा नही लिया और न उसका लगान और मुनाफ़ाही वसूल किया।

५ यहकि मुक़द्दमा मय ख़र्चे के ख़ारिज किया जाय और ख़र्चा मेरा दिलाया जाय [तस्दीक़ और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

---

१४ नालिश बाबत बेदख़ली

[फ़रीक़नकी तफ़सील वग़ैरा जैसा न० १-है]

उपरोक्त मुद्दईका नीचे लिखा निवेदन है'—

१ मुद्दाअलेह मुद्दईकी जमीन अहाता वाक़ै'''' '''पर जिसकी ब्योरेवार तफ़सील सूची (अ) मे जोकि अर्जीदावाके साथमे नत्थी है, बतलाई गई है, बहैसियत रैय्यत, सालाना मुद्दत रैय्यतीके ऊपर क़ाबिज था।

२ यह कि तारीख़ '' माह सन् '' ई० को मुद्दाअलेहने उक्त हाते की ज़मीनको १२) रु० सालाना लगानके ऊपर उस पर मकान बनानेके लिए लेलिया जिसमे वह बादमे रहना चाहता था और उनका इस्तेमाल करना चाहता था।

३ मुद्दईने १५ भाद्र सन् १३१९ फसलीको मुद्दाअलेहको एक लिखित नोटिस इस आशयकी दी कि वह ३० चैत्र सन् १३१९ फसली तक उक्त जमीनको खाली करदे यह नोटिस एक रजिस्ट्री शुद लिफ़ाफ़ामे बजरिये डाक भेजी गई थी। मुद्दाअलेहने यह नोटिस नही ली और वह इस अर्जीदावाके साथ नत्थीकी जाती है बादमे मुद्दईने एक ऐसीही नोटिस उस हाताकी जमीनके ऊपर भी तामील कराई लेकिन मुद्दाअलेने अभी तक उस परसे अपना कब्जा नही छोड़ा है।

४ इस नालिशकी बिना मुख़ासमत बमुक़ाम ' जोकि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमे है तारीख़ '' वैसाखकी प्रतिपदा सन् १३२० फ़सली अर्थात नोटिसमे दिये गए समयकी मुद्दत गुजर जानेके बादकी तारीख़को पैदा हुई

५ जैसाकि अर्जीदावा नं० २ के पैरा ८ में है।

६ मुद्दईका दावा है कि:—

(क) मुद्दाअलेहको बेदखल करके ज़मीन मुतनाज़ा के ऊपर कब्ज़ा के लिये मुद्दईके हक़मे डिगरी दीजानी चाहिये।

(ख) यह कि खर्च की बाबत मुद्दाअलेह के ऊपर डिगरीदीजाय।

(ग) ऐसी कोई दूसरी और दादरसी दिलाई जाये जो इस मुक़द्दमें की ऐसी हालतमे जरूरी मालूम होवे।

सूची (अ)—[तफ़सील ज़मीन]

[तस्दीक़ और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुक़द्दमेमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

[फ़रीक़ैन मुक़द्दमा वगैरा की तफ़सील देखो नं० १]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ यह कि मुद्दई के पास मुद्दाअलेहके ऊपर नालिश दायर करने का कोई हक़ व कारण नही है।

२ मुद्दई ने मुद्दाअलेह पर कोई नोटिस जमीन खाली कर देने के निस्वत तामील नही की जैसा कि अर्जीदावा के पैरा २ में बतलाया जाता है।

३ यह कि मुद्दई का सहोदर (सगा) भाई...... जायदाद मुतनाजा में आठ आनेका हिस्सेदार है और चूंकि वह भाई इस मुक़द्दमें में फ़रीक़ नही बनाया गया है इस लिये उसके फ़रीक़ न बनाये जानेके कारण मुक़द्दमा नही चल सकता है।

४ मुद्दाअलेह को ज़मीन मुतनाजा के ऊपर पक्की इमारत बनाने मे क़रीब १०,०००) रु० खर्च करना पड़ता है और इसलिये उसका निवेदन यह है कि अगर मुद्दई के हक़ मे कब्जा की डिगरी दे दीजायं तो मुद्दाअलेह को अपनी इमारत का खर्चा दिला मिलेगा।

[तस्दीक़ और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

---

१५ क़ानून दादरसी खासकी दफ़ा ६ के अनुसार नालिश

[फ़रीक़ैन मुक़द्दमा वगैराकी तफसील देखो नं १]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ यहकि मुद्दई मौजा...... मे व.क़ै ज़मीनका मालिक है जिसकी ब्योरेवार तफसील सूची (अ) में जो कि अर्ज़ीदावा के साथ नत्थी है और यह कि वह बारह साल से उक्त ज़मीन पर काबिज़ रहा है और उसे बज़रिये अपने नोकरों के जोतता रहा है।

२ यह कि वह इस नालिश के दायर होने के छः महीने पहिले से, उस जायदाद पर काबिज था और यह कि तारीख़ ···माह · सन् ई० को मुद्दाअलेह ने जबरदस्ती उस जमीन पर क़ब्ज़ा कर लिया और उसे जोतने, खोदने व बोने लगा और इस तरह पर मुद्दई को उस जमीन पर से क़ब्ज़ा उठा दिया।

३ यहकि इस नालिशकी बिनाय मुख़ासमत बमुकाम ··· ··· जो कि इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में है तारीख़ ·· को (जिस तारीख़ को कि मुद्दई का क़ब्ज़ा उठा दिया गया था) पैदा हुई।

४ जैसा कि अर्जीदावा न० २ के पैरा न० ८ में बतलाया गया है।

५ मुद्दई प्रार्थी है कि—

(क) मुद्दईके हक़मे एक डिकरी बाबत दिलापाने क़ब्ज़ा जायदाद मुतनाजा पर दीजाय।

(ख) यह कि एक डिकरी मुद्दाअलेहके ऊपर इस मुक़द्दमेंके ख़र्चेके बाबत दीजाय।

सूची (अ) [तस्दीक़ और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुक़द्दमेंमें जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि न० १ देखो]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ मुद्दईके पास मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करनेका कोई कारण नहीं है।

२ मुद्दई यह नालिश दायर होनेके पहले महीनेके भीतर या इससे कभी पहले जायदाद मुतनाजाके ऊपर काबिज नहीं था। मुद्दईके मुक़द्दमेकी मियाद ख़ारिज होगई है।

३ मुद्दाअलेहने जायदाद मुतनाजाको तारीख़ ·····माह··· ·····सन् ····· ई० को खरीदा था और उस पर अपने असामियोंके जरिये क़रीब १२ सालसे क़ाबिज़ है।

या यह कि मुद्दाअलेहने उस जायदाद पर बमूजिब उस रेहननामा दखली के क़ब्ज़ा कर लिया जो मुद्दईने उसके हक़मे ५०) रु० के क़र्जेके बदलेमें लिख दिया था।

४ क़ब्ज़ा करलेने और क़ब्ज़ासे अलग कर देनेके सम्बन्धमे मुद्दईने अपने अर्जीदावाके पैरा १ और २ में जो बातें कही हैं वे बिल्कुल झूठी हैं। मुद्दाअलेह या उसके असामियों, किसीने भी मुद्दईको जमीन मुतनाजासे बेदख़ल नहीं किया।

५ यहकि मुक़द्दमा मय ख़र्चेके ख़ारिज किया जाय और ख़र्चा दिलाया जाय।

[तस्दीक़ और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

---

१६ नालिश बाबत दिलापाने उस रुपयेके, जो किसी शख्सको उसके हक़के अनुसार मिलना चाहिये था

[तफ़सील फरीक़ैन मुक़द्दमा वग़ैरा न० १ देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ मुद्दई एक मुस्तक़िल क़ब्ज़ा आराजीका, जोकि मौजा ..... में वाक़े है और जिसकी ब्योरेवार तफसील इस अर्जीदावाके साथ नत्थी सूची (ब) में बतलाई गई है, क़ब्जेदार है। उसको उक्त क़ब्जा आराज़ीकी निस्बत .....)रु० सालाना बाबत लगानके श्री .... को देने पड़ते हैं।

२ मुद्दाअलेह उक्त क़ब्ज़े आराज़ीमें आठ आनाका हिस्सेदार है। चूंकि मुद्दाअलेहने उक्त आराजीके जमीन्दारको लगानके अपने हिस्सेको अदा नहीं किया है, इसलिए उसने मुद्दई और मुद्दाअलेह दोनोंके ऊपर बकाया लगानकी बाबत एक नालिश दायर की। उस नालिशकी तारीख़ ....को डिकरी दे दीगई और उक्त डिकरीकी इजरामें ज़मीन्दारने उक्त आराजीको तारीख़......को नीलाम पर चढ़वा दिया। इस आराज़ीमें अपने हिस्सेको बचानेकी गरज़से मुद्दईने तारीख़ ... ...को मय खर्चा डिकरीका रुपया अदालतमें जमा कर दिया और इस तरह पर उस आराज़ीको इजरामें नीलाम होनेसे बचा लिया। इस तरह पर डिकरीका रुपया अदा कर दिए जानेसे मुद्दाअलेहको फ़ायदा पहुँचा और इसलिए वह उसका आधा हिस्सा मुद्दईको देनेके लिए बाध्य है। उपरोक्त डिकरीकी एक तस्दीक़शुदः नक़ल इसके साथ नत्थीकी जाती है।

३ मुद्दई मुद्दाअलेहके ऊपर १२)रु० सैकड़ा सालाना ब्याजके साथ उस रुपयेके आधेकी जोकि अदालतमें जमा किया गया है, डिकरी दिलापानेका हक़दार है।

४ इस नालिशकी विनाय मुखासमत बमुक़ाम... ...., जो कि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है, तारीख़......को (जिस तारीख़को कि डिकरीका रुपया अदालतमें जमा किया गया था) पैदा हुई।

५ जैसा कि अर्ज़ीदावा नं० २ के पैरा ८ में बतलाया गया है।

६ मुद्दईकी प्रार्थना है कि—

(क) मुद्दाअलेहके ऊपर मय ब्याज ...... रु० की (जैसा कि अर्जीदावाकी सूची (अ) में बतलाया गया है) और मुक़द्दमेके खर्चेकी डिकरी दे दीजाय।

(ख) दूसरी और ऐसी दादरसी दिलाई जाय जो मुक़द्दमेंकी ऐसी हालत में ज़रूरी मालूम हो।

सूची (अ) [हिसाब]

सूची (ब)-[आराज़ी]

[तस्दीक़ और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुक़द्दमेंमें जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि न ५ देखो]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करनेका कोई कारण नही है।

२ मुद्दाअलेहने उस आराजाके लगानका अपना हिस्सा जमीन्दारको अदा कर दिया और लगानकी इस नालिशके दायर होनेके पहले उसे उसकी रसीदभी मिलगई थी। इसलिए मुद्दई मुद्दाअलेहसे कोई भी रकम बाबत हिस्सा लगानके दिलापानेका हक़दार नही है।

३ चूंकि मुद्दईने लगानकी डिकरी और इसके अनुसार होने-वाली कुर्की और नीलामके पहले डिकरीका कुल रुपया अदालतमें जमा कर दिया था, इसलिए उसका यह अदा करना अपनी इच्छासे अदा करना है और इसलिए वह मुद्दाअलेह से मुआविजा पानेका हक़दार नहीं है।

४ यह नालिश फ़रीक़ैनमें तनाजा होनेकी वजहसे दायर कीगई है।

५ यह नालिश मय ख़र्चेके ख़ारिजकी जाय और खर्चा दिलाया जाय।

[तस्दीक़ और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

---

१७ नालिश वास्ते बटवारा

[शीर्षक इत्यादि न० १ देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ यह कि मुद्दई और मुद्दाअलेह एक सम्मिलित हिन्दू कुटुम्बके आदमी हैं और उस जायदाद पर, जिसकी ब्योरेवार तफ़सील इस अर्जीदावाके साथ नत्थी सूचीमे दीगई है, उनका समिलित अधिकार (मुश्तरका क़ब्ज़ा) है।

२ यह कि उक्त जायदादमे मुद्दई और मुद्दाअलेहके हिस्से बराबर हैं।

३ यह कि उक्त जायदादके प्रबन्धके सम्बन्धमे मुद्दई और मुद्दाअलेहके बीच झगड़ा होने तथा बहुतसे कौटुम्बिक झगडोंके कारण उस जायदाद पर मुद्दई और मुद्दाअलेहका सम्मिलित अधिकार (क़ब्ज़ा मुश्तरका) बना रहना अब बिल्कुल सम्भव नही है।

४ यह कि मुद्दईने तारीख़······ को मुद्दाअलेहके सामने यह प्रस्ताव पेश किया कि उनके (फ़रीक़ैनके) बीच शांतिके साथ आपसमे उक्त जायदादका बटवारा होजाय, लेकिन मुद्दाअलेहने ऐसा करनेसे इन्कार कर दिया।

५ इस नालिशकी बिनाय मुख़ासमत, बमुक़ाम·········जो कि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है, तारीख़·····को (जिस तारीख़को मुद्दाअलेहने बटवारा करनेसे इनकार कर दिया था) पैदा हुई।

६ जैसा कि अर्जीदावा न० २ पैरा ८ मे है।

७ मुद्दईका दावा है कि:—

(१) फरीकैनके हिस्सोंके बमूजिब उक्त जायदादके बटवारेकी डिकरी दे दी जाय और यह कि अदालतकी ओरसे यह बटवारा करनेके लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया जाय।

(२) मुकद्दमेका खर्च दिलाया जावे।

[जायदादकी सूची]

(तस्दीक और दस्तखत).

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि नं० १ देखो]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है:—

१ यह मुकद्दमा नाकिस है क्योंकि इसमें कुछ आदमी फरीक नहीं बनाए गए हैं और ऐसी दशामें वह अपनी मौजूदा सूरतमे सम्मिलित किये जानेके काबिल नही है, क्योंकि............ .....जो कि उस जायदादमें मुश्तर्का कब्ज़ा रखता है, इस मुकद्दमेंमें फरीक नही बनाया गया है।

२ अर्जीदावाके पैराग्राफ २ मे बतलाई बातें सही नही है, क्योंकि उस जायदादमे मुद्दाअलेहका हिस्सा सिर्फ दो आना है।

३ यह कि अर्जीदावाके साथ नत्थी फेहरिस्तमें बतलाया हुआ किता नं० ५ मुद्दाअलेहकी खुद पैदा की हुई जायदाद है और इसलिये उसका बटवारा फरीकैनके बीच नही हो सकता है।

४ यह कि अर्जीदावाके साथ नत्थी सूचीमें बतलाई गई जायदाद मुश्तर्काकी फेहरिस्त पूरी नही है और यह कि मुद्दईकी नालिश, जो कि एक हिस्सा जायदादके बटवाराकी निस्बत कीगई है, काबिल कायम रहनेके नही है।

५ अर्जीदावाके पैरा४ मे मुद्दईका यह कहना, कि उसने मुद्दाअलेहसे जायदाद मुश्तर्काका आपसमें बटवारा कर लेनेकी दरख्वास्त की, सही नही है।

६ यहकि मुकद्दमा मय खर्चेके खारिज किया जाय और खर्चा दिलाया जाए।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

१८ मय वासिलात जायदाद पर कब्ज़ा दिलापानेकी बाबत हकीयतकी नालिश

[फरीकैन मुकद्दमा वगैराकी तफसील नं० १ देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ मुद्दईका चचा............... साकिन.......... "रियासत"............ ...

वाकै मौज़ा... ....का मालिक था और ....) रु० बाबत माल·

गुजारीके सरकारको अदा करता था। उक्त जायदादकी ब्योरेवार तफ़सील सूची (अ) में दी हुई है जो कि इस अर्जीदावाके साथ नत्थी है।

२ यह कि तारीख़ .... माह .... सन् .... ई० को मुद्दाअलेहने असामियोंसे लगानकी तहसील वसूल करके, उसके मुख्तारको उसकी कचहरीसे निकालकर और सूचीमें बतलाये गये किता नं० ५ में उसकी पैदा की हुई धानकी फसलको बेजा तौरसे सर्फ़ करके, उस जायदाद परसे मुद्दईका कब्जा उठा दिया।

३ यह कि मुद्दईका चचा तारीख़ .... के एक वसीयतनामाके जरिये अपनी कुल जायदाद मनकूला और गैर-मनकूला मुद्दईके हकमें छोड़कर इस वसीयतनामाके लिखनेके एक साल बाद मर गया।

४ यह कि मुद्दाअलेह अब भी उक्त रियासत पर अपना बेजा कब्जा बनाये हुए है और इसलिये मुद्दई मुद्दाअलेहसे मुबलिग ....) रु० बाबत वासिलात उस मुद्दतके, जिसमें कि मुद्दईके चचाको दखल नहीं रहा है [जैसा कि अर्जीदावाके साथ नत्थी सूची (ब) में बतलाया गया है] दिला पानेका हक़दार है।

५ इस नालिशकी बिनाय मुख़ासत बमुकाम .... जो कि इस अदालतके अधिकार-क्षेत्रमें है, तारीख़ .... को (जब कि कब्जा उठा दिया गया था) पैदा हुई।

६ मुक़द्दमेकी मालियत, अख्तियार समाअत और कोर्ट-फ़ीसके वास्ते .... रु० है।

७ मुद्दई प्रार्थी है कि:—

(क) उसकी निस्बत मुद्दईकी हकीयतका एलान करनेके बाद सूची (अ) में बतलाई हुई जायदाद पर कब्जेकी डिकरी दी जाय।

(ख) मुबलिग .... रु० की डिकरी बाबत वासिलातके दी जाय।

(ग) मुक़द्दमेके खर्चेकी बाबत डिकरी दी जाय।

(घ) उसे वासिलात आयन्दाकी निस्बत नालिश करनेका अधिकार दिया जाय।

(ङ) दूसरी और ऐसी दादरसी दिलाई जाय जिसके पानेका वह हक़दार हो।

सूची (अ) [जायदाद]

सूची (ब) [वासिलातका हिसाब]

[तस्दीक़ और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुक़द्दमेमें जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि नं० १ देखो]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है—

१ यह कि मुद्दईके पास मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करनेका कोई कारण नहीं है।

२ मुद्दाअलेह अर्जीदावाके दूसरे और तीसरे पैरामें कही गई बातोंसे इन्कार करता है और बयान करता है कि उसने मुद्दईके चचाको उक्त जायदादसे बेद-ख़ल नहीं किया।

३ मुद्दाअलेहको जायदाद मुतनाजा अपने बापसे विरासतमें मिली है और वह उसका उपभोग बतौर अपने हक़के क़रीब १२ सालसे ऊपर करता आया है और यह कि मुद्दईको उसकी निस्बत कोई भी हक़ या हक़ीयत हासिल नही है।

४ यह कि मुद्दईको वासिलातकी बाबत नालिश करनेका कोई हक़ नहीं है और जिस रक़मकी बाबत उसने वासिलातकी निस्बत दावा किया है वह ज़्यादा है।

५ यह कि मुद्दईके मुक़द्दमाकी तमादी आरिज़ हो गई है।

६ यहकि मुक़द्दमा मय ख़र्चेके ख़ारिज किया जाय और ख़र्चा दिलाया जाय।

[तस्दीक़ और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

---

१६ मालिककी ओरसे कारिन्दोंके हिसाब की बाबत नालिश

[अदालत वग़ैराकी तफ़सील नं० १ देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार दावा करता है:—

१ मुद्दई वाक़ै मौजा ·· ·परगना ·· ·· ·· ··ज़िला ·· ········का जो कि इस अदालतके अधिकार-क्षेत्रमें है, मालिक है।

२ बैसाख सन् १३१० फ़सलीमें मुद्दईने उक्त मौज़ोंके लगानकी तहसील-वसूल करनेके लिये मुद्दाअलेहको अपना कारिन्दा मुक़र्रर किया।

३ मुद्दाअलेह मुद्दईके यहां बतौर कारिंदाके बैसाख सन् १३१० से चैत्र सन् १३१९ ई० तक काम करता रहा और उक्त मौज़ोंकी पूरी तहसील वसूल उसके हाथमे रही। बैसाख सन् १३२० फ़सलीमे उसने मुद्दईको बिना पहिले कोई नोटिस दिये हुए और उन रुपयोंका, जो कि उसने अपनी कारिंदगीरीके दौरानमें वसूल किया था, बिना कोई हिसाब-किताब दाख़िल किये हुए मुद्दईकी नौकरी छोड़ दी।

४ मुद्दाअलेहने न तो उस रुपयेका कोई हिसाब पेश किया है जो कि उसने अपनी कारिंदगीरीके दौरानमे वसूल किया है और न तहसील-वसूलके काग़ज़ात पेश किये है, यद्यपि मुद्दईने कई बार उससे ऐसा करनेके लिये कहा।

५ मुद्दईका विश्वास है कि उसको मुद्दाअलेहसे मुबलिग ...... रु० की रकम मिलनी है और उसे तहसील-वसूल करनेके नये कागजात तय्यार करानेमें मुबलिग ... रु० खर्च करना पड़ेगे।

६ इस नालिशके लिये बिनाय मुखासमत तारीख ... को (जिस तारीखको कि मुद्दाअलेहने मुद्दईकी नौकरी छोड़ी है) बमुकाम ...., जो कि इस अधिकार-क्षेत्रमे है, पैदा हुई।

७ मुकद्दमेके दावाकी मालियत मुबलिग ... रु० है और यही रकम कोर्ट-फीसके लिये भी है।

८ इसलिये मुद्दई प्रार्थी है कि:—

(क) मुद्दाअलेहके ऊपर ऐसी डिकरी दी जाय जिसमे वह सन् ... से सन् ... तकका हिसाब-किताब पेश करनेका जिम्मेदार करार दिया जाय।

(ख) यह कि मुद्दाअलेहको यह हुक्म दिया जाय कि वह ठीक ठीक हिसाब और कागजात दाखिल करे और ऐसा न कर सकने पर मुबलिग .... रु० बाबत खर्चा उन कागजोंको दुबारा तैयार करनेके अदा करे।

(ग) यह कि हिसाब किताब की जांच करने के लिये अदालत की ओर से एक कमिश्नर मुकर्रर किया जावे और यह कि मुद्दाअलेह के उस रकम की डिकरी दीजाय जो कि हिसाब किताब करने के बाद मुद्दई को वाजिबुल् वसूल हो।

(घ) यह कि मुद्दाअलेह को मुद्दई का इस मुकद्दमे का खर्चा अदा करने के लिये कहा जाय।

(ङ) यह कि मुद्दईको यह अधिकार भी दिया जायकि वह उस रुपयेके ऊपर स्टाम्प लगा सके जोकि अर्जीदावामे बतलाई गई मालियत दावासे जायद मुद्दाअलेह के ऊपर वाजिब निकले।

[तस्दीक और दस्तखत]
देखो पेज १३। १४

उपरोक्त मुकद्दमें का बयान तहरीरी

[शीर्षक वगैरा जैसा न० १मे है]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है—

१ मुद्दईके पास मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश करनेका कोई कारण नही है।

२ मुद्दाअलेह इस बात को स्वीकार करता है कि उसने मुद्दई के कारिन्दा की हैसियत से काम किया, लेकिन वह अर्जीदावा के पैरा २ मे कहीगई है इस बात को स्वीकार नही करता कि उसने एकाएक बिना उस रुपये का कोई

हिसाब किताब किये जो के उसने अपनी कारिन्दगीरी के दौरान में वसूल किया है मुद्दई की नौकरी छोड़ दी है।

३ वास्तव में मुद्दाअलेह ने नौकरी छोड़ने के छः महिने पहिले अपने इस इरादे की मुद्दई को लिखित सूचना दी थी, चूंकि मुद्दई उसकी तनख्वाह बराबर ठीक समय पर नही देसका इसलिये मुद्दई की नौकरी में रहना असम्भव था मुद्दई की नौकरी छोड़ते समय उसने उस कुल रुपये का जोकि उसने अपनी कारिन्दगीरीके दौरानमे वसूल किया था पूरापूरा हिसाब देदिया था और तहसील वसूल के कुल कागजात मुद्दई के नाम व······ के हवाले कर दिये थे। वह उक्त नायब की मार्फत कुल रुपया जिसे वह उक्त मौजों से वसूल करता था बराबर मुद्दई के पास भेजदिया था और उसकी रसीद ले लिया करताथा। वे रसीदइसके साथ नत्थी हैं। उनसे यह मालूम होगा कि उसके ऊपर मुद्दईका कुछ भी बाकी नही।

४ मुद्दई, मुद्दाअलेह से खर्चा दिलापाने का दावा नही करसकता जो कि हिसाब तैयार करनेके लिये जरूरी है और यह कि उसके लिये जिस रुपये का दावा वह करता है वह हर हालत मे उचित से अधिक है।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३ १४

जरूरी जरूरी अर्जियोंके नमूने

२० कुर्क किए हुए मालकी निस्बत दावा

ब अदालत जनाब सब जज साहब बहादुर ···· ··· ···

नम्बर मुकद्दमा सन् १९ ई०

·· ··· सायल बनाम ··· ··· ··· ··· फरीकसानी

··· ··· ··· ··· डिकरीदार नं०१

··· ··· ··· ··· मादयून डिकरी न० २

सायल ······ साकिन ··· · का विनय निवेदन हैः—

१ कि डिकरीदार (फरीकसानी न० १) ने इस अदालतकी डिकरी न० १२ सन् १९२७ ई० की, जोकि मदियून-डिकरी (फरीकसानी न० २) के ऊपर तारीख ·· को दीगई थी, इजरामे सायलकी जायदाद जोकि इस अर्जीके साथ नत्थी फेहरिस्तमे बतलाई गई है कुर्क करली है।

२ यह कि मदियून, डिकरीको कभीभी उक्त जायदादकी निस्बत कोई हक या हकीयत हासिल नही था। सायलको यह जायदाद उसके बापसे मिली है और वह १२ सालसे ज़्यादा उस पर काबिज़ है और उसका उपभोग करता है।

३ ऐसी दशामे सायलकी प्रार्थना है कि अदालतमे, मुनासिब शहादतके ऊपर उस जायदादकी निस्बत सायलकी हकीयत और कब्जाके बारेमे इतमीनान करलेनेके बाद फेहरिस्तमे बतलाई गई जायदादको कुर्कीसे बरी किए जाने का हुक्म देदेवे।

सायल आपका चिरकृतज्ञ रहेगा।

[उस जायदादकी फेहरिस्त जोकि कुर्क कर लीगई है]

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

---

२१ प्रोबेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिये अर्ज़ी

ब अदालत जनाब जिला-जज साहब ... ...

.. .. प्रोबेटका मुकद्दमा न० सन् १९ ई०

प्रोबेट ऐण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐक्टके अनुसार (या सक्सेशन ऐक्ट अर्थात उत्तराधिकारके कानूनके अनुसार) मुतौफी .. की वसीयतकी नकल (प्रोबेट) के लिए ... की अर्ज़ी।

१ सायल ....जमीन्दार है और मौजा .... का रहनेवाला है।

२ उपरोक्त श्रीयुत् ...... की तारीख ... माह सन ई० को स्थान .... मे, जोकि इस अदालतके अधिकार-क्षेत्रमे है और जो उनके रहनेका नियत स्थान है, [या जहां पर कि वह अस्थायी रूपसे रहते थे, क्योंकि उनके रहनेका स्थान ... ... था जो इस अदालतके अधिकार-क्षेत्रमे है, या, जबकि दरख्वास्त किसी जिला जजके यहां दीगई हो तो, इसके साथ नत्थी फेहरिस्तमे बतलाई गई जायदादको छोड़,] इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमे है, [या जब दरख्वास्त सकसेशन ऐक्टके अनुसार किसी डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट (जिला प्रतिनिधि) को दीगई हो तो, जहां पर वह उस समय रह रहा था।]

३ जो तहरीर इसके साथ नत्थी है और जो मुझे दिखलाई गई है और जिस पर 'क' अक्षरका चिन्ह है, वह उक्त ... का आखिरी वसीयत नामा है और उसने उन गवाहोंके सामने, जिनके नाम उस वसीयत नामाके नीचे हाशिये पर दिए हुए हैं, उसकी बाकायदा तौर पर तकमीलकी थी।

४ मैंही उक्त वसीयत नामामें बतलाया हुआ वसी ... हूँ [या दरख्वास्त वसीयतनामाके साथ लगे हुए प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिए हो तो फार्म न० २२ के पैरा ३ और ४ और शामिल कर देना चाहिए]।

५ माल मतरूका की रकम, जोकि मेरे हाथमे आनेवाली है, कुल मिलाकर ... रु० से अधिक नही है जिसका हिसाब सूची (अ) मे दिया हुआ

है और यह कि जो कुछभी देना है उसकी रकम · रु० से अधिक नहीं है जिसकी कि तफ़सील हलफ़नामाकी सूची (ब) मे दीगई है और यह कि उक्त माल मतरूका की कुल रकम उन तमाम मदोंका रुपया निकाल देनेके बाद जिनको निकाल देनेका मुझे कानूनके अनुसार अधिकार है , मु० ·· रु० की मालियतके अन्दर है ।

६ मैं इस प्रार्थना पत्र द्वारा यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मै उक्त स्वर्गवासीकी सम्पत्ति और ···भरण पोषण आदिका उचित प्रबन्ध करूंगा। और उसकी एकसही और पूरी सूची (ख़र्रा) तैयार करूंगा और प्रोबेट या प्रबन्धसम्बन्धी पत्र मिलजाने की तारीख़से छः महीनेके भीतर उसे इस अदालतमें पेश करूंगा और उक्त तारीख़से एक सालके भीतर उक्त सम्पत्ति और ऋणका एक सही हिसाबभी इस अदालतमें पेश करूंगा ।

७ यह कि जहां तक मैं जानता हूँ अभी तक किसी शख़्सने किसी दूसरी अदालतको उक्त वसीयतनामाके प्रोबेट या उक्त सम्पत्ति (जायदाद) के प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोके लिए दरख्वास्त नही दीहै ।

८ इसलिए सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) उसे उक्त वसीयतनामाको सामान्य रीतिसे साबित करनेकी इजाजत दीजाय और यह कि उसका प्रोबेट [या उक्त वसीयतनामाके साथ उक्त मुतौफीकी सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र] जो ··· ··· बराबर अमलमें आते रहेगा उसे दिलाया जाय ।

(ख) दूसरी ऐसी दादरसी दिलाई जाय जोकि अदालतको उचित जानपड़े।
सूची (अ) सूची (ब)

[दस्तख़त वकील] [दस्तख़त सायल]

मैं ·· ·· · जिसने उपरोक्त दरख़्वास्त पेशकी है, इसके ज़रिये यह एलान करता हूँ कि उसमें जो कुछभी लिखा है वह, जहां तक मैं जानता हूँ और जहां तक मेरा विश्वास है, सही है । देखो पेज १३ । १४

गवाह ··· ··· ··· [दस्तख़त सायल]

मैं कि ··· ··· ··· साकिन ··· ···
जोकि ·· ··· के आखिरी वसीयतनामाके, जिसका जिक्र उपरोक्त प्रार्थना-पत्र (अर्जी) में किया गया है, गवाहोंमेंसे एक हूँ, यह इजहार करता हूँ कि मैं उस जगह पर मौजूद था और मैंने उसे उक्त वसीयतनामाके ऊपर, जोकि अब मुझे दिखलाया गया है और जिस पर "(क)" निशान डाला गया है अपना हस्ताक्षर करते (या निशान बनाते) हुए देखा [या यह कि उक्त मवसीने उपरोक्त अर्जीके साथ नत्थी तहरीरको, जोकि अब मुझे दिखलाई गई है और जिस पर "क" निशान डाला गया है, मेरे सामने अपनी आखिरी वसीयत स्वीकार किया है,] (हस्ताक्षर)

२२ प्रवन्ध सम्बन्धी पत्रके वास्ते नालिश

[शीर्षक मुकद्दमा]

जैसा कि फार्म न० २१के पेरा न० १और २ मे है

३ उक्त "अ आ" नीचे लिखे अपने सम्बन्धियोंको जीवित छोड़ कर मर गये हैं —

(१) क ख ... (जो सायल और लड़का है)

(२) ... ग घ ... (सकूनत और वालिदयत वगैरा) जो उसके लड़के हैं,

(३) .. ङ च .. धर्म-पत्नी श्री साकिन ... जोकि उसकी लड़की है,

(४) छ ज ... साकिन ... जोकि उसकी स्त्री है,

(५) झ ञ .. साकिन ... जोकि उसकी अविवाहिता कन्याए हैं,

(६) ट ठ साकिन ... .. और .. ड ढ .. साकिन जोकि उसके भाई है जिनमेसे टठ की तारीख .. को मृत्यु होगई है और जिसके कोई ... या दूसरे रिश्तेदार नही है।

४ उक्त बिना कोई वसीयत लिखे मरगए है और सायल बहैसियत उसके बडे लड़केके उसकी सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रके लिए दावेदार है।

५ जो माल मतरूका मेरे हाथमे आनेवाला है वह कुल मिलाकर मुबलिग रु० से कम नही है जिसका ब्योरेवार हिसाब सूची (अ) में दिया हुआ है और यह कि जो कुछ देना है उसकी रकम रु० है जिसकी तफसील हलफनामाके साथ नत्थी सूची (ब) मे दीगई है, और यह कि उक्त माल मतरूका की कुल रकमकी, उन तमाम मदोंको अलग करके जिनको अलग करनेका मुझे कानूनके अनुसार अधिकार है, मालियत .. रु० के भीतर है।

६ मै इस प्रार्थना-पत्र द्वारा यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उक्त स्वर्गवासी 'अ आ' की सम्पत्ति और ऋण आदिका उचित प्रबन्ध करूगा और उसकी एक सही और पूरी सूची (खर्रा) तैयार करूगा और प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके पाजाने की तारीखसे छ: महीनेके भीतर उसेइस अदालतमे पेश करूगा और उक्त तारीख से एक सालके भीतर उक्त सम्पत्ति और ऋणका एक सही हिसाब भी इस अदालतमे पेश करूंगा।

७ यह कि जहां तक सायलको मालूम है, अभी तक किसी दूसरे शख्सने उपरोक्त स्वर्गवासी की सम्पत्तिके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिए कोई दरख्वास्त नही दी है।

८ इसलिए सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) उक्त स्वर्गवासी ··· की सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र जोकि ··· के भीतर बराबर अमलमे आते रहेंगे, उसे दिलाए जाय।

(ख) दूसरी और ऐसी दादरसी दीजाय जिसे अदालत उचित समझे।

[दस्तख़त वकील] [दस्तखत सायल]

सूची (अ) और (ब) तस्दीक़ वगैरा जैसा कि पेज १३।१४ है।

---

२२ प्रोबेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिए दीगई अर्ज़ीकी नोटिस

सेवामें श्रीमान् ·· कलक्टर ·· इस तहरीरके जरिए यह नोटिस दीजाती है कि स्थान ··· के जिला जज [या प्रतिनिधि] के इजलासमें स्वर्गवासी ··· (वल्दियत क़ौमियत और सकूनत) के, जिनका तारीख़ ···· माह ······ सन् ······ को स्थान ··· में वैकुण्ठ वास होगया है, वसीयतनामा [और उस वसीयतनामाके अनुबन्ध (तितिम्मा)] के, जो [क्रमशः] तारीख़ ··· माह ··· सन् ·· ई० [और तारीख़ माह ··· सन् ··· ई०] के हैं, प्रोबेट [या सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र या तारीख ··· माह ·· के वसीयतनामाके साथ नत्थी सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र,] श्री ··· · ··· (वाल्दियत, क़ौमियत और सकूनत) को, जोकि उक्त वसीयतनामामें बतलाए गए वसी लोगोंमेसे एक है [या उक्त स्वर्गवासी ······ के भाई और निकटस्थ कुटुम्बीहै या जैसा कुछ हो,] दिलानेके लिए दरख्वास्त दीगई है।

["जब यह नोटिस कलक्टरके अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्तिके पास भेजी जानेको हो तो"] और यह कि तारीख़ माह ··· सन् ई०को उक्त अर्ज़ीकी समाअतकी तारीख मुक़र्ररकी गई है और यह कि अगर आप इसका विरोध करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उक्त अदालतमें उज्रदारी दाखिल करे।

उस जायदादकी कुल मालियत मुबलिग़ ··· रु० और असली मालियत ··· रु० है।

आज तारीख़ ··· माह ··· सन ··· ई०।

वकील··· ··· ··· ··· ···जजके दस्तख़त

---

२४ वली मुकर्रर किए जानेके लिए अर्जी

[शीर्षक जैसा नं० २१ मे है]—

ब अदालत जनाब जिला जज साहब मुकाम—

प्रारम्भिक दरख्वास्त न०   सन   ई०

बमुकद्दमा ...   ... नाबालिग

...   . सायल

(गार्जियन ऐण्ड वार्ड्स ऐक्ट सन १८९० ई० के अनुसार दरख्वास्त)

उपरोक्त सायलका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है —

१   सायल एक जमीन्दार और मौजा ... का रहने वाला और उपरोक्त .. नाबालिगका बड़ा भाई है।

२ यह कि सायलकी यह दरख्वास्त है कि वह नाबालिग . वल्द . सा० ..के जिस्म और जायदादका वली मुकर्रर किया जाय।

३ कानूनके अनुसार जिन बातोंकी जरूरत है, वे नीचे दीजाती है —

(क) १ नाबालिगका नाम .. .

२ मर्द या औरत . .. मर्द।

३ धर्म (मजहब) . हिन्दू।

४ जन्म तिथि ' ३ मार्च सन १९२७ ई०।

५ विवाहित या अविवाहित ... . अविवाहित।

६ नाबालिग की आय सकूनत मौजा . जोकि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है।

[अगर नाबालिग विवाहित है तो,औरयदि वह स्त्री जाति है तो,उसके पति का नाम अवस्था (उम्र) और पता लिखना चाहिए, और यदि वह पुरुष है तो इतना लिख देना चाहिए कि वह विवाहित है।]

(ख) नाबालिग बहैसियत अपने बाप श्री .. . के दो जीवित लड़कोंमेंसे एक लड़केके, बशिराकत सायलके और बपाबन्दी हकूक गुजारा व सकूनत अपनी मा मुसम्मात   के इस अर्जीके साथ नत्थी सूची (अ) मे बतलाई हुई जायदाद मनकूला और गैर मनकूलाके, जो करीब करीब उक्त सूची के खाना ३ मे बतलाई गई माल्कियतकी है, और सायलके कब्जेमे है अविभक्त (गैर मुन्किसमा) बराबरके आधे हिस्सेके लिए हकदार है।

(ग) नाबालिगके जो सम्बन्धी अब जीवित है वे ये हैः—

१ सायल जोकि उसका बड़ा भाई है।

२ उसकी मा मुसम्मात   जो ... मे रहती है।

३ उसकी बहन मुसम्मात ... धर्मपत्नी .. जो .. मे रहती है।

४ उसका चचा   जो . मे रहता है।

नाबालिगके बाप   की मृत्यु तारीख -   माह ... सन् . ई० को या उसके करीब हुई थी।

(घ) अदालतने किसी शख्सको नाबालिगके जिस्म और जायदादका कोई वली मुक़र्रर नही किया है, और इस नाबालिग़के जिस्म या जायदादकी बलायतकी निस्बत अभी तक इस अदालतमें कोई दरख्वास्त नही दीगई है।

(ङ) जो शख्स वली तजवीज किया गया, वह जमीन्दार है और विश्व विद्यालयकी शिक्षा प्राप्त किए हुए है तथा बी० ए० पास है। वह पुरुष श्रेणीमे नाबालिग़का सबसे निकटस्थ सम्बन्धी है और उसके चार बच्चे है और अपने परिवारके साथ स्थान ··· मे रहता है। उसकी आर्थिक अवस्था अच्छी है, क्योंकि उसकी ·· रु० वार्षिक की आय है, तथा उसका आचरण अच्छा है और वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसका व्यापारी स्वभाव है, और वह नाबालिग़के जिस्म और जायदादका वली मुक़र्रर किए जानेके लिए बिल्कुल योग्य व्यक्ति है।

४ इसलिए सायलकी प्रार्थना है:—

(क) कि वह उपरोक्त नाबालिग़के जिस्म और जायदादका वली मुक़र्रर किया जाय।

(ख) यह कि वली की ओरसे दीजाने वाली ज़मानतकी रक़म ··· रु० निश्चित की जाय, और यह कि ··· ··· और ··· उसके ज़मानतदार स्वीकार किए जायं।

(ग) यह कि मुबलिग ·····रु० की रकम वास्ते नाबालिग़के गुजाराके मुक़र्रर की जाय।

(घ) दूसरी और भी ऐसी दादरसी दीजाय जो अदालतको उचित जान पडे।

सूची (अ)

में कि ··· , जोकि ऊपर बतलाया गया सायल हूँ, इस तहरीर के जरिये यह इजहार करता हूँ कि पैरा ··· में लिखी गई बातोको मे सही जानता हूँ और पैरा ·· मे लिखी गई बातोंको अपनी सूचना और विश्वास के अनुसार सही मानता हूँ (देखो पेज १३ । १४)

मैं ··· ·· इस तहरीरके जरिये उपरोक्त नाबालिगके जिस्म और जायदादका वली होना स्वीकार करता हूँ, बशर्ते कि अदालत मुझे मुक़र्रर करना मुनासिब समझे।

उक्त ··· ने श्रीयुत ··· ··· (वल्दियत और सकूनत) ··· ··· और श्रीयुत ··· (वल्दियत और सकूनत) के सामने दस्तखत किया।	दस्तख़त (सायल) तारीख़······सन् ····

२५ वरासतके सार्टीफिकटके लिए दरख्वास्त

(शीर्षक जैसा कि न० २१ मे है)

बअदालत .. ..

सक्सेशन सार्टीफिकट ऐक्ट सन् १८८९ ई० के अनुसार ' ' की अर्जी।

उपरोक्त सायलका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है.—

१ ' ' सायल एक जमीन्दार और स्थान ''' का रहने वाला है।

२ उपरोक्त ' की तारीख '' माह सन् '' ई० को स्थान ' मे जोकि, इस अदालतके अधिकार-क्षेत्रमे है और जहां पर कि उस समय, वह आमतौर पर रहा करता था [या स्थान ... में जो कि उस समय उसके रहनेका कोई निश्चित नही था] मृत्यु होगई और वह इसके साथ नत्थी सूची (अ) में बतलाई गई जायदादको इस अदालतके अधिकार-क्षेत्रमे छोड गया है।

३ यह कि मुतौफीके नीचे लिखे सम्बन्धी जीवित बचे हैं —

१ मा ' ...	वल्दियत, कोमियत और सकूनत।	यहां पर परिवार या सम्बन्धियोंका पूरा ब्योरा पूरे नाम और पता सहित और इस बातके सहित कि उनमेसे हर एक के साथ मुतौफीका क्या सम्बन्ध है लिखना चाहिए।
२ लड़की	,,	
३ विधवा स्त्री ...	,,	
४ भाई	,	
५ नाबालिग लड़का	,,	
६ लड़का ..	(सायल)	

४ यह कि मुतौफीका बड़ा लड़का होनेकी हैसियतसे सायल इस ऐक्टके नियमानुसार सार्टीफिकट दिला पानेके लिए दावेदार है।

५ उक्त मुतौफी मजहबका सुन्नी फिर्केका मुसलमान था और उस पर सक्सेशन ऐक्ट (कानून वरासत) सन् १८६५ ई० के नियम लागू नही होते हैं और वह बिना कोई वसीयत लिखेही मर गया।

६ जहांतक मै जानता हूँ अदालतमे अभी तक कोई भी दरख्वास्त सक्सेशन सार्टीफिकट ऐक्ट सन् १८८९ ई० के अनुसार किसी सार्टीफिकटके लिए, या उक्त के कर्जे, जमानत और रियासतके सम्बन्धमे प्रोबेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिए नही दीगई है और न ऐसा सार्टीफिकट, प्रोबेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र दिया गया है, और दफा १ (४) के अनुसार, या उक्त ऐक्ट अथवा किसी दूसरे कानूनके अनुसार उस सार्टीफिकटके देनेमे जिसके लिए कि दरख्वास्त कीगई है [या, अगर अदालत उसे दे दिया है तो, उसके जायज होनेमे] कोई रुकावट नही है।

७ उन कर्जों और जमानतों इत्यादिकी जिनके सम्बन्धमे सार्टीफिकट तलब किया गया है, तफ़ज़ील सूची (ब) मे दीगई है जोकि इसके साथ नत्थी है।

८ सायलने अदालतमे सार्टीफिकटके सम्बन्धमे दीजाने वाली मुनासिब फीस अदा करदी है।

९ [किसी भी शख्सके ऊपर इस अर्जीकी नोटिस तामील करानेका इरादा नही है यह बात निकाल दीजायगी। अगर पैरा १० के क्लाज (क) का सम्बन्ध है]

१० इसलिए सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) इस अर्जीकी नोटिस की तामील ... पर कीजाय जिनका नाम इस अर्जीके पैरा ३ मे बतलाया गया है [और यह कि उसमे बतलाए हुए दूसरे लोगोंके ऊपर नोटिस रद्द कीजाय]

(ख) यह कि सक्सेशन सार्टीफ़िकट ऐक्टके अनुसार उसे सार्टीफिकट ऐसा दिया जाय, जिससे उसको, कर्जेके रुपये की तहसील वसूल करने और इसके साथ लगी हुई सूचीमें बतलाई, गई जमानतोंके ऊपर ब्याज और मुनाफ़ाका हिस्सा लेने तथा उन्हे बेच देने और मुन्तकिल कर देनेका अधिकार दिया जाय।

(ग) दूसरी ऐसी दादरसी दीजाय जो अदालतको उचित जान पडे।

सूची (अ) मुतौफ़ीकी जायदाद जो अदालतके अधिकार-क्षेत्रके भीतर है।

सूची (ब) वह कर्जा जोकि मुतौफ़ीकी जायदादपर वाजिब है जिसके सम्बन्धमे सार्टीफ़िकटके लिए दरख्वास्त है।

(दस्तख़त) .. .. (दस्तख़त) .. सायल

वकील ... ...

मैं इस तहरीरके जरिये इजहार करता हूँ कि उपरोक्त बातें जहां तक मैं जानता हूँ सही है, सिवाय उन बातोंके जो सूचना और विश्वासके अनुसार लिखी गई है, और उन बातोंके सम्बन्धमें मुझे विश्वास है कि वे सही है।

(देखो पेज १३ । १४

(दस्तख़त-सायल)

---

२६ किसी पागलका वली मुक़र्रर किए जानेके लिए दरख्वास्त

ब अदालत जनाब जिला-जज साहब ... ...

पागलका वली मुक़र्रर किए जानेके लिए दरख्वास्त।

सायल .. .. वल्द ... ... साकिन ... का यह विनम्र निवेदन है कि:—

१ सायल इस हुक्मके लिए यह दरख्वास्त देता है कि इस बातको तय करनेके लिए जांच कीजाय कि क्या सायलके भाई .. ... का दिमाग सही नही है और इसलिए वह अपने जिस्म और मालकी हिफ़ाज़त कर सकनेके नाकाबिल है?

२ यह कि अगर जांच करने पर मालूम होजाय कि ऊपर बतलाया हुआ व्यक्ति पागल है, तो सायलकी प्रार्थना है कि वह उक्त पागलके जिस्म और माल का वली मुकर्रर किया जाय।

३ यह कि उक्त पागलकी आयु ... वर्ष है और वह जातिका हिन्दू है और यह कि वह इस समय सायलकी सिपुर्दगीमे है उसके मकानमे जो .. वाके है जोकि इस अदालतके अधिकार-क्षेत्रमे है।

४ यह कि सायल और उस पागलकी स्त्री श्रीमती ... ही जोकि सायलके मकान पर रह रही है, सिर्फ उस पागलके दो नजदीकी रिश्तेदार है।

५ यह कि किसी भी मुनासिब अदालतने अभी तक उक्त पागलके जिस्म और जायदादका कोई वली मुकर्रर नही किया है।

६ यह कि सायलका यह विश्वास है कि उसका भाई . महीना सन् १९. ई० से पागल है और अपने तथा अपनी जायदादका इन्तजाम करनेके नाक़ाबिल है।

७ यह कि उक्त पागलकी जायदाद किस क़िस्मकी है, वह कहां पर वाके है और उसकी तख़मीना मालियत क्या है, ये बातें सूची (फ़ेहरिस्त) मे दीगई है जोकि इस अर्जीके साथ नत्थी है।

८ इसलिए सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) तमाम जरूरी जांच कर लेनेके बाद वह उक्त पागलके जिस्म तथा जायदादका वली मुकर्रर किया जाय।

(ख) दूसरी ऐसी दादरसी दीजाय जोकि अदालतको उचित जान पड़े।

[तस्दीक़ और दस्तख़त [फ़ेहरिस्त जायदाद]

देखो पेज १३।१४

---

२७ ऋणीकी दरख़्वास्त वास्ते दीवालिया क़रार दिए जानेके

बअदालत जनाब ... .

. ... सायल

१ मै (यहां पर नाम, वल्दियत, सकूनत वगैरा और पता लिखना चाहिए) जोकि आमतौर पर मुकाम .. ... मे रहता हूँ (या ... . अपना व्यापार करता हूँ या आमदनीके लिए शरीरसे काम करता हूँ) (अदालतका नाम और उस डिकरीकी तफ़सील जिसके सम्बन्धमे हुक्म दिया गया है या रुकावट डाली गई है या जिसके द्वारा कुर्कीका हुक्म दिया गया है) के हुक्मके अनुसार अपना कर्जा अदा कर सकनेमे असमर्थ होकर, यह दरख्वास्त देता हूँ कि मैं दीवालिया करार दिया जाऊं।

२ मेरे ऊपर कर्ज़ोंकी रकमोंका जो कुछभी दावा है वह ··· रु० है (यहां पर यह लिखना चाहिए कि किसी कर्ज़ेमें कोई ज़मानत है और अगर है तो कैसी है) जैसा कि सूची (अ) में बतलाया गया है जोकि इस अर्ज़ीके साथ नत्थी है और जिसमें मेरे कुल महाजनोंके नाम और पता, जहां तक मैं उन्हें जानता हूं या पता लगा सका हूं, लिखे हुए हैं।

३ मेरी सारी जायदादकी तादाद और तफ़सील सूची (ब) में, जोकि इस अर्ज़ीके साथ नत्थी है, और मेरी कुल जायदादकी, जिसमें रुपया शामिल नहीं है, और उस स्थान या उन स्थानोंकी तफ़सीलके, जहां पर कि वह जायदाद है, दीगई है और मैं इस तहरीरके ज़रिये यह इज़हार करता हूं कि मैं अपनी कुल ऐसी जायदाद अदालतके हवाले कर देनेके लिए तैयार हूं सिवाय उनके जिनमें ऐसी चीज़ें शामिल हैं (और मेरी हिसाबकी किताबें नहीं हैं) जो क़ानूनके अनुसार किसी डिकरीकी इजरामें कुर्क और नीलाम किए जानेसे मुस्तस्ना हैं।

४ मैंने इससे पहिले कभी भी दीवालिया क़रार दिए जानेके लिए कोई दरख़्वास्त नहीं दी, या, मैं सूची (स) में दीवालिया क़रार दिए जानेके सम्बन्धमें दीगई दरख़्वास्त या दरख़्वास्तोंका ब्योरा देता हूं [यहां पर लिखी जानेवाली बातोंके सम्बन्धमें देखो दीवालिया ऐक्टकी दफ़ा १३ (१) एफ़ (१) (२)।

सूची (अ) सूची (ब), सूची (स),

(तस्दीक़ और दस्तख़त)

देखो पेज १३।१४

---

२८ ज़ब्ती आराज़ीके मामलेमें दावा (बंगाल)

[शीर्षक जैसा नं० १ में है]

सेवामें

श्रीमान् डिपुटी कलक्टर साहब स्थान ··· ··· ··· ···

··· मुक़द्दमा नं० ··· सन् ··· ई०

सायल ··· ··· वल्द ··· ··· साकिन ··· का विनम्र निवेदन है कि—

१ सायल उक्त ··· ··· खेत नं० ··· का दख़ीलकार क़ाश्तकार है और उक्त आराज़ीकी बाबत उसे ··· रु० फ़ी बीघाके हिसाबसे श्रीयुत ··· ··· ज़मीन्दारको लगान अदा करना पड़ता है।

२ यह कि उक्त खेतोंका क्षेत्र फल (रक़बा) ··· बीघा ··· कट्ठा और ··· वर्ग-फ़ीट है और उनकी इस समय बाज़ारू दाम ········· रु० फ़ी बीघा है, यह कि उक्त आराज़ीकी क़ीमतमेंसे ज़मीन्दार उस ज़मीनके सालाना

लगानके बीस गुनेके करीब पानेका हकदार है और सायल बाकी रुपयेके पानेका हकदार है।

३ यह कि किता आराजी नं० ... के ऊपर, जोकि वर्ग फीट है, जिसमें बहुतसी इमारतें और नौकरों चाकरोंके रहनके मकान हैं और उनकी मौजूदा बाजारू कीमत रु० है और सायल यह रकम बतौर उक्त इमारतके मुआविजाके रुपयेके पानेका हकदार है।

४ ऊपर बतलाई हुई दशामें सायलका यह कहना है कि वह ... रु० और उसके साथ १५) रु० सैकड़ा कानूनी भत्ता-कुल मिलाकर रु०, जैसा कि इस अर्जीके साथ लगी हुई सूची (फेहरिस्त) में बतलाया गया है, उक्त जमीन और इमारतकी जब्तीकी बाबत दिला पानेका हकदार है।

हिसाबकी सूची

जमीनकी कुल कीमत दरि ... रु० फी बीघा ...	...	रु० ।
इमारत वगैराकी कीमत ,, ,, ,,	...	रु० ।
जमीन्दारका हिस्सा निकाल कर ...	...	रु० ।
	जोड़	रु०
कानूनी भत्ता १५) रु० सैकड़ाकी दरसे	...	रु०
	कुल जोड़	रु०

दस्तखत व तस्दीक़)
देखो पेज १३।१४

---

२६ क़ानून ज़ब्ती आराज़ीकी दफा १८ के अनुसार दीवानीमें मामलेका दिया जाना (बंगाल)

सेवामें

श्रीमान् डिपुटी कलक्टर साहब जब्ती आराजी स्थान—

तजवीज .. मुकद्दमा नं० सन् ई०

सायल वल्द .. साकिन का विनम्र निवेदन है कि—

१ इस दफ्तरने उपरोक्त तजवीजके किता नं० . की तखमीना मालियतकी निस्बत जिस ढगसे हुक्म दिया है और मुआविजाके रुपयेकी जिस ढगसे हिस्सा रसदी तकसीम की है, उससे असन्तुष्ट होकर सायल यह प्रार्थना करता है कि कानून जब्ती आराजीकी दफा १८ के अनुसार, उक्त तजवीजके किता नं० की मुनासिब मालियत तय किए जानेके लिए और सायल तथा उसके असामीके बीच मुआविजेके रुपयेका हिस्से रसदी मुनासिब बटवारा किए जानेके लिए यह मामला अदालत दीवानीमें दिया जाय।

२ यह कि उक्त किता नं० की मालियत रु० है, ... रु० नहीं जैसा कि कलक्टर साहबने अपने फैसलेमें बतलाया है।

३ यह कि किता जमीन नं० · पर वाके इमारतकी कीमतकी बाबत असामी सिर्फ ·· रु० ही पानेका हकदार है और सायल मुआविजेका बाकी कुल रुपया पानेका हकदार है और यह कि चूंकि असामी सायलके मातहत सिर्फ एक माफीदार है इसलिए वह उस ज़मीनका हिस्सा पानेका हकदार नहीं है।

(दस्तखत व तस्दीक)

देखो पेज १३।१४

---

३० याद्दाश्त अपील

[शीर्षक वग़ैरा जैसा नं० १ मे है]

बअदालत जनाब जिला-जज साहब ··· ··· ···

अपील नं० ··· सन् ······ ई०

··· ··· ··· ·· ··· मुद्दई अपीलाण्ट

बनाम

··· ··· ··· ··· मुद्दाअलेह-रेस्पाण्डेण्ट

उपरोक्त मुद्दई, उस डिकरीसे असन्तुष्ट होकर जो ··· ··· के मुंसिफ साहबने तारीख़ ··· को मुकद्दमा नं० ··· मे दी है, उक्त डिकरीके विरुद्ध यह अपील पेश करना चाहता है जिसकी दूसरी वजहोमेसे कुछ वजहे ये हैं:—

१ यह कि नीचेकी अदालतने यह तय करनेमें, कि मुकद्दमेकी मियाद आरिज होगई है, कानूनी गलतीकी है।

२ यह कि नीचेकी अदालतको यह तय करना चाहिए था कि मुद्दई यह मुकद्दमा दायर किए जानेकी तारीख़से बारह सालके भीतर आराजी मुतनाज़ाके ऊपर काबिज था।

३ यह कि नीचेकी अदालतको शहादतके ऊपर यह तय करना चाहिए था कि जो 'किवाला' मुद्दाअलेहने दाखिल किया है वह फ़रेबसे हासिल किया गया था और वह बिलकुलही सही दस्तावेज़ नहीं था।

४ यह कि अदालतने उस 'किवाला' को इस मुकद्दमेंकी शहादतमें लेकर बड़ी भारी कानूनी गलती की है।

५ यह कि नीचेकी अदालतको नहीं चाहिए था कि वह तहसील-वसूलके कागज़ों और पैदावारके ऊपर जोकि मुद्दईकी ओरसे दाखिल किए गए थे, विश्वास नकरे।

६ यह कि नीचेकी अदालतको शहादतके ऊपर यह तय करना चाहिए था जैसा कि अर्जीदावामें बतलाया गया था।

७ यह कि नीचेकी अदालतका फैसला मुकद्दमेंमें दीगई शहादतके प्रभावके विरुद्ध है और यह कि यह न्याय, इन्साफ़ और शुद्ध अन्तः करणके विरुद्ध है।

मैं इस बातकी तस्दीक् करता हू कि मैने इस मुक़द्दमेंके कागजातकी जांचकी है और यह कि मेरी रायमें ऊपर बतलाई हुई वजहे इस अपीलके लिए अच्छी वजहे है और उसे तैयार कर चुकने पर मै अदालत अपीलके सामने हाजिर होने और अपीलकी पैरवी करनेकी प्रतिज्ञा करता हू ।

(दस्तख़त वकील)

---

३१ आम मुख्तार नामा

सर्व साधारणको विदित हो कि मैं • वल्द उमर··· कौम हिन्दू, पेशा जमीन्दार, साकिन हाल परगना ··· तहसील जिला ने श्री वल्द··· कौम साकिन • को मेरी जगह पर और मेरे नामसे, काम करनेके लिए अपना सच्चा और क़ानूनी मुख्तार नामजद किया, बनाया और नियत किया है और इस तहरीरके जरिये नामजद करता हू, बनाता और मुकर्रर करता हूं और अपनी जगह पर और अपने बजाय काम करने के लिये नियुक्त करता हूँ और अपना अधिकार देता हू कि वह जैसा कि उक्त मुख्तारको मुनासिब और मेरे मतलब और फायदेके लिए जान पडे, नीचे लिखे कुल कामोंको करे —

किसी न्यायालयमें किसी प्रकारके कर्ज़े या रुपये, अधिकार, हक़ीयत, हिस्से, जायदाद, मामले या चीजको दिलापानेके लिए जोकि मुझे मिलना है या वाजिबुल वसूल है या मिलनेको या वाजिबुल वसूल होनेको हो या और किसी तरह मेरी मिल्कियत हो या उसी मुक़द्दमे या कार्रवाई तथा उन तमाम मुक़द्दमों या कार्रवाइयोंमें मेरी तरफसे हर अङ्गरेजी व रियासती अदालतोंमे हाजिर हों और मेरी तरफ़से पैरवी करें, अदालतमें दाखिल होने वाले कागजों पर मेरा नाम वकलम अपने लिखे और तस्दीक़ करावे । अदालतो व सरकारी मोहकमोंसे अपनी रसीद दाखिल करके मेरा याफ्तनी रुपया उठावे और उस रसीदकी तस्दीक़ करे । और जो कुछ कि कार्रवाई किसी भी मुक़द्दमे या मामलेमे जरूरी होकरें पंच मुकर्रर करें और मेरी तरफसे बयान लिखावे इजहारदें और अपनी तरफसे कोई वकील आदि या मुख़्तार ख़ास किसी मामलेमे नियत करे । जो कुछ कि कार्रवाई मेरे उक्त मुख्तार आमके द्वारा की जायगी वह सब ऐसी समझी जायगी कि उसे मैंने खुदकी है और उसका मैं पूरा पाबद हूगा इसलिए यह आम मुख्तार नामा लिख दिया कि सनद रहे तारीख़ माह सन् ई०

(दस्तख़त)

रजिस्ट्री

---

३२ मुख्तारनामा ख़ास

[किसी दस्तावेजकी रजिस्ट्रीके लिए]

सर्व-साधारणको विदित हो कि मैं ... . ;.. वल्द साकिन क़ौम पेशा साकिन जिला का हूं। चूंकि मैंने एक दस्तावेज व हक़ वल्द क़ौम साकिन के लिख दिया है और चूंकि उक्त दस्तावेज़की तकमील को स्वीकार करनेके लिए मै रजिस्टरिङ्ग अफसर स्थान के सामने स्वय हाजिर हासकनेमें असमर्थ हूं इसलिए मेरे लिए यह आवश्यक होगया है कि उपरोक्त तकमील और तस्दीक़ करनेके लिए मैं किसी शख्सको अपना मुख्तार मुक़र्रर करूं। और इसलिए मै उक्त दस्तावेजकी रजिस्ट्री कराने के लिए और उस दस्तावेजकी तकमीलको मजूर करनेके लिए श्रीयुत वल्द ' क़ौम साकिन पेशा को अपना मुख्तार मुक़र्रर किया है, कि वह मेरे नामसे और मेरी ओरसे उक्त दस्तावेजको मुनासिब रजिस्टरिङ्ग अफसर मुक़ाम के सामने रजिस्ट्रीके वास्ते पेश करे और मेरी ओरसे उक्त दस्तावेज की तकमीलको तस्लीम करें।

तारीख़ (दस्तख़त)

नोट—ऐसे मुख्तारनामेकी रजिस्ट्री होना चाहिये।

३३ पट्टा (बंगाल)

आज तारीख माह सन् १९ ई० को श्री ... ... (जोकि इसमें आगे चल कर पट्टा देहन्दाके नामसे सम्बोधित किए गए हैं) तथा श्री · (जोकि आगे चल कर पट्टादार कहे गए हैं) के बीच इकरारनामा हुआ, जिसके जरियेसे पट्टा देहिन्दाने वह कुल ईंटसे बना हुआ पक्का मकान या हवेली मय उन कुल बाहरी मकानों, गोदामों, अस्तबलों, गाड़ी खानो तथा तमाम दूसरी उससे सम्बन्ध रखने वाली चीजों और तमाम हक़ूक़, हक़ूक़ आसाइश और रिआयतोंको, जोकि उनसे सम्बन्ध रखती है और जो ... ' ... पर शहर ·· के अन्दर वाक़े है [यहां रकबा और हदूद अरबा लिखना चाहिए,] तारीख माह सन् १९ ई० से सालाना मियाद पट्टेदारी पर और रु० सालानाके किरायेपर जोकि सिर्फ हर महीनेकी पांचवी तारीखको या उससे पहिले अदा किया जायगा उठा देने का इकरार किया और पट्टेदारने उसे लेनेका इकरार किया, और पट्टेदार इस तहरीरके जरिये पट्टा देहन्दाके लिये नीचे लिखा इकरार करता हूं —

१ यह कि ऊपर बतलाए हुए दिनों और तरीक़े पर उक्त लगान (किराया) और रकम अदा करता रहेगा।

२ उक्त मकान और जगहमें एक ठीक और ऐसे तरीके से रहते रहेंगे और

उसको इस्तेमाल करते रहेंगे कि वह काबिल सकूनतबना रहे।

३ पट्टादारी के दौरानमें उक्त मकान वगैरा के लगाये गये रेट, महसूल और अबवाबको अदा करता रहेगा।

४ यह कि उक्त जगहके ऊपर कोई भी व्यापार या कारबार नहीं किया जायगा बल्कि उक्त मकान और जगह सिर्फ रहने वगैराके कामके लिए इस्तेमाल किए जायगे।

५ यह कि पट्टेदार इस इकरारनामाके अनुसार उक्त इकरारनामामें अपने हक को किसीके नाम मुन्तकिल नहीं करेगा और न बिना तहरीरी रजामन्दी उस जमीन्दारके उसके या उसके किसी हिस्सेके कब्जेको छोड़ सकेगा और न उसे किसी शख्सको शिकमी उठा सकेगा।

६ यह कि पट्टा देहन्दा और उसके कारिन्दा या मुख्तारको कानूनन यह अधिकार होगा कि वह उसकी हालतको देख भाल करनेके लिए इस मियाद पट्टेदारीके दौरानमें तमाम मुनासिब मोकोंके ऊपर उक्त मकाम और हाता के अन्दर जासके। लेकिन इसके साथ यह शर्त हमेशा लगी रहेगी कि अगर कोई भी किराया, उन तारीखों पर जोकि इसकी आदायगीके लिए इसके बादमें मुकर्रर की जायँगी अदा न किया जायगा, चाहे वह जानतेसे तलब किया गया हो या न किया गया हो या अगर पट्टेदार दीवालिया होजायगा या अपने महाजनोंके साथ कोई राजीनामा (सुलहनामा) कर लेगा या अगर पट्टेदार इस इकरारनामाके ऊपर बाकायदा तौर पर अमल नहीं करेगा तो पट्टा देहन्दा, उसके तामील कुनिन्दो, प्रबन्धको या मुन्तकिल अलेहोंको कानूनन यह अधिकार होगा कि वे उक्त मकान और जगहके ऊपर फिर कब्जा करले और उसमेसे कुल आदमियोंको निकाल दें और हटा दे और जो पट्टा इस तहरीरसे पैदा होता है वह खतम होजायगा।

और पट्टा देहन्दा पट्टेदारके साथ नीचे लिखा इकरारनामा करता है:—

१ यह कि पट्टेकी मियादके दौरानमें उस मकानके बाहरी हिस्सेकी मरम्मत करवाता रहेगा।

२ यह कि उक्त किरायाको अदा करते हुए और इस इकरारनामाके अनुसार कार्य करते हुए पट्टेदार, पट्टा देहन्दा, या किसी दूसरे शख्सकी ओरसे जोकि उसके लिए या उसके जरियेसे दावेदार है उसके द्वारा बिना किसी प्रकारका कोई हस्तक्षेप किए हुए शान्तिके साथ उस मकानमें रह सकता है और उस जगहको इस्तेमाल कर सकता है।

इसके सबूतके लिए इस इकरारनामाके फरीकेनने आज तारीख माह·· सन् · · को उस पर अपने अपने दस्तखत किए और अपनी अपनी मोहरें लगादी।

---

३४ हिबानामा (दानपत्र)

मैं कि ... ... वल्द ... क़ौम ... ...
साकिन .. .. ज़िला ... ... का हूँ। चूंकि
मुसम्मी ... ... को मैंने परवरिश किया था और उसने
अपने समस्त जीवन कालमें बहुत ही सच्चाई, ईमानदारी तथा शुभचिन्तकताके
साथ मेरी सेवा की और मुझे हरप्रकारसे खुश रखा। तीन वर्ष व्यतीत हुए, जब
कि उसका देहान्त होगया था। उसका पुत्र मुसम्मी ... ... भी
बहुतही सच्चाई और नेकनीयतीके साथ मेरी खिदमत करता है। अतएव मैं इस
विचारसे कि मुसम्मी ... ... मेरे परवरिश किये हुए,
एक निहायत ईमानदार नौकरका पुत्र है और स्वयं भी अपने पिताके समान ही,
मेरी सेवा करता रहा है, मैं अपनी स्वतंत्र इच्छासे, ख़ुशीके साथ, ठीक होसहवास
में प्रतिज्ञा करता हूँ और लिखे देता हूँ कि कुल जायदाद स्थावर तथा जङ्गम
वगैरा मुफ़स्सिल जैल उसको हिबा करदी, और आजसे उस रियासतसे अपना
अधिकार निकालकर, उसका कब्ज़ा मालिकाना करा दिया और अपने समान
अधिकार दे दिया।

भविष्यमें मुझे अपने जीवनकालमें तथा मेरे वारिसोंको मेरी मृत्युके पश्चात
उक्त जायदाद पर कोई अधिकार या दावा न होगा।

तफ़सील जायदाद जो हिबा कीगई

स्थावर ... ... क़ीमती ... ...

जङ्गम ... ... वाक़ै ... ...

ता० ... ... माह ... . सन् ... ..

दस्तख़त हिबा करने वाले के ... ... वल्द ....

क़ौम ....साकिन गवाह ....

गवाह ....

---

३५ बयनामा

मैं कि ... . वल्द ... ... क़ौम ... ...
उमर .. साकिन ... . जिला ... ... का हूँ जोकि
एक मंजिल हवेली पुख़्ता जिसकी लम्बाई ... ... गज चौड़ाई ... ...
गज रक़बा ... ... जिसके अन्दर पूरवकी ओर ... ...पश्चिम
की ओर ... ... उत्तर की ओर ... . दक्षिण की
ओर ... ... है जिसकी चौहद्दी पूर्वमें ... ... पश्चिम
... ... उत्तरमें .. .. दक्षिणमें ... .. है
नं० .. ... वाक़ै ... ... में है जो कि मेरी
मौरूसी जायदाद है और मेरे पूर्वजों द्वारा ख़रीदी और बनवाई गई है तथा मैं
बिना किसीकी शिरकत उसपर क़ाबिज़ हूँ अब मैंने उक्त हवेलीको, अपनी स्वस्थ

अवस्थामे, स्वतन्त्र इच्छा, ठीक होसहवासके साथ, विना किसी प्रकारके प्रलोभन या दवावके, बएवज ·· हजार रुपये सिक्के चेहरेदार प्रचलित, जिसके आधे ·· हजार होते हैं श्रीमान्··· ·· ·· ··· वल्द · ··· · कौम · · साकिन ··· ··· ··· जिला · ··· ·· के हाथ वेच दिया, तथा बय सम्बन्धी समस्त रुपया उक्त ख़रीदारसे प्राप्त कर लिया और आज ता० ··· ·· माह · ··· सन् ··· से उक्त हवेली तथा तत्सम्बन्धी जमीनपर ख़रीदारको अपने समान अधिकार तथा क़ब्ज़ा दे दिया । अब मुझको या मेरे वारिसोंको रेहन या बयके विषयमें कोई अधिकार बाक़ी न रहा। यदि कोई हिस्सेदार या शरीक उक्त हवेलीपर किसी प्रकार का दावा करे, तो उसका उत्तरदायित्व मुझ बय करनेवाले पर होगा, और यदि किसी कारणसे उक्त हवेलीका कुल हिस्सा या कुछ भाग निकल जाये, तो ख़रीदारको यह अधिकार होगा, कि वह अपनी बय सम्बन्धी रक़म मय सूद ··· फीसदीके हिसावसे मुझ बेचनेवाले की स्थावर तथा जङ्गम जायदादसे नियमानुसार वसूल करले । अतएव यह बयनामा मय गवाहान् हाशिया के लिख दिया कि सनद रहे और आवश्यकता पर काम आवे। इसके अतिरिक्त एक क़िता दस्तावेज जो मेरे पूर्वजों के समय की मेरे पास थी ख़रीदारको दे दिया। ता०··· · माह ·· · सन् ···

दस्तख़त बय करनेवाले के · · वल्द ··· ··· साकिन ·· ··· ···

गा० १ ··· ·· गा० २ ·· ··· ··· । गा० ३ ··· ··· ··

---

२६ रेहननामा

मैं कि ·· ··· वल्द ··· ··· ··· कौम··· ·· साकिन · ··· जिला ··· ··· का हूँ। जोकि मौजा ·· ·· परगना··· ·· जिला के · · हिस्सेका अधिकारी हूँ और मै विना किसीकी शिरकत, व दख़लके क़ाविज़ हूँ तथा उसकी आमदनीसे लाभ उठाता हूँ अब विना किसीके दवाव, अपनी स्वतंत्र इच्छासे ठीक होसहवासमें उक्त अपने अधिकार जमीदारीको मय समस्त अधिकार दाख़िली व ख़ारजी अर्थात् आराजी मजरूआ व गैर मजरूआ वजर व ऊसर, पोखर व तालाव व कुयेपक्के व कच्चे व वागात व वृक्ष ख़ुदरा व आवादी, जङ्गल व ढाक व रकूमात सवाई तथा उक्त जमीदारी सम्बन्धी हरप्रकार की आमदनीके बएवज़ ·· ··· हजार जिसके आधे ··· हजार सिक्के प्रचलित इस समय होते हैं पास श्रीमान् ··· ··· ··· वल्द ··· ·· कौम ··· ··· · साकिन ··· ·· परगना ··· ·· ज़िला ·· ··· के रेहन किया व गिरवी रखा तथा तमाम रेहननामा सम्बन्धी रुपया मुरतहिनसे नक़द एकमुश्त

प्राप्त कर, उक्त जमींदारीको अपने अधिकारसे निकाल कर ता० ... ...
माह सन् ... से मुरतहिनके अधिकार व कब्जेमें मुरतहिनी विभाग द्वारा दे दिया और अपनी मिल्कजात कायममुकाम बना दिया आजसे मेरी मिल्कजातके उक्त रेहनशुदा जमींदारीके बाबत मुरतहिन को हर प्रकारका अधिकार हासिल है, जिस प्रकार चाहे उससे लाभ उठाये। उक्त रेहनशुदा जमींदारीकी आमदनी, रकम रेहनके सूदमें मोजरा होती रहेगी। अतएव न मुझ राहिनको मुनाफा पैदावार जमींदारी और न मुरतहिनको जर रेहनके सूदका इस रेहननामेके अस्तित्व तक दावा होगा, जब चाहूँ जररेहन एकमुश्त अदा करके इनफिकाक रेहन करवा लूं, किन्तु बिना जररेहन एकमुश्त अदा किये हुए इनफिकाक रेहन न होगा, और जबतक कुल रकम न अदा हो जायगी रेहन शुदा जायदादको किसी दूसरी जगह परिवर्तित करनेका अधिकार न होगा, और यदि कीजायगी, तो वह परिवर्तन नाजायज समझा जायगा। मैं इस जायदादका दाखिल खारिज करवा दूंगा, यदि दाखिल खारिज न करवाऊ, या जायदाद मरहूना कुल या उसका कुछ हिस्सा किसी वजहसे मेरे या मेरे वारिसोंके अधिकारसे निकल जाय, तो मुरतहिनको अधिकार रहे कि वह अपना कुल रुपया मय सूद दर ... ... के हिसाबसे मेरी कुल दूसरी जायदाद स्थावर व जङ्गमसे नियमानुसार वसूल करले। यदि रेहन शुदा जायदादके सम्बन्धमें कोई सहीम या शरीक किसी प्रकारका दावा करे तो मैं उसका उत्तरदायी हूंगा। अतएव यह रेहननामा दखली लिख दिया कि सनद रहे और आवश्यकता पर काम आवे।

ता० ... ... माह ... सन्
दस्तखत राहिनके ... ... वल्द ... ... कौम ... ... साकिन
गं० ... ... गं० २ ... ... गं० ३ ... ...

---

२७ इकरारनामा

मैं कि ... वल्द ... कौम ... साकिन ... जिला ... का हूं जो कि ... रुपये जिसके आधे ... होते हैं पास श्रीमान् ... ... वल्द ... कौम ... साकिन ... से नकद पेशगी लेता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि तीन माहके अन्दर चार खेमे मय सब सामान तय्यार करके फी खेमा ... रुपयेके हिसाबसे देदूंगा, यदि नियत समयके अन्दर इकरारनामेके अनुसार खेमे तय्यार करके न देदूं तो उक्त रकम मय दो रुपये सैकड़े सूद माहवारीके, बिना किसी उज्र या हीला हवालाके अदा करूंगा यदि खेमे मय कुल सामानके नियत समयके अन्दर तय्यार करके दे दूंगा तो शेष रकम

बहिसाब ··· की तम्बू लेलूंगा। अतएव यह इकरारनामा बशहादत गवाहान् लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आये।

ता० माहके ··· सन ···

दस्तख़त इकरारनामा लिखनेवाले के

गा० गा० गा०

---

३८ वसीयतनामा

मै कि वल्द साकिन जिला व वजह अपनी तन्दुरुस्ती ख़राब होने के अपनी मौतके बाद अपनी जायदादके लिये यह आखिरी वसीयतनामा लिखता हूं। मै इस वसीयतनामेके जरिये हस्ब जैल वसीयत करता हूँ —

१ मैं अपने पुत्रो ··· ···
को अपने वसीयतनामेका तामील कुनिन्दा और ट्रस्टी मुकर्रर करता हूँ। और एलान करता हूं कि वह तमाम ट्रस्ट और अधिकार जो कि मेरे इन तामील कुनिन्दाओं और ट्रस्टियोंको दीगई है उनके वारिसों और दरवारिसोको हासिल होती रहेगी।

२ मै अपने तामील कुनिन्दों और ट्रस्टियोंको हुक्म देता हू कि वे मेरी जायदादसे सबसे पहिले मेरे वाजिबुल अदा कर्ज और वसीयतनामेके मुताल्लिक़ अखराजात अदा करें और ··· रुपया मेरी अन्त्येष्टि क्रिया और श्राद्धमे ख़र्च किये जांय।

३ मै अपनी प्यारी पत्नी श्रीमती ·· को साढ़े तीन फीसदी सूदके गवर्नमेण्ट प्रामिजिरी नोट कीमती
रुपये के देता हूँ वे मेरी मौतके छ महीनेके अन्दर बिल्कुल अदा कर दिये जांय। मै अपनी उक्त पत्नी श्रीमती को अपना मकान सकूनती न० ·· सड़क शहर बम्बई को सिर्फ उसकी जिन्दगी भरके लिये देता हूँ। मैं उसे वह तमाम जवाहिरात और सोने तथा चादीके जेवरात भी जिसे वह इस्तैमाल करती रही है वसीयत करता हूँ।

४ मै इस वसीयतनामेके द्वारा अपना व्यवसाय जो के नामसे चलता रहा है और जिसका मैं पूर्ण अधिकारी हूँ अ ब स द और य पुत्रोंको जो मेरे प्रथम द्वितीय तृतीय, चतुर्थ और पचम पुत्र है समान हिस्से पर देता हूँ। उक्त पांचो पुत्रोंको मै अपनी तमाम पैतृक जायदाद और मेरी स्वयं उपार्जित रियासत, जो कि जिला ·· और मे वाक़े है और चार फीसदी सूदके गवर्नमेण्ट प्रामिजिरी नोट भी क़ीमती
रुपये तथा समस्त मेरी गृहस्थी सम्बन्धी वस्तुये, सामान और समस्त स्थावर तथा जङ्गम जायदाद, जिसका कि मैं मालिक हूँ या जो मेरे अधिकार में है वसीयत करता हूँ।

५ मैं इस वसीयतनामेकेद्वारा अपनी दो पुत्रियों श्रीमती ... ... और श्रीमती ... ... को पांच हजार रुपये नकद देता हूँ, वे उन ... ... को मेरी मृत्युके दो महीनेके अन्दर देदिये जांय।

६ मैं अपने तामील कुनिन्दोंको हुक्म देता हूँ कि वे मेरी उक्त पत्नी श्रीमती ... ... को उन तमाम चीजोंके अतिरिक्त जो मैंने उसे इस वसीयतनामेके द्वारा दिया है चालीस रुपया मासिक उसके व्यक्तिगत खर्चके लिये तादयात देते रहें।

७ मैं अपने तामील कुनिन्दोंको यह भी हुक्म देता हूँ, कि वे तीन फीसदी सूदके मेरे गवर्नमेण्ट प्रामिजिरी नोट, कीमती ... हजार अलाहिदा करदें और उसके सूदसे दुर्गापूजाका सालाना खर्च चलाये, तथा अपने इष्ट देव श्रीशङ्करजी की दैनिक सेवाका प्रबन्ध रक्खें।

(वसीयत कर्ताके दस्तखत)

निम्न सज्जनोंकी उपस्थितमें तस्दीक किया गया —

१ ... ... }
२ ... ... } गवाह
३ ... ... }

---

३९ तकसीमनामा

हम कि ... व ... वल्द ... कौम ... पेशा ... साकिन .. परगना ... ज़िला ... के हैं जो कि मौजा ... के मय बागात व मकानात वगैरा, जो इस मौजेमें वाके है बिला किसीकी शरकत व अधिकारके हम ...... काबिज व पूर्ण अधिकारी हैं अब हमने अपनी रजामन्दी, निश्चित सम्मति तथा ठीक होस हवासमें समयानुसार भविष्यके लिये यह उचित समझा है कि उक्त मौजेकी जमाबन्दी व खसरा बदोबस्तके अनुसार दो मुहाल करलें तथा स्थावर व जङ्गम सम्पत्तिको दो समान भागोंमें विभाजित कर, हम दोनों नीचेकी सूचियोंके अनुसार बांट लिया और अपने अपने भागों पर अधिकार कर लिया है। आगामी वर्ष ... सन् से सरकारी आमदनी अलग अलग अदा किया करेंगे, और इस बटवारेकी एक एक फर्द हम दोनोंके पास मौजूद रहेगी। इस बटवारेके अनुसार कलक्टरी विभागमें अर्जी देकर, दोनो मुहालोंकी पृथक खेवटें तय्यार करा कर,

जमाबन्दी अलग अलग करादी जायगी। भविष्यमे हमे या हमारे वारिसोंको इस तकसीमनामेके विरुद्ध किसी प्रकारकी शिकायत न होगी, और न इसकी शर्ताके विरुद्ध किसी प्रकारकी समाअत होसकेगी। अतएव यह तकसीमनामा मय शहादत गवाहान हाशिया, इसलिये मुरत्तिब हुआ कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

दस्तखत तकसीम कुनिन्दा

ग०   ग०

---

४० ख़ास किस्मका बयनामा

जब किसी वारिसको जायदाद पानेका हक़ पैदा हो जाय और वह निर्धनताके कारण अदालतमें नालिश न कर सके और अपने हक़का कोई हिस्सा किसीको इस मतलबसे बय करदे कि वह मुक़द्दमेके ख़र्चके बदले जीतने पर उतना हिस्सा ले लें ऐसा बयनामा बहुत मुश्किल होता है और बहुत समझ बूझ कर लिखा जाता है। हम नीचे ऐसेही एक बयनामेकी नक़ल देते हैं जिसे नामी और गम्भीर एवं धुरंधर वकीलोंने श्रीमान् सेठ जगन्नाथ चिरंजलिाल गोइन्दकाके हकमें लिखा था। आपको इससे अपने मामलेमें बहुत मदद मिलेगी

हम कि छन्नू व रामचरन व भैय्यालाल पिसरान फकीरे चौधरी व रामसेवक पिसर तुलसीदास नबीरा फक्कीरे अकवाम वैश्य साकिनान जैतपुर परगना कुल पहाड जि० हमीरपुर वजरिये इस तहरीरके हस्ब जेल इकरार करते हैं और लिखे देते हैं।

१ यह कि अयोध्या प्रसाद हम मुकिरानका रिश्तेदार क़रीबी हस्व शिजरा जैल था। अयोध्या प्रसाद मजकूरने अर्सा हुआ कि जायदाद मालियती कसीर छोड़कर वफात पाई। अयोध्या प्रसाद मजकूर अपने भाई भवानी प्रसाद और उसकी औलादसे अलहदा और मुन्क़िसम थे, और जुड़ावन तीसरा भाई अयोध्या प्रसादका लावल्द वहयात अयोध्या प्रसाद फौत हो चुका था।

२ यह कि अयोध्या प्रसादने व वक्त वफात अपने, अलावा दीगर जायदादके जायदाद जिमीदारी कसीर उल मालियत छोड़ी। तमाम जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद पर व शमूल जायदाद जमीदारी मज़कूर, उसकी बेवा मुसम्मात

लाई वरासतन मालिक व काबिज हीन हयाती व अख्तयारात महदूद हुई। मुसम्मात लाई भी एक अर्सा हुआ फौत होगई और उसकी वफात पर मुसम्मात ललता बाई दुख़्तर अयोध्या प्रसाद मौसूफ वरासतन मालिक व काबिज हीन हयाती जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद की व शमूल जायदाद जिमींदारी मजकूरके व अख्तयारात महदूद हुई और बिल एवज कर्जा याफ्तनी अयोध्या प्रसाद चन्द हिस्सा जिमींदारी मुसम्मात ललता बाईने खरीद किये वह भी जुज जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद होगये।

३-यह कि अयोध्या प्रसादके एक लड़का मुसम्मी कल्लू था जो कि बहयात अपने बाप अयोध्या प्रसादके फौत होगया। कल्लूने व वक्त वफात अपने दो बेवगान यानी मुसम्मातान लाडली और सलोनी और एक लड़का नथ्थू छोड़ा। बादहू नथ्थू भी हयात अयोध्या प्रसादमें लावल्द फौत होगया और कुछ अर्से बाद मुसम्मात लाडली बेवा कल्लू फौत हुई मुसम्मात सलोनी बेवा कल्लूको व वजह इसके कि उसका शौहर बहयात उसकी सुसरके फौत होगया था, कोई हक जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसादमें नहीं पहुंचा। अयोध्या प्रसाद ने बाद वफात कल्लू महज बगरज दिलजोई, बेवा कल्लू का नाम चन्द मवाजियात पर दर्ज करा दिया था लेकिन फिलवाके मालिक वा काबिज कुल जायदादका तनहा अयोध्या प्रसाद रहा और बाद उसकी वफातके मुसम्मात लाई और बाद हू मुसम्मात ललता बाई व हक हीन हयती जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद पर वशमूल उस जायदादके जो अयोध्या प्रसादके मतरूकेसे खरीदी गई थी काबिज रही।

४ यह कि बाद वफात मुसम्मात लाईके, जब कि ललता बाई जायदाद पिदरी पर हीन हयाती व अख्तयारात महदूद वरासतन मालिक व काबिज थीं, मु० सलोनी व ललता बाई दुख्तर अयोध्या प्रसादने व साजिश तातिया प्रसाद दामाद मु० ललता बाईके, यह जाहिर किया कि मु० सलोनी बेवा कल्लूने मुसम्मी स्वामी प्रसाद पिसर तातिया प्रसादको हस्ब इजाजत शौहरी गोद लिया। और यह किस्सा गोदका औलाद भवानी० प्रसादको, जो कि वारिस मावाद होते थे महरूम करनेकी गरजसे अफजा किया गया और इस मामलेमें मुसम्मी फकीरे को भी शामिल इस तरीकेसे कर लिया कि एक पञ्चायतनामा फर्जी व साजिशी तहरीर कराया गया जिसकी रूसे मिन् जुमले जायदाद जिमींदारी मतरूका अयोध्याप्रसाद के जमींदारी मुन्दर्जे फेहरिस्त (अलिफ) व (बे) मुंशरहे जेल मे बकदर एक सुलसके फकीरे को दिलाया गया और बकीया दो सुलस जायदाद मजकूरका मालिक स्वामीप्रसाद करार दिया गया। और जो जायदाद फेहरिस्त नम्बर (जीम) में दर्ज हैं और जो बजरिये दो किता हेबा नाम जातके मौरखे ता० २२ अगस्त सन् १८९० ई० और दोयमी मौरखे ता० ११ सितम्बर १८९० ई० के मुसम्मात सलोनी ने बहक तातियाप्रसाद हिबा करदी थी उसकी निस्बत यह करार पाया कि वह जायदाद बदस्तूर मौहूब अलेह मौसूफ के कब्जेमें रहेगी।

(५) यह कि किस्सा तबनियत स्वामीप्रसादका महज गलत और बे बुनियाद था और फिलवाके स्वामीप्रसादको मुसम्मात सलोनीने कभी अपने शौहर मुसम्मी कल्लूके लिये गोद नही लिया और अगर ब फर्ज मुहाल स्वामीप्रसादको मुसम्मात सलोनी अपने शौहर मुसम्मी कल्लूके लिये गोद लेती तो तबनियत मजकूर शास्त्रन् व कानूनन् नाजायज होती। लेकिन बावजूद इन तमाम उमूरके मामलेमे रंगत देनेकी गरजसे एक गोदनामा भी फर्जी ता० १३ मई सन् १९०९ ई० यानी जिस रोज पञ्चायतनामा लिखा गया तहरीर करा लिया गया।

(६) यह कि मुसम्मी भगवानदास वल्द बांकेने नालिश नम्बरी ३०३ सन् १९१० ई० व अदालत सबजज बहादुर जिला बांदा बाबत इस्तकरार इन उमूरके दायरकी कि यह करार दिया जावेः—

(अलिफ) स्वामीप्रसादको मुसम्मात सलोनीने कभी गो नहीं लिया और तबनियत जिसका जिक्र तबनियतनामा मौरखे १३ मई सन् १९०९ ई० मे है, फिलवाके कभी अमलमें नही आई और अगर इस किस्मकी तबनियत फिलवाके अमलमें आती, तो वह शास्त्रन् व कानूनन् नाजायज होती और स्वामीप्रसाद मजकूरको कोई हक मतरूका अयोध्याप्रसाद मुन्दर्जे फेहरिस्त (अलिफ) व (बे) मे नही पहुँचा।

(बे) तबनियतनामा व फैसला सालिसी मौरखे १३ मई सन् १९०९ ई० बमुकाबिले जायदाद मुन्दर्जे फेहरिस्त (अलिफ) (बे) व (जीम) बाद वफात मुसम्मात ललताबाईके नाजायज व गैर मुअस्सर करार दी जावे और इस्तकरार इस अम्रका फरमाया जावे कि स्वामीप्रसाद व तांतियाप्रसादका कोई हक जायदाद मजकूरे बालामें बजरिये दस्तावेजात मजकूरेनके नही है। नालिश मजकूर अदालत इब्तदाईसे कानूनी बुनियाद पर खारिज हो गई जिसकी अपील अदालतुलआलेया हाईकोर्ट इलाहाबादमे मिनजानिब भगवानदास मौसूफ दायर हुई और अदालतुलआलेया हाईकोर्टसे फैसला अदालत मातहतका मंसूख होकर दावी भगवानदास जिस इस्तदुआय दादरसीके साथ दायर हुआ था डिकरी होगया। यानी हरदो दादरसी हाय इस्तकरारया मजकूरे बालाकी डिकरी सादिर होगई।

(७) यह कि व नाराजी फैसला अदालत हाईकोर्टके अपील मिनजानिब स्वामीप्रसाद व तांतियाप्रसादक अदालत प्रिवीकौंसिलमे दायर हुआ और वहांसे फैसला अदालतुलआलिया हाईकोर्ट इलाहाबाद बहाल रहा सिर्फ इस कदर तरमीम फैसला हाईकोर्ट मजकूरमे अदालत प्रिवीकौंसिलनेकी कि जो डिकरी इस्तकरारिया अदालतुलआलिया हाईकोर्ट इलाहाबादने सादिरकी है उसका निफाज दरमियान मुद्दई और मुद्दाअलेहम न० ८ लगायत ११ के एक जानिब व दीगर मुद्दाअलेहमके दूसरी जानिब महदूद रहेगा। और इन दीगर मुद्दाअलेहमके हुकूक बादमी पर इस डिक्रीका कोई असर न होगा।

(८) यह कि किस्सा तबनियत अदालत आखिरी यानी प्रिवीकौंसिलसे गलत करार पा चुका है तबनियतनामा व पचायतनामा मजकूरे बाला भी

नाजायज़ और ग़ैरमुअस्सर व मुक़ाबिले हक़ूक़ हममुक़िरानके क़रार पाचुके हैं और यह तय हो चुका है कि स्वामीप्रसाद या तांतियाप्रसादका कोई हक़ जायदाद मतरूका अयोध्याप्रसाद मज़कूरे बालामें नहीं है।

(९) यह कि मुसम्मात ललताबाईने बतारीख़ ३ नवम्बर सन् १९१८ ई० मुताबिक कातिक बदी अमावस्या सम्वत् १९७५ वि० वफात पाई। उसकी वफात पर मुसम्मी फक़ीरे जो कि उस वक्त हयात था बहैसियत क़रीबतरी वारिसमा बाद अयोध्याप्रसादके मालिक व क़ाबिज कुल जायदाद जमीदारी मतरूका अयोध्याप्रसादका हुआ।

(१०) यह कि फकीरे क़रीब एक साल, बाद वफात ललताबाईके फौत होगया। और उसकी वफात पर उसके पिसरान मुसम्मियान छन्नू व रामचरन व भैयालाल व तुलसीदास ब वरासत अपने बापके मालिक जायदाद मतरूका अयोध्याप्रसादके हुए और हैं। बादहू मुसम्मी तुलसीदासने अपने पिसर रामसेवकको छोड़कर वफात पाई अब हम मुक़िरान नम्बर १ लग़ायत ४ मालिक जायदाद मज़कूरके हैं।

(११) यह कि बवजह इसके कि, जिस वक्त पंचायतनामा तहरीर हुआ मुसम्मी फकीरे मज़कूरको कोई हक़ फिलवाके जायदाद मज़कूरमे हासिल नहीं हुआ था बल्कि उसको महज़ कान्टनजेन्ट इन्टरेस्ट (Contingent Interest) बहैसियत रिवर्जनर (Reversioner) के हासिल था जो कि क़ानूनन् मुतक़िल किसी दिगरसे नहीं हो सकता था न उस कान्टेनजेन्ट इन्टरेस्ट (Contingent Interest) से दस्तबरदारी शास्त्रन् व क़ानूनन् हो सकती थी। चुनाच फकीरे मज़कूरके पंचायतनामामे शरीक होने या किसी जुज़ कान्टेनजेन्ट इन्टरेस्ट (Contingent Interest) के दस्तबरदार होनेसे किसी क़िस्मका ज़वाल उसके उन हुक़ूक़ वरासतको शास्त्रन् व क़ानूनन् नहीं पहुंचा जो कि बाद वफात मुसम्मात ललताबाईके उसको बहैसियत क़रीबतरी वारिस माबाद अयोध्याप्रसादके हासिल हुआ यानी शास्त्रन् व क़ानूनन् वही मालिक जायदाद मतरूका अयोध्याप्रसादका बाद वफात मुसम्मात ललताबाईके हुआ।

(१२) यह कि जायदाद मजकूर पर मुसम्मी स्वामीप्रसाद व तांतियाप्रसाद बिला किसी इस्तहक़ाक़के नाजायज़ तौर पर क़ाबिज हैं और हम मुक़िरानका हक़ तस्लीम नहीं करते हैं और न बावजूद मुतवातिर तक़ाज़ाके जायदाद पर क़ब्ज़ा हम मुक़िरानको देने पर रज़ामन्द होते हैं।

लिहाज़ा हम मुकिरानको बजुज अदालतमें नालिश दायर करनेके और कोई चाराकार अपनी हक़रसी और जायदाद पर मालिकाना क़ब्ज़ा हासिल करनेके लिये नजर नहीं आता। मगर बदक़िस्मतीसे हम मुकिरानको इस क़दर इस्तेताअत नहीं है कि अदालती तसर्रुफ़ात बरदाश्त कर सकें और न हम मुकिरानमे कोई ऐसा शख्स है जो पैरवी माक़ूल मुक़दमाकी कर-सके, चुनाच हम मुक़िरान इस तलाशमें रहे कि कोई ऐसा शख्स मिल जावे जो क़र्ज देने पर आमादा हो जाय चुनाच हम मुक़िराननें अकसर लोगोंसे इस्तदुआ इम्दादकी

मगर कोई शख्स कर्जा देने पर आमादा नही हुआ। अखराजात मुकद्दमेके लिये कई हजार रुपये दरकार होंगे और इस कुदर मिलना हम मुकिरानको गैर मुमकिन है मगर हम मुकिरानकी मिन्नत और समाजत करनेपर और हम लोगोंकी बेकसी और हकतलफी पर लिहाज करके कि हम अशखास मुस्तहक, की जायदादको गैरमुस्त हक लोग लिये लेते हैं और अगर इस तरीकेसे चन्द साल और गुजर गये तो हम मुकिरानका हक कतई जायल हो जावेगा और जायदादके अशखास गैर मुस्तहक मालिक हो जावेगे सेठ जगन्नाथ प्रसाद वल्द सेठ सागर मल कौम वैश्य गोइन्दका मालिक फर्म हरकिशन दास मगल चन्द हरपालपुर साकिन हाल हरपालपुर बुन्देलखण्ड एजेन्सी हमारी इस्त दुआको मंजूर करके कि निस्फ जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद जिस पर इस वक्त बिला इस्त हकाक स्वामी प्रसाद और तातिया प्रसाद काबिज है हम मुकिरान उनके हकमें बय करके खर्च अपनी नालिशका करे और अपनी बकीया जायदादको हासिल करें उन्होंने निस्फ जायदादका बय लेना मंजूर कर लिया है चुनाच यह तय पाया कि हकीयत जमींदारी मुन्दर्जे मुशरें जैल बएवज मुबलिग दस हजार रुपये१००००) के बदस्त सेठ जगन्नाथ प्रसाद मौसूफके हम मुकिरान बय करदेवे और चूंकि सेठ साहब मौसूफको जायदाद मुवैय्याकी बाबत खुद भी चारा जोई अदालती करना होगी इसलिए अलावा जर सम्मन मजकूरके, उन्होंने हम मुकिरान की तरफसे भी पैरवी व कोशिश करना हम मुकिरानकी इस्त दुआ पर मंजूर कर लिया है। चूंकि यह बेहतरीन तरीका व तदबीर हम मुकिरानकी हक रसीकी है लिहाजा व दुरुस्ती होश व हवाश अपने बखुशी व खातिर व बरजा व रगबत खुद हम मुकिराननें बजरिये दस्तावेज हाजा हकीयत जिमींदारी हाय मुन्दर्जे व मुशर्रह जेल ममलूका अपनेको मय आराजी सीर व खुद काश्त व बागात व मकानात व जमई ताल्लुकात बिला इस्त सनाय किसी-शय व हकूके व एवज़ मुबलिग दस हजार रुपये १००००) के बदस्त सेठ जगन्नाथ प्रसाद वल्द सेठ सागर मलजी कौम वैश्य गोइन्दका मालिक फर्म हरकिशन दास मंगल चन्द साकिन हाल हरपालपुरके हस्ब शरायत जैल बय कतई कर दिया और बेच डाला ।

१ यह कि जर सम्मन तमाम व कमाल हस्ब तफसील जैल मुश्तरी मौसूफ से वसूल पालिया हाजत तहरीर रसीद अलहदा नही है। अगर्चे वह जर सम्मन बैनामा हाजापुरी कीमत बाजारीसे कम है लेकिन चूंकि हम मुकिरान जायदाद मुवैय्या पर गैर काबिज है और कोई शख्स बाजारमे इस कदर कीमत पर भी बय लेने पर तैय्यार नही हो सकता और न है और चूंकि हम मुकिरानके मुकद्दमेमे मुश्तरीकी पैरवी व कोशिश व तकलीफका माबजा भी शामिल है लिहाजा व लिहाज इन जुमला हालात मजकूर शरायत दस्तावेज हाजाके हम बायान कुल मामला बखूबी समझ कर इस कदर जर सम्मन व तायून व पाबन्दी शरायत दस्तावेज़ हाजाका भी मुआविजा नकदी व कीमत वाजबी जायदाद

मुवैय्या व खुशी व खातिर मंजूर किया है। आइन्दा बाबत तादाद जर सम्मन या वसूल पाने जर सम्मनके हम मुक़िरान या बरसाय या क़ायम मुक़ामान हम मुक़िरान किसी क़िस्मका उज्रया हुज्जत करें तो बातिल और नामस्मूअ होगा।

२ यह कि मिन जुमले जर सम्मन दस्तावेज हाजाके मुबलिग दस हजार रुपये (१००००) मुश्तरी मौसूफके पास वास्ते अख़राजात नालिश हम मुक़िरान छोड़ा गया है जिसमेंसे हम मुक़िरान वक्तन् फवक्तन बाबत खर्चा नालिश अज अदालत इब्तदायी ता अदालतुल आलिया प्रिवी काउन्सिल व सीगे नम्बरी या इजराय डिकरी या हुसूल दखल और कार्रवाई इन्दराज नाम अदालत माल हम मुक़िरानको जरूरत होगी, इससे खर्चा स्टाम्प व अदाय मेहनताना वकलाय व बेरिस्टरान व खर्चा शहादत व तनख्वाह मुख़तार व पेरोकारान दीगर अख़राजात मुताअल्लिक मुक़द्दमा बजरिये मुश्तरी मौसूफके करते रहेंगे, और जो रुपया बाबत खर्चाके मुश्तरी मौसूफसे खर्च करायेंगे या जो खर्चा बगैर हाजिरी हम मुक़िरान जरूरत आये, नालिश या अपीलकी किसी पैरवीके मुताअल्लिक उसे मुश्तरी खुद करेंगे और करते रहेंगे वह जुमला अख़राजात ख्वाह मुश्तरीने रसीद हासिलकी हो या न की हो जायज व काबिल मुजराई होंगे और हम मुक़िरान या वरसाय या क़ायम मुक़ामान हम मुक़िरानको कोई उज्र किसी क़िस्मका या कोई हीलाव हुज्जत अदाय अख़राजातके मुताल्लिक जायज़ व काबिल समाअत न होगा।

३ यह कि जिस क़द्र रुपया वास्ते अख़राजात मुक़द्दमाके मुश्तरीके पास छोड़ा गया है उसमेंसे सिवाय अख़राजात मुक़द्दमा जिसको मुश्तरी मुनासिब समझेंगे और किसी जाती खर्च या अख़राजातके लिए किसी जुजके लेनेका हम मुक़िरानको अख़्तयार न होगा और अगर बाद अख़राजात मुक़द्दमाके मिन जुमले जर मजकूरके कुछ पसदाज होगा, तो जब तक मुक़द्दमा प्रिवी कौन्सिल से कतई तौर पर मुआफिक हम मुक़िरानके फैसल न हो जावेगा और मुश्तरीको दखल जायदाद मुवैय्या पर न मिल जावेगा और उसका नाम दाखिल कागजात मालमें न हो जायगा, उस रकमके वापिस पाने या तलब करनेका हम मुक़िरान या वरसाय या क़ायम मुक़ामान हम मुक़िरानको अख़्तयार न होगा। अगर अख़राजात मुक़द्दमा उस रकमसे जायद हों जो हम मुक़िराननें मुश्तरीके पास छोड़ी है तो यह बात मुश्तरी पर मबनी होगी कि जायद खर्च जिस क़द्र जरूरी हो अधिक करें और जो खर्चा फरीक़सानीसे वसूल हो उसमेंसे आधा हिस्सा मुश्तरी और आधा हिस्सा हम मुक़िरान ले लेंगे। और मुश्तरी मौसूफको यह भी अख़्तयार होगा कि हम मुक़िरान अगर बग़रज मुहाल, अदालत इब्तदाई से या अदालतुल आलिया हाईकोर्टसे नाकामयाब हों तो जब तक उन वकलाओं व पैरोकारके जिन्होंने हमारी तरफसे पैरवी की हो व मशविरे लायक वकलाय यह राय न हो कि मुक़द्दमा क़ाबिल अपील हाईकोर्ट या प्रिवी कौन्सिलके है, जैसीकि सूरत हो, और उम्मेद सर सब्जीकी न हो, तो महज हमारी दरख्वास्त पर खर्चा अपील अदालत हाईकोर्ट या प्रिवी कौन्सिल न करें और ऐसी सूरतमें हम

मुक्रिरान मुश्तहक तलबी या वापसी किसी जुज्ज बाकी मांदा रकम खर्चा मजकूरके जो मुश्तरीके पास छोड़ा है न होंगे।

(४) यह कि चूंकि हम मुकिरान इस वक्त दखल जायदाद मुवैय्या पर मुश्तरी को देने से कासिरहैं और मुश्तरी को बिदू नालिश के दखल जायदाद मुवैय्या पर नही मिलेगा इसलिये मुबलिग दस हजार रुपया १००००) बाबत खर्चा नालिशात दखलयाबी ताअखील अदालत मराफिया आला व इजराय डिकरी व दाखिल खारिज मुश्तरी के जर सम्मन मे मुजरा दिया गया है और इसरा को, अख्तयार है कि जिस तरीके पर चाहे उसको सर्फ करे हम मुक्रिरान को कोई हक उसके मुतअल्लिक हिसाब समझने या वापस पाने का न होगा। और शर्त यह है कि मिनजुमले इस रकम के जो बाबत खर्चा नालिश मुश्तरीक मुजरा दीगई है मुश्तरी को बाबत खर्चा नालिश मजकूर के बजरिये अदालत फरीकैन से वसूल होगा उस रकम से आधा मुश्तरी और आधा हम मुक्रिरान बाद कतई फैसला मुकद्दमा अदालत आखीर और बाद दखल याबी जायदाद मुवैय्या के जैसी सूरत आखीर बाकि हो लेलेंगे।

५ यह कि बाबत खर्चा नालिश मुश्तरी अगर उस रकम से जायद खर्चा हो जो रकम हस्ब शर्त चहारुम जर सम्मन से मुजरा की गईहै तो उस रकम जायद की बाबत जिम्मेदारी हम मुक्रिरान पर न होगी। उसको मुश्तरी बरदाश्त करेगा।

६ यह कि अगर हम मुक्रिरान और मुश्तरी की नालिश जुदागाना हो और दोनों एक ही नालिश मे मुद्दई हों तो भी मुश्तरी जिम्मेदार रसदी खर्चा का होगा और वह रसदी खर्चा उस रकम से जो हस्ब शर्त चहारुम, मुजरा दीगई है अदा की जायगी, और बकीया खर्चा उस रकम से जो वास्ते खर्चा नालिश हम मुक्रिरान हस्ब शर्त दोयम मुश्तरी के पास छोड़ा गया है अदा होगा। और जो खर्चा फरीक सानी से वसूल होगा वह आधा मुश्तरी और आधा हम मुक्रिरान लेंगे।

७ यह कि बगरज मुहाल अगर हम मुक्रिरान या मुश्तरी अपनी नालिश या नालिशात मे अदालत मराफिया आला से नाकाम याब हो या बद नाकाम याबी अदालत इब्तदायी या अदालतुल आलिया हाईकोर्ट या प्रिवी कौन्सिल मे हस्ब मशाविरे बकलाय अपील न किया जाना करार दिया जाय तो हम मुक्रिरान मुश्तहक पाने किसी जुज बाकी मांदा खर्चा के हस्ब शरायत मजकूरेबाला न होंगे और न मुश्तरी मुश्तहक वापसी किसी जुज जर सम्मन अदा शुदा या पाने किसी हरजका हम मुक्रिरान से होगा। और इस सूरत ना कामयाबी मुकद्दमा खर्चा फरीक सानी जो हम मुक्रिरानके जिम्मे हो मुश्तरीके जिम्मे रहेगा।

८ यह कि अगर ऐसी सूरत पेश आवे कि हम मुक्रिरान अपनी नालिश मे कामयाब हों और मुश्तरी किसी नुक्स कानूनी या वाकयाती की वजेह से ना कामयाब रहे तो हम मुक्रिरान देने के जिम्मेदार, अपनी जात व जायदाद से कुल खर्चा हस्ब शरायत मुन्दर्जे बालाजो कुछ कि उस वक्त तक हो चुका हो मुश्तरी के होंगे और अगर हम मुक्रिरान मे से किसी एक या जिनके जरिये से व वजेह गफलत या तसाफया या साजिश या फरेब या गलत बयानी मुश्तरी मौसूफ को नुकसान पहुंचे या वह मुकद्दमे से ना कामयाब रहे तो अकेला वही शख्स

या जिनके जरिये से ऐसा हुआ हो अपनी जात और जायदाद से कुल खर्चा हस्व शरायत मुन्दर्जे बाला जो कुछ उस वक्त तक हो चुका हो मुश्तरी के देने के जिम्मेदार होंगे।

९ यह कि हम मुकिरान पैरवी अपने मुकद्दमे की मुश्तरी की सलाह व मशविरा से करेंगे हम मुकिरान को यह अख्तयार न होगा कि फरीक सानी से कोई तस्फीया या राजी नामा या दस्तबरदारी बिला मशविरे व सलाह और इजहार रजामन्दी सरीही मुश्तरी के करे। दर सूरत खिलाफ वर्जी इस शर्त के जो कुछ नुकसान या खर्चा वगैरा मुश्तरी को पहुंचे तो उस कुल हर्जा व नुकसान वगैरा के हम मुकिरान जिम्मेदार देनेके होंगे और मुश्तरी भी बिला हम मुकिरान के कोई तस्फीया या राजीनामा या दस्तबरदारी मुकद्दमा व हक हम मुकिरान न कर सकेगा।

१० यह कि हम मुकिरान मालिक कतई जायदाद मुवैय्या के है और हम मुकिरान को हर तरह का अख्तयार इन्तकाल उसकी बाबत हासिल है। और सिवाय हमें मुकिरान के कोई शरीक या हिस्सेदार जायदाद मे नहीहै आज की तारीख से जुमला हुकूक मालिकाना बाबत जायदाद मुवैय्या मिनजानिब हम मुकिरान बहक मुश्तरी मुन्तकिल होगये और मुश्तरी मिस्ल हमारे जायदाद मुवैय्या का मालिक कामिल बिला शरीक गैरी हो गया और उसको अख्तयार है कि वहैसियत हकीयत मिलकियत अपने कब्जा जायदाद मुवैय्या पर हासिल करे और अपना नाम मालिकाना दर्ज कराये और उसका मुनाफा और महासिल से मुतमत्तअ होवे और जुमला अफआल व अखराजात मालिकाना मिस्ल मालिक मुतलकके अमलमे लावे और हम मुकिरान मुश्तरीके हुसूल दखल जायदाद मुवैय्या व हुसूल मुनाफा या वासलात मे हर तरह की कोशिश व इम्दाद करेंगे और जो जो दस्तावेज या तहरीर या दरख्वास्त किसी किस्म की तहरीर या तकमील या पेश करना या बयान करना लिखाना या कागजात या दस्तावेज पेश करना और जो कार्रवाही कानूनन् वास्ते तकमील हकव हुकूक मिल्कियत मुश्तरी वहुसूल कब्जा जायदाद मुवैय्या या हुसूल मुनाफा या वासलात जायदाद मुवैय्या व मुताअल्लिक दाखिल खारिज वगैरा के मिनजानिब हम मुकिरान को करना जरूरी होगा वह सब कार्रवाई हम मुकिरान बिला किसी उज्र हुज्जत के अमल मे लावेंगे और लाते रहेंगे।

११ यह कि व पाबन्दी जुमला शरायत दस्तावेज हाजा की हम मुकिरान व वरसाय व कायम मुकामान व मुतकिल अलेह हम मुकिरान और मुश्तरी वउसके वरसाय व कायम मुकामान् व मुन्तकिल अलेह पर होगी। इस लिये यह वैनामा व इस्तसनाय उस जायदाद के जो फकीर को मिल चुकी है और जिस पर उसकी औलाद काबिज व दखील है बाकी जायदाद मतरूका अयोध्याप्रसाद व शमूल उस जायदाद जो अयोध्याप्रसाद के मरने के बाद उसके मतरूके से खरीदी गई, वकद्र निस्फ हिस्सा व तरीक बयनामा का मिलके लिखदिया कि सनद रहे।

११० ३ नवम्बर १९२१ई०　　　　बकलम शिजित खानदानी रजिस्टरी और तस्दीक

कोर्ट फीस ऐक्ट
नं० ७ सन १८७० ई०
शिड्यूल नं० १

नोट—अदालतोंमें नालिश करनेके लिये कोर्टफीसकी शरह सन् १९२७ ई० में नीचे लिखे अनुसार है। यह सन्देह न कीजिये कि ऐक्ट सन् १८७० ई० का है और इस समय वह मंसूख होगया होगा। पहले प्रान्तीय सरकारोंने इस ऐक्टमें परिवर्तन किया था और शरह कोर्ट फीस कुछ बढ़ा दी थी पर कुछ ही समयके बाद मंसूख कर दी।

जब कि तादाद या कीमत नालिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इससे ज्यादा न हो।	कोर्टफीस लगेगा	जब कि तादाद या कीमत नालिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इससे ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगा
रु०	रु०	रु० आ०	रु०	रु०	रु० आ०
...	५	० ६	८५	९०	६ १२
५	१०	० १२	९०	९५	७ २
१०	१५	१ २	९५	१००	७ ८
१५	२०	१ ८	१००	११०	८ ४
२०	२५	१ १४	११०	१२०	९ ०
२५	३०	२ ४	१२०	१३०	९ १२
३०	३५	२ १०	१३०	१४०	१० ८
३५	४०	३ ०	१४०	१५०	११ ४
४०	४५	३ ६	१५०	१६०	१२ ०
४५	५०	३ १२	१६०	१७०	१२ १२
५०	५५	४ २	१७०	१८०	१३ ८
५५	६०	४ ८	१८०	१९०	१४ ४
६०	६५	४ १४	१९०	२००	१५
६५	७०	५ ४	२००	२१०	१५ १२
७०	७५	५ १०	२१०	२२०	१६ ८
७५	८०	६ ०	२२०	२३०	१७ ४
८०	८५	६ ६	२३०	२४०	१८ ०

जब कि तादाद या कीमत ना-लिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगा		जब कि तादाद या कीमत ना-लिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगा	
रु०	रु०	रु०	आ०	रु०	रु०	रु०	आ०
२४०	२५०	१८	१२	५४०	५५०	४१	४
२५०	२६०	१९	८	५५०	५६०	४२	०
२६०	२७०	२०	४	५६०	५७०	४२	१२
२७०	२८०	२१	०	५७०	५८०	४३	८
२८०	२९०	२१	१२	५८०	५९०	४४	४
२९०	३००	२२	८	५९०	६००	४५	०
३००	३१०	२३	४	६००	६१०	४५	१२
३१०	३२०	२४	०	६१०	६२०	४६	८
३२०	३३०	२४	१२	६२०	६३०	४७	४
३३०	३४०	२५	८	६३०	६४०	४८	०
३४०	३५०	२६	४	६४०	६५०	४८	१२
३५०	३६०	२७	०	६५०	६६०	४९	८
३६०	३७०	२७	१२	६६०	६७०	५०	४
३७०	३८०	२८	८	६७०	६८०	५१	०
३८०	३९०	२९	४	६८०	६९०	५१	१२
३९०	४००	३०	०	६९०	७००	५२	८
४००	४१०	३०	१२	७००	७१०	५३	४
४१०	४२०	३१	८	७१०	७२०	५४	०
४२०	४३०	३२	४	७२०	७३०	५४	१२
४३०	४४०	३३	०	७३०	७४०	५५	८
४४०	४५०	३३	१२	७४०	७५०	५६	४
४५०	४६०	३४	८	७५०	७६०	५७	०
४६०	४७०	३५	४	७६०	७७०	५७	१२
४७०	४८०	३६	०	७७०	७८०	५८	८
४८०	४९०	३६	१२	७८०	७९०	५९	४
४९०	५००	३७	८	७९०	८००	६०	०
५००	५१०	३८	४	८००	८१०	६०	१२
५१०	५२०	३९	०	८१०	८२०	६१	८
५२०	५३०	३९	१२	८२०	८३०	६२	४
५३०	५४०	४०	८	८३०	८४०	६३	०
				८४०	८५०	६३	१२

जब कि तादाद या कीमत नालिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगी	
रु०	रु०	रु०	आ०
८५०	८६०	६४	८
८६०	८७०	६५	४
८७०	८८०	६६	०
८८०	८९०	६६	१२
८९०	९००	६७	८
९००	९१०	६८	४
९१०	९२०	६९	०
९२०	९३०	६९	१२
९३०	९४०	७०	८
९४०	९५०	७१	४
९५०	९६०	७२	०
९६०	९७०	७२	१२
९७०	९८०	७३	८
९८०	९९०	७४	४
९९०	१,०००	७५	०
१,०००	१,१००	८०	०
१,१००	१,२००	८५	०
१,२००	१,३००	९०	०
१,३००	१,४००	९५	०
१,४००	१,५००	१००	०
१,५००	१,६००	१०५	०
१,६००	१,७००	११०	०
१,७००	१,८००	११५	०
१,८००	१,९००	१२०	०
१,९००	२,०००	१२५	०
२,०००	२,१००	१३०	०
२,१००	२,२००	१३५	०
२,२००	२,३००	१४०	०
२,३००	२,४००	१४५	०
२,४००	२,५००	१५०	०
२,५००	२,६००	१५५	०

जब कि तादाद या कीमत नालिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगी	
रु०	रु०	रु०	आ०
२,६००	२,७००	१६०	०
२,७००	२,८००	१६५	०
२,८००	२,९००	१७०	०
२,९००	३,०००	१७५	०
३,०००	३,१००	१८०	०
३,१००	३,२००	१८५	०
३,२००	३,३००	१९०	०
३,३००	३,४००	१९५	०
३,४००	३,५००	२००	०
३,५००	३,६००	२०५	०
३,६००	३,७००	२१०	०
३,७००	३,८००	२१५	०
३,८००	३,९००	२२०	०
३,९००	४,०००	२२५	०
४,०००	४,१००	२३०	०
४,१००	४,२००	२३५	०
४,२००	४,३००	२४०	०
४,३००	४,४००	२४५	०
४,४००	४,५००	२५०	०
४,५००	४,६००	२५५	०
४,६००	४,७००	२६०	०
४,७००	४,८००	२६५	०
४,८००	४,९००	२७०	०
४,९००	५,०००	२७५	०
५,०००	५,२५०	२८५	०
५,२५०	५,५००	२९५	०
५,५००	५,७५०	३०५	०
५,७५०	६,०००	३१५	०
६,०००	६,२५०	३२५	०
६,२५०	६,५००	३३५	०
६,५००	६,७५०	३४५	०

जब कि तादाद या कीमत नालिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगी	
रु०	रु०	रु०	आ०
६,७५०	७,०००	३५५	०
७,०००	७,२५०	३६५	०
७,२५०	७,५००	३७५	०
७,५००	७,७५०	३८५	०
७,७५०	८,०००	३९५	०
८,०००	८,२५०	४०५	०
८,२५०	८,५००	४१५	०
८,५००	८,७५०	४२५	०
८,७५०	९,०००	४३५	०
९,०००	९,२५०	४४५	०
९,२५०	९,५००	४५५	०
९,५००	९,७५०	४६५	०
९,७५०	१०,०००	४७५	०
१०,०००	१०,५००	४९०	०
१०,५००	११,०००	५०५	०
११,०००	११,५००	५२०	०
११,५००	१२,०००	५३५	०
१२,०००	१२,५००	५५०	०
१२,५००	१३,०००	५६५	०
१३,०००	१३,५००	५८०	०
१३,५००	१४,०००	५९५	०
१४,०००	१४,५००	६१०	०
१४,५००	१५,०००	६२५	०
१५,०००	१५,५००	६४०	०
१५,५००	१६,०००	६५५	०
१६,०००	१६,५००	६७०	०
१६,५००	१७,०००	६८५	०
१७,०००	१७,५००	७००	०
१७,५००	१८,०००	७१५	०
१८,०००	१८,५००	७३०	०

जब कि तादाद या कीमत नालिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगी	
रु०	रु०	रु०	आ०
१८,५००	१९,०००	७४५	०
१९,०००	१९,५००	७६०	०
१९,५००	२०,०००	७७५	०
२०,०००	२१,०००	७९५	०
२१,०००	२२,०००	८१५	०
२२,०००	२३,०००	८३५	०
२३,०००	२४,०००	८५५	०
२४,०००	२५,०००	८७५	०
२५,०००	२६,०००	८९५	०
२६,०००	२७,०००	९१५	०
२७,०००	२८,०००	९३५	०
२८,०००	२९,०००	९५५	०
२९,०००	३०,०००	९७५	०
३०,०००	३२,०००	९९५	०
३२,०००	३४,०००	१,०१५	०
३४,०००	३६,०००	१,०३५	०
३६,०००	३८,०००	१,०५५	०
३८,०००	४०,०००	१,०७५	०
४०,०००	४२,०००	१,०९५	०
४२,०००	४४,०००	१,११५	०
४४,०००	४६,०००	१,१३५	०
४६,०००	४८,०००	१,१५५	०
४८,०००	५०,०००	१,१७५	०
५०,०००	५५,०००	१,२००	०
५५,०००	६०,०००	१,२२५	०
६०,०००	६५,०००	१,२५०	०
६५,०००	७०,०००	१,२७५	०
७०,०००	७५,०००	१,३००	०
७५,०००	८०,०००	१,३२५	०
८०,०००	८५,०००	१,३५०	०
८५,०००	९०,०००	१,३७५	०

जब कि तादाद या कीमत नालिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगी	
रु०	रु०	रु०	आ०
९०,०००	९५,०००	१,४००	०
९५,०००	१,००,०००	१,४२५	०
१,००,०००	१,०५,०००	१,४५०	०
१,०५,०००	१,१०,०००	१,४७५	०
१,१०,०००	१,१५,०००	१,५००	०
१,१५,०००	१,२०,०००	१,५२५	०
१,२०,०००	१,२५,०००	१,५५०	०
१,२५,०००	१,३०,०००	१,५७५	०
१,३०,०००	१,३५,०००	१,६००	०
१,३५,०००	१,४०,०००	१,६२५	०
१,४०,०००	१,४५,०००	१,६५०	०
१,४५,०००	१,५०,०००	१,६७५	०
१,५०,०००	१,५५,०००	१,७००	०
१,५५,०००	१,६०,०००	१,७२५	०
१,६०,०००	१,६५,०००	१,७५०	०
१,६५,०००	१,७०,०००	१,७७५	०
१,७०,०००	१,७५,०००	१,८००	०
१,७५,०००	१,८०,०००	१,८२५	०
१,८०,०००	१,८५,०००	१,८५०	०
१,८५,०००	१,९०,०००	१,८७५	०
१,९०,०००	१,९५,०००	१,९००	०
१,९५,०००	२,००,०००	१,९२५	०
२,००,०००	२,०५,०००	१,९५०	०
२,०५,०००	२,१०,०००	१,९७५	०
२,१०,०००	२,१५,०००	२,०००	०
२,१५,०००	२,२०,०००	२,०२५	०
२,२०,०००	२,२५,०००	२,०५०	०
२,२५,०००	२,३०,०००	२,०७५	०
२,३०,०००	२,३५,०००	२,१००	०
२,३५,०००	२,४०,०००	२,१२५	०
२,४०,०००	२,४५,०००	२,१५०	०
२,४५,०००	२,५०,०००	२,१७५	०
२,५०,०००	२,५५,०००	२,२००	०
२,५५,०००	२,६०,०००	२,२२५	०
२,६०,०००	२,६५,०००	२,२५०	०
२,६५,०००	२,७०,०००	२,२७५	०
२,७०,०००	२,७५,०००	२,३००	०
२,७५,०००	२,८०,०००	२,३२५	०
२,८०,०००	२,८५,०००	२,३५०	०
२,८५,०००	२,९०,०००	२,३७५	०
२,९०,०००	२,९५,०००	२,४००	०
२,९५,०००	३,००,०००	२,४२५	०
३,००,०००	३,०५,०००	२,४५०	०
३,०५,०००	३,१०,०००	२,४७५	०
३,१०,०००	३,१५,०००	२,५००	०
३,१५,०००	३,२०,०००	२,५२५	०
३,२०,०००	३,२५,०००	२,५५०	०
३,२५,०००	३,३०,०००	२,५७५	०
३,३०,०००	३,३५,०००	२,६००	०
३,३५,०००	३,४०,०००	२,६२५	०
३,४०,०००	३,४५,०००	२,६५०	०
३,४५,०००	३,५०,०००	२,६७५	०
३,५०,०००	३,५५,०००	२,७००	०
३,५५,०००	३,६०,०००	२,७२५	०
३,६०,०००	३,६५,०००	२,७५०	०
३,६५,०००	३,७ ,०००	२,७७५	०
३,७०,०००	३,७५,०००	२,८००	०
३,७५,०००	३,८०,०००	२,८२५	०
३,८०,०००	३,८५,०००	२,८५०	०
३,८५,०००	३,९०,०००	२,८७५	०
३,९०,०००	३,९५,०००	२,९००	०
३,९५,०००	४,००,०००	२,९२५	०
४,००,०००	४,०५,०००	२,९५०	०
४,०५,०००	४,१०,०००	२,९७५	०
४,१०,०००		३,०००	०

इन्दुल्तलब रुक्का

मैं कि······उमर अन्दाज़न······वर्ष वल्द······ कौम······ पेशा······ साकिनहाल ······का हूँ।

विदित रहे कि मैंनेमुबलिग······ अकन······ जिसके आधे अंकन·· होतेहैं, सिक्का अङ्गरेजी चलन बाजार अपनी ज़रूरतके लिये श्रीमान'' वल्द·· कौम ·· साकिनहाल ··से नक़द क़र्ज लिये। इसरुपयेको······रुपया सैकड़ा माहवारी सूद सहित उपरोक्त श्रीमानजीको याजिसे वे इसरुक्काका रुपयालेनेका अधिकारदे देगे, उसे इन्दुल्तलब अर्थात मांगने पर विना कोई हीला व हवाला किये अदा व बेबाक़ कर दूगा। और जो रुपया मै इस रुक्काके बारेमे असल या सूदमे अदा करूगा उसकी रसीद बाज़ाब्ता बराबर ले लिया करूंगा। मैने इस रुक्केका कुल मतालिबा नक़द उपरोक्त श्रीमानूजीसे वसूल पालियाअब मेरा कोई रुपया बाबत मतालिबा या उसके किसी हिस्सेमे बाकी नही रहा इस लिये यह रुक्का खूब समझ बूझकर होस व हवासमें बाज़ाब्ता बतरीक़ इन्दुल्तलब टिकट लगा कर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

दस्तख़त लिखनेवाला। दस्तख़त ———

मकान खाली करापानेका नोटिस

नोट—यह ध्यान रहे कि ऐसा नोटिस, नोटिस पाने वालेके पास कमसे कम १५ दिन पहिले पहुँच जाना जरूरी है अर्थात नोटिस जिसे दिया गया हो और जिस तारीख़को उसे मिला हो उसके बाद १५ दिनकी मियाद उसका महीना ख़तम होनेमें हो।

नोटिस मिन्जानिब······वल्द······ 'साकिन ' ''मारफ़त'' ''साकिन ''

बनाम

······वल्द ······साकिन······ वाजै हो कि आप मकान नम्बरी······वाकै ······ के ······रुपये माहवारके किरायेदार है। आपका किराया तारीख़······ से ता० '' तक महीना पूरा होता है। आपको अब मकानमें किराये पर रखना बहुत सी बातोंके सबबसे मंजूर नहीं है इसलिये आपको यह नोटिस दिया जाता है कि आप ता०······तक मकानमें रहकर मकान खाली कर दें और कुल किराया उस वक्त तकका जो आपके जिम्मे बाक़ी हो अदा कर दें। ऐसा न करने पर आप पर नालिश अदालत मजाजमे की जावेगी और आप खर्चेके देनेके जिम्मेदार होंगे।

द०. ———

ता० ———

संयुक्त प्रान्तकी दीवानी अदालतोंमें नकल और तलबाना आदिमें लगनेवाली फीसें।

सिविल जनरलरूल्स ता० ३१ जनवरी सन १९२७ई० तक संशोधित

नकलोंकी फीसें

कागजकी किस्म जिसकी नकल लेना है	हाईकोर्टमें		जज खफीफाकी अदालतमें		अन्य सब अदालतोंमें	
	जरूरी	मामूली	जरूरी	मामूली	जरूरी	मामूली
डिकरी	३)	१॥)	१॥)	॥)	२॥)	१)
तजवीज़ या अन्य काग़ज़	४)	२)	१॥)	॥)	२॥)	१)

तलबाना आदिकी फीसें

क़िस्म फीस	अदालत जजी और सब जजी	मुन्सफी व खफीफा जब कि २०००) रु० से मालियत ज्यादा न हो	मुन्सफी व खफीफा जब कि मालियत ५०) रु० से ज्यादा न हो	हाईकोर्ट
१ तलबाना मुद्दाअलेह	चार तक २॥) जायद फी मुद्दाअलेह ॥~) मजमूई १२॥)	चार तक ६।) जायद फी मुद्दाअलेह ।~) मजमूई ६।)	दो तक ॥=) जायद फी मुद्दाअलेह ≡) मजमूई ४)	चार तक ३) जायद फी मुद्दाअलेह ॥) मजमूई १५)
२ तलबाना गवाहान	चार तक २॥) जायद फी गवाह ॥=)	चार तक १।) जायद फी गवाह ।~)	फी गवाह ।~)	चार गवाह तक ३) जायद फी गवाह ॥) मजमूयी ४)
३ हुक्म कुर्की	१।)	१)	॥=)	+
४ फीस कुर्की	एक मौजा के लिये ९) जायद फी मौजा २) मजमूई १५)	एक मौजा के लिये ४) जायद फी मौजा १) मजमूई ७)	एक मौजा के लिये २) जायद फी मौजा ॥) मजमूयी ३)	+
५ वारण्ट गिरफ्तारी	३।॥) फी मदयून । जब मदयून हिरासतमें हो तो ।~) फी चपरासी	२॥) फी मदयून	१।) फी मदयून	५) फी मदयून
६ नीलामके सम्बन्धमें हक सरकार	६।) फी सदी	६।) फी सदी	६।) फीसदी	+
७ हुक्म नीलाम	१।)	१)	॥=)	+
८ दखलकी फीस	जैसा कि न०४ की फीस है	जैसा कि न०४की फीस है	जैसा कि न०४ की फीस है	×
९ तलबाना इश्तहार	जैसा कि न०१ की फीस है	जैसा कि न०१की फीस है	जैसा कि न०१की फीस है	चार कापी तक ३) जायद फी कापी ॥) मजमूयी १५)
१० तलबाना जरूरी	१।)	१)	॥=)	+

दस्तावेजों पर स्टाम्प

इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट नं० २ सन् १८९९ ई०
के अनुसार छपनेके समय तकके
संशोधनों सहित

आवश्यक दस्तावेजोका सारांश	स्टाम्प
१ कर्ज स्वीकार करने वाला दस्तावेज जब रकम बीस रुपयेसे अधिक हो, लिखा गया हो या सही किया गया हो, या किसी दूसरेकी ओरसे हो या कर्जदार द्वारा इस प्रकारके कर्जकी शहादतक लिये किसी किताबमे (जो बैंकर्स पास बुकके अतिरिक्त हो) या किसी अलाहिदा कागज पर जब इस प्रकार का कागज या किताब महाजनके अधिकारमे रहनी हो, नियम यह है कि इस प्रकारकी स्वाकृतिमे कर्ज अदा करनेकी किसी प्रकारकी प्रतिज्ञा, या सूद अदा करनेकी कोई शर्त, या कोई माल या अन्य जायदाद देनेकी बात न हो। नोट—इन्द्लतलब रुकाके लिये देखो नं० ४९	एक आना
२ एहतमाम तर्कह (Administration Bond) इसमे इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट १८६५ की दफा २५६ के अनुसार बाण्ड गवर्नमेण्ट सेविंग बैंक्स ऐक्ट १८७३ की दफा ६ के अनुसार बाण्ड, प्रोबेट और एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट १८८१ का दफा ७८ के अनुसार बाण्ड और सक्सेशन सार्टेफिकेट ऐक्ट १८८९ की दफा ९ या १० के अनुसार बाण्ड शामिल है।	
(ए) जब कि रकम १०००) से अधिक न हो	वही स्टाम्पजो बाण्ड न० १५ में इसी रकम पर लगता है।
(बी) किस अन्य सूरतमे	पाच रुपये
३ दत्तक पत्र (Adoption deed) यानी कोई दस्तावेज (वसीयतनामेके अतिरिक्त) जो गोदके सम्बन्धमे लिखा गया हो या जिसके द्वारा गोद लेनेका अधिकार दिया गया है या अधिकार देनेकी इच्छा प्रगट की गई हो।	दसरुपये
४ हलफनामा	एक रुपया

जिसमें कि ऐसे व्यक्तियोंकी स्वीकृति या घोषणा भी शामिल हैं जो क़ानून द्वारा बजाय हलफ़ लेनेके स्वीकार करने या घोषणा करनेके अधिकारी हैं।

अपवाद

जब तहरीरी हलफ़नामा या घोषणापत्र लिखा गया हो—

(ए) इण्डियन आर्टिकिल्स आफ़ वारके अनुसार बतौर भर्तीके शर्तके

(बी) फौरन ही फ़ायल करनेके निमित्त या किसी अदालतमें इस्तैमाल किये जानेके निमित्त या किसी अदालतके सामने पेश किये जानेके लिये या

(सी) किसी आदमीको किसी पेंशन या खैराती एलाउन्सके पानेके अभिप्रायके लिये।

५ इक़रारनामा या याददाश्त इक़रारनामा

(ए) यदि हुण्डीकी बिक्रीका वर्णन हो	दो आना
(बी) यदि गवर्नमेण्ट सेक्यूरिटी या किसी इनकारपोरेटेड कम्पनी या अन्य कारपोरेट संस्थाके हिस्सोंकी बिक्रीका वर्णन हो	सेक्यूरिटिया हिस्सेके प्रत्येक १००००) या उसके अंशोंपर एक आना, और अधिकसे अधिक दस रुपये।
(सी) जिनके लिये कोई अन्य नियम न हो	आठ आना।

अपवाद

इक़रारनामा या याददाश्त इक़रारनामा

(ए) केवल माल या तिजारती सामानकी बिक्रीके लिये या उसके वर्णनके सम्बन्धमें, किंतु ऐसे रुक्के या याददाश्त न हों, जिनपर आर्टिकिल ४३ के अनुसार स्टाम्प लगना चाहिये।

(बी) गवर्नमेण्ट आफ़ इण्डियाके पास टेण्डरकी सूरतमें किसी क़र्ज़के लिये या उसके सम्बन्धमें पेश किये गये हों

(सी) यूरोपियन वैग्रैंसी ऐक्ट १८७४ की दफ़ा १७ के अनुसार लिखे हुए।

अधिकार पत्र (Titledeed) के जमा करने या गिरवी रखनेके सम्बन्धमें इक़रारनामा।

(ए) यदि वह रकम तलब करने पर या दस्तावेजके तीन माह के बाद अदाकी जानी हो	वहीस्टाम्पजो हुडीकेसम्बधमें (नं० १३वीं) में है मासवी हुई रकम पर
(बी) यदि वह रकम दस्तावेजके तीन माहके अन्दर अदाकी जानी हो।	उस रकमका आधाजो हुडी (नं० १३वीं) मे है मासवी हुई रकम पर
७ किसी अधिकारकी तामील पर नियुक्ति चाहे ट्रस्टीजकी हो या स्थावर या जङ्गम जायदादकी, जब तहरीर द्वारा, जो वसीयतनामा न हो, की गई हो।	१५ रुपये
८ तख़मीना क़ीमतकी कूत किसी मुक़द्दमेके दौरानमे किसी अदालतके हुक्मके अतिरिक्त	
(ए) जब रक़म १०००) से अधिक न हो	वही स्टाम्पजो बाण्ड(नं० १५) में इस रकमके लिये नियत है।
(बी) अन्य सूरतमें	पांच रुपया

अपवाद

(ए) जब तख़मीना केवल एक फ़रीकके लिये किया गया हो, और फ़रीक़ोंके लिये उसके माननेकी किसी प्रकार विवशता न हो

(बी) फ़स्लका अन्दाज जमीदारको लगान देनेके निमित्त

९ दस्तावेज उम्मीदवारी	पांचरुपया
१० आर्टिकिल आफ़ एशोशियेशन आफ़ ए कम्पनी	पच्चीसरुपया
११ आर्टिकिल आफ़ क्लर्कशिप	दो सौपचास रुपया
१२ फैसला सालिशी	
(ए) जब रक़म १०००) से अधिक न हो	वहीस्टाम्प जो बाण्ड(नं० १५) इस रकमके लिये नियत है।
(बी) अन्य सूरतमें	पांच रुपये

अपवाद

बम्बई डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपेल ऐक्ट १८७३की दफ़ा८१ के अनुसार फैसला सालिशी या बम्बई हियरडिटेरी आफिस ऐक्ट १८७४ की दफा १८ के अनुसार फैसला सालिशी।

१३ हुण्डी (Bill of exchange) [जिस प्रकार दफा २ (२) और (३) मे बताई गई है) जो कि बान्ड, बैंक नोट या करेंसी नोट न हो

(ए) जब तलब किये जानेपर इन्दुल तलब (On demand) अदाकी जानेको हो — एक आना

(बी) जब तलबी पर अदाई (यानी आनडेमाण्ड) से अन्य हो, किंतु तारीख़ या मिलनेसे एकसाल से अधिक की न हो	यदि अकेली लिखी गई हो	यदि दो सेटोंमें लिखी गई हो तो सेटके प्रत्येक भागके लिये	यदि तीन सेटमें लिखी गई है तो सेटकेप्रत्येक भागके लिये
	रु०	रु०	रु०
जब हुण्डी या नोटकी रकम अधिक न हो २००)से	≈)	=)	-)
जब वह रु०२००)सेअधिकहो किंतु अधिकनहो४००)से	।=)	≈)	=)
,, ४००) ६००)से	॥-)	।-)	≈)
,, ६००) ,, ८००)से	॥।)	।=)	।)
,, ८००) ,, १०००)से	॥।≈)	॥)	।-)
,, १०००) ,, १२००)से	१=)	॥-)	।≈)
,, १२००) ,, १६००)से	१॥)	॥।)	॥)
,, १६००) ,, २५००)से	२।)	१=)	॥।)
,, २५००) ,, ५०००)से	४॥)	२।)	१॥)
,, ५०००) ,, ७५००)से	६॥।)	३।=)	२।)
,, ७५००) ,, १००००)से	९)	४॥)	३)
,, १००००) ,, १५०००)से	१३॥)	६॥।)	४॥)
,, १५०००) ,, २०००० से	१८)	९)	६)
,, २००००) ,, २५०००)से	२२॥)	११।)	७॥)
,, २५०००) ,, ३००००)से	२७)	१३॥)	९)
३००००) के ऊपर हर १००००) या उसके किसी भाग पर	९)	४॥)	३)

(सी) जब तारीख़ या मिलनेके एक साल बाद अदाकरनाहो वही स्टाम्पजो बाण्ड (न० १५ में उसरकमपर लगता है।

१४ जहाजके मालकी बिल्टी — चार आना

१५ दस्तावेज (Bond) तमस्सुक

जब रकम जो ली गई है १०) से अधिक न हो			दो आना
जब यह १०) से अधिक हो किन्तु अधिक न हो		५०) से	चार आना
,, ५०)	,,	१००) से	आठ आना
,, १००)	,,	२००) से	एक रुपया
,, २००)	,,	३००) से	१रु० ८आ०
,, ३००)	,,	४००) से	दो रुपये
,, ४००)	,,	५००) से	२रु० ८आ०
,, ५००)	,,	६००) से	तीन रुपये
,, ६००)	,,	७००) से	३रु० ८आ०
,, ७००)	,,	८००) से	चार रुपये
,, ८००)	,,	९००) से	४रु० ८आ०
,, ९००)	,,	१०००)	पांच रुपये

१०००) रुपयेके ऊपर प्रत्येक ५००) रुपये या उसके किसी भागके लिये, २रु० ८ आने

देखो—इकरारनामा एहतमाम तरका (Administration Bond) (न० २), बाटमरी बाण्ड (नं० १६), कस्टम बाण्ड (न० २६) इण्डेमेनटी बाण्ड (न० ३४) रैस्पाण्डेण्ड्या बाण्ड (न० ५६) जमानतनामा (न० ५७) सेक्यूरिटी बाण्ड।

अपवाद

दस्तावेज जब कि लिखा गया हो

(ए) मुखिया द्वारा, जो कि बगाल एरीगेशन ऐक्ट १८७६ की दफा ९९ के अनुसार मुखियाके उचित कर्तव्योंके पूर्ण करनेके लिये नियत किया हो।

(बी) किसी व्यक्ति द्वारा, बगरज गारण्टी इस कार्यके कि स्थानीय आमदनी जो कि प्राइवेट चन्दे द्वारा, किसी धर्मार्थ दवाखाने या अस्पताल या सार्वजनिक लाभके किसी अन्य तात्पर्यके लिये हो, वर्णित रकमसे प्रति मास कम न होगी।

१६ बोटोमरी बाण्ड — वही स्टाम्प जो बाण्ड न० १५ में नियत है

१७ दस्तावेज इबताल (Cancellation) जिसके द्वारा पहिले के दस्तावेज बातिल किये जांय। — पाच रुपये

और भी देखो दस्तावेज़ दस्तबरदारी (न० ५५) (Release) रैवोकेशन आफ सेटेलमेण्ट (न० ५८ बी) और वापसी पट्टा (न० ६१) और रैवोकेशन आफ ट्रस्ट (न० ६४ बी)

१८ सार्टीफिकेट आफ् सेल—(हर चीजके लिये जो अलाहिदा नीलाम की गई है) जो किसी ऐसी जायदादके खरीददारको, जो

किसी दीवानी या मालकी अदालत या कलेक्टर या अन्य मालके हाकिमके हुक्मसे, आम नीलाममें बेची गई हो, स्वीकृत की गई हो।

(ए) जब कीमत खरीद १०रु० से अधिक न हो — दो आना

(बी) जब कीमत खरीद १० से अधिक हो किन्तु २५) से अधिक न हो — चारआना

(सी) अन्य सूरतोंमें — न० २३ के अनुसार

१९ सार्टीफिकेट या अन्य दस्तावेज किसी कम्पनी या कारपोरेट संस्थाके हिस्से आदिके सम्बन्धमें — एक आना

२० चार्टर पार्टी —जहाज़ या उसका कोई हिस्सा किराये पर देना। — एक रुपया

२१ चेक [जैसा दफा २ (७) में बयान किया गया है] — एक रुपया

२२ काम्पोज़ीशन डीड-यानी कोई दस्तावेज़, जो कर्जदार द्वारा लिखा जाय, जिसके द्वारा वह अपनी जायदादको महाजनके लाभके लिये मुन्तकिल करे या जिसके द्वारा कर्ज़ पर काम्पोजीशन या डिवीडेण्टकी अदाई महाजनके लिये सुरक्षित करे, या जिसके द्वारा कर्जदारके व्यवसायके आरम्भ रहनेकी, इन्सपेक्टरोंके प्रबन्धके मातहत या महाजनके फायदेके लिये लायसेन्सके पत्रके अनुसार व्यवस्थाकी गई हो। — दस रुपये

२३ बयनामा—(दफा २ (१०) की परिभाषाके अनुसार) जो वह इन्तकालनामा न हो, जिस पर (नं० ६२) के अनुसार महसूल लगाया जाता हो या माफ कर दिया गया हो।

जब रकम बयनामा ५० रु० से अधिक न हो।				आठ आना
जब वह रु० ५० से अधिक हो किन्तु अधिक न हो रु०१००)से				एक रुपया
१००	,,	,,	२००	दो रुपये
२००	,,	,,	३००	तीन रुपये
३००	,,	,,	४००	चार रुपये
४००	,,	,,	५००	पांच रुपये
५००	,,	,,	६००	छः रुपये
६००	,,	,,	७००	सात रुपये
७००	,,	,,	८००	आठ रुपये
८००	,,	,,	९००	नौ रुपये
९००	,,	,,	१०००	दस रुपये

१०००) के ऊपर प्रत्येक ५००) रुपये या उसके किसी भाग पर। — पांच रुपये

अपवाद

कापी राइटका इन्तकाल, जो कि भारतीय कापी राइट ऐक्ट १८४७ की दफा ५ के अनुसार दाखिले द्वारा किया जाय।

को पारटेनरशिप डीड-देखो पार्टनेरशिप न० ४६ ।

२४ नकल या उद्धरण किसी कागजका, जिस पर किसी सरकारी पदाधिकारीके हुक्मके अनुसार या उसके हाथसे उस नकल या उद्धरणका सही होना तस्दीक किया गया हो और जिसके सम्बन्धमें प्रचलित कानूनके अनुसार कोर्टफीस वाजिबुल अदा न हो ।

(१) यदि असल दस्तावेज महसूल लगाये जानेके काबिल न हो या वह महसूल जो इस पर लगाया जानेको हो, एक रुपयेसे अधिक न हो । ... ... आठ आना

(२) अन्य सूरतमें ... ... एक रुपया

अपवाद

(ए) किसी कागजकी नकल, जिसके बनाने या सरकारी दफ्तरमे रखने या किसी अन्य सरकारी कार्यके लिये रखनेका हुक्म हो ।

(बी) नकल या उद्धरण, किसी रजिस्टरकी, जो पैदायश या बैपतिस्मा या नाम या समर्पण, या शादी [त्याग, मौत, और अन्तिम सस्कार] सम्बन्धी हो ।

२५ मुसन्ना या डुप्लीकेट ।

(ए) यदि महसूल एक रुपयेसे अधिक न हो । वही महसूल—
—जो असलीपर देना हो

(बी) अन्य सूरतमें एक रुपया

अपवाद

किसी पट्टेका मुसन्ना जब (ए) वह किसी काश्तकारको दिया गया हो और वह पट्टा महसूलसे बरी हो ।

२६ कस्टम बाण्ड (इकरारनामा चुंगी)

(ए) जब रकम १०००) से अधिक न हो । बाण्ड न० १५ के अनुसार

(बी) अन्य सूरतमे पाच रुपये

२७ डेबेञ्चर (चाहे रेहननामेका डेबेञ्चर हो या न हो) जो एक किफालतनामा काबिल खरीद व फरोख्तके हो, और जिसका इन्तकाल—

(ए) दस्तखतों या इन्तकालके अलाहिदा दस्तावेज़ द्वारा होसके न० १५ के बाण्डके अनुसार

(बी) बजरिये हवालगी हो सके न० २२ के बाण्डके अनुसार

व्याख्या—शब्द 'डेबेञ्चर' मे सूदका प्रत्येक कूपन जो उसके साथ लगा हो शामिल है, किन्तु इन कूपनोंको रकम महसूलके तखमीना करनेमें शुमार न किया जायगा ।

अपवाद

कोई ऐसा डेबेन्चर, जो किसी कम्पनी या सनद प्राप्त संस्थाकी ओरसे बतौर एक रजिस्ट्रीशुदा रेहननामेके जारी किया जाय और बशर्ते कि उनपर उन डेबेन्चरोंकी पूरी तादादके बाबत, जो उसकी रूसे जारी किये जांय, स्टाम्प लगा हो, तो उनकी बिनापर कम्पनी या उक्त संस्था जो कर्ज़ लेना चाहती हो, अपनी जायदाद डेबेन्चर के अधिकारियों के लाभके लिये समस्त या उसका कुछ अन्श ट्रस्टियोंके हवाले करदे। किन्तु यह नियम है कि जो डेबेन्चर इस प्रकार जारी किये जांय,उनका बतौर रेहननामा मजकूरके जारी होना पाया जाता हो।

और भी देखो बाण्ड (नं० १५) और दफाये ८ और ५५

डेक्लेरेशन आफ एनी ट्रस्ट—देखो ट्रस्ट नं० ६४

२८ माल सम्बन्धी डेलेवरी आर्डर, जब मालकी कीमत २०)से अधिक हो — एक आना

डेपाजिट आफ टाइटिल डीड्स (देखो नं० ६)· हिस्सेदारीकी अलाहिदगी—(देखो नं० ४६)

२९ त्याग या तलाक, यानी वह दस्तावेज जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी शादीका सम्बन्ध तोड़ता है — एक रुपया

३० किसी हाईकोर्टके रोलमें, किसी एडवोकेट, वकील या अटार्नी का दाखिला

(ए) एडवोकेट या वकीलकी सूरतमें — ५००)रुपये

(बी) एटार्नीकी सूरतमे — २५०)रुपये

अपवाद

किसी एडवोकेट, वकील या एटार्नीका हाईकोर्टके रोलमें दाखिला, जब वह हाईकोर्टके रोलमे पहिले दाखिल किया जाचुका हो।

३१ तबादिला जायदाद (Exchange of Property) — वही महसूल—जो बयनामा (नं०२३ मे) नियत है। जिसकी रकम मवाजा जायदादकी मालियतके बराबर हो, जो हस्ब तफसील दस्तावेज मजकूर सबसे ज्यादा मालियतका हो

३२ दस्तावेज मावजा मजीद (Further change) यानी वह दस्तावेज जो रेहननामेकी जायदाद पर और अधिक मावजा कायम करे

(ए) जब असली रेहननामा उस किस्ममेसे हो, जिसका वर्णन आर्टिकिल के फ्लाज़ (ए) में आया है (यानी मय कब्जा) — वही महसूल जो बयनामा—(नं०२३)में है उस रकमपर जो उस दस्तावेज द्वारा लगाये हुए अधिक मावजे के बराबर हो

(बी) जब ऐसा रेहननामा उस किस्ममेसे हो जिसका वर्णन आर्टिकिल ४० के क्लाज (बी) मे है (यानी बिला कब्जा)

१ यदि अधिक मावजेके दस्तावेजके तामीलके समय, जायदादका कब्जा दे दिया गया है, या इस दस्तावेजके अनुसार कब्जा देनेका मुआहिदा कर लिया गया है। — वही महसूल जो बयनामा (नं०२३) में है—

—उस रकमपर जो उस कुल रक़मके बराबर हो (रेहनकी रक़म और अधिक मावजे के सहित) उस महसूलको निकालकर जो असल रेहन और अधिक मावजे पर पहिले चुका दिया गया हो

२ यदि उस प्रकार क़ब्जा न दिया गया हो — वही महसूल— — जो बाण्ड न० १५में नियत है उस रकमपर जो उस दस्तावेज द्वारा बतौर अधिक मावजे के लिया गया हो

३३ हिब नामा अर्थात् दानपत्र—जो सेटेलमेण्ट (न० ६८) या वसीयतनामा या इन्तकाल (न० ६२) के अतिरिक्त हो — महसूल बयनामा (न० २३) के अनुसार— उस रक़म मावजे पर जो दास्तावेजमें वर्णित जायदादकी क़ीमतके बराबर हो

३४ इबरायननामा अर्थात् हरजाना नुकसान दिलाया जाना (Indemnity Bond) — वही महसूल जो— —जमानतनामा (न०५७) में उस रक़म पर नियत है।

३५ पट्टा—जिसमें कोई पट्टा जिमनी या कोई पट्टा शिकमी या कोई इकरार तहरीर पट्टा या पट्टा शिकमी दाखिल है।

(ए) जब इस पट्टे द्वारा रकम लगान नियत हो जाय, किन्तु कोई नजराना अदा या हवाला न किया जाय।

(१) जब पट्टेके मजमूनसे एक सालसे कम मियादके लिये पाया जाय। — वही महसूल— —जो बाण्ड (नं० १५) मे है उस तमाम रकमपर जो इस पट्टेके अनुसार वाजिबुलअदा या हवालगीके है

(२) जब पट्टेके मजमूनमे यह पाया जाये कि वह एक बरससे अधिक किंतु तीन बरससे अधिक नहीं है — वही महसूल —जो बाण्ड (न० १५) में नियत है उस रकम पर जो सालाना औसत लगानके बराबर हो।

(३) जब पट्टेसे यह विदित होकि वह तीनसालसे अधिक मियाद केलिये है। — वही महसूल— —जो इतक़ाल (न० २३) में नियत है, उस रक़म पर जो निश्चित लगान के सालाना औसत लगानके बराबर हो।

(४) जब पट्टेसे यह विदित हो कि वह किसी निश्चित मियादके लिये नहीं है। — वही महसूल— —जो इतक़ाल (न०२३) में नियत है उस रक़म पर जो उस सालाना औसत लगान के बराबर हो जो अदाकी जायगी प्रथम दस वर्षमें यदिपट्टा उतने दिन तक जारी रहे।

(५) जब पट्टेके मजमूनसे यह विदित हो कि पट्टा सदाकेलिये है — वही महसूल— —जो इन्तकाल (न०२३) में नियत है, उस मवाजे परजो उस रक़मके पांचवें हिस्से के बराबर हो, जो उस पट्टे के अनुसार प्रथम ५० साल मे बतौरलगान अदा करनी होगी।

(बी) जब कोई पट्टा किसी जुर्माने या नजराने या रक़म पेशगीपर दिया गयाहो और कोई लगान निश्चित न किया गया हो — वही महसूल जो इतकाल— —(न०२३) में नियत है उस मवाजे पर, जो उस रकम के बराबर हो, जो पट्टेमें बतौर जुर्माना नजराना या रकम पेशगी का वर्णन किया गया हो

(सी) जब कोई पट्टा किसी जुर्माने या नजराने या रकम बतौर महसूल पेशगीपर दियागया हो और इनके अतिरिक्त लगान भी निश्चित किया गया हो। जो उस रकमके लिये—(नं०२३) में नियत हैं उस मात्रेपर जो पट्टेमें वर्णित जुर्माने, नजराने या रकम पेशगीके बराबर हो, मय उस महसूलके जो उस पट्टे पर लगाया जाता यदि उस पर कोई जुर्माना नजराना, या पेशगी रकम न आयदकी गई होती। नियम यह है कि जब किसी इकरारनामा तहरीर पट्टेपर स्टाम्प रसीद (यानी एडोवेलेरम्) जो पट्टेके लिये नियत है लगाया जाय सिवा उस इकरारके पट्टा बादको लिखा जाय तो ऐसे पट्टेका महसूल ॥) से अधिक न होगा।

अपवाद

(ए) पट्टा, जो किसी काश्तकारके हकमें लिखा गया हो और वह पट्टा काश्तकारीके निमित्त हो (जिसमें ऐसे पौधोंका पट्टा भी शामिल है जिनसे खाने या पीनेकी चीजें पैदा हों) बिना किसी जुर्माने या नजरानेकी अदाईके, और जब कि निश्चित मियाद नियत कर दी गई हो, जो एक वर्षसे अधिक न हो या जब कि निश्चित किया हुआ सालाना लगान १००) से अधिक न हो।

(बी) मछलीके शिकारके पट्टे, जो बरमा फिशरीज १८७५ या अपरबरमा लैण्ड रैवेन्यू रैगुलेशन १८८९ के अनुसार स्वीकृत किया गया हो।

३६ हिस्सोंकी नियुक्तिका पत्र — एक आना

३७ चिट्ठी सिफारिसी (Letter of credit) — एक आना

३८ दस्तावेज परवानगी (Letter of License) यानी ऋणी और महाजनके मध्यका इकरारनामा, जिसके अनुसार महाजन ऋणी को कुछ समयके लिये व्यवसाय करनेकी आज्ञा दे। — दस रुपया

३९ याददाश्त शराकत कम्पनी (Memorandum of Association of Company)

(ए) यदि उसके साथ इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट १८८२ की दफा ३७ के अनुसार आर्टिकिल आफ एशोसियेशन शामिल हो — पन्द्रह रुपये

(बी) यदि वह शामिल न हो — चालीस रुपये

अपवाद

किसी कम्पनीकी याददाश्त, जो फायदेके लिये न लिखी गई हो, और इण्डियन कम्पनीज़ ऐक्ट १८८२ के अनुसार जिसकी रजिस्ट्री न हुई हो

४० रेहननामा—जो अधिकार पत्रके जमा कर देने या गिरवीके सम्बन्धमें इकरारनामा (नं०६) बोटोमरी बाण्ड (नं०१६), रेहननामा फसल (नं० ४) रैस्पाण्डेण्टिया बाण्ड (नं० ५६) या जमानतनामा (नं० ५७) न हो

(ए) जब रेहननामेमें दी हुई जायदादका कब्जा या उसके किसी भागका कब्जा मुर्तहिन द्वारा दे दिया गया हो या देनेका मुआहिदा कर लिया गया हो। वही महसूल जो इन्तकाल -(न० २३) में नियत हैं उस मवाजिपर जो उस रकमके बराबर हो जो उस दस्तावेज द्वाराली गई हो।

(बी) जब ऊपर बताये अनुसार कब्जा न दिया गया हो या देनेका मुआहिदा न कियागया हो। (अर्थात् ब्याजू रेहनमे) वही महसूल जो बाण्ड(न० १५)—में नियत है उस दस्तावेज द्वारा प्राप्त की जाने वाली रकम पर

व्याख्या—जब कोई मुर्तहिन, राहिनको लगान वसूल करनेका अधिकार बजरिये मुख्तारनामा दे देता है या रेहननामे की जायदाद या उसके किसी हिस्से का पट्टा कर देता है, तो इस आर्टिकिलके अर्थ के अनुसार यह माना जाता है कि उसने जायदादका कब्जा दे दिया है।

(सी) जब रेहननामा, एक जिमनी या ताईदी, या मजीद या मुबदल जमानतनामा हो या उपरोक्त अभिप्रायके लिये बतौर एक अधिक जमानतनामेके हो यदि असली या प्रारम्भिक जमानतनामे पर उचित स्टाम्प लगा हो—हर एक दस्तावेज़ द्वारा प्राप्त की हुई रकमके लिये जो १०००) से अधिक न हो — आठ आना

या १०००) के ऊपर प्रत्येक १०००) या उसके किसी भाग पर — आठ आना

अपवाद

(१) उन व्यक्तियों द्वारा लिखे हुए दस्तावेजात, जो लैण्ड इम्प्रूवमेण्ट लोन्स एक्ट१८८४के अनुसार रकम पेशगी चाहते हों या उनके जमानतदारों द्वारा उस रकम पेशगीके अदा कर देनेके सम्बन्धमें लिखे गये हों।

(२) गिरवीपत्र मय हुंडी (Bill of exchange) के साथ

४१ रेहननामा फस्ल-जिसमे कोई ऐसा दस्तावेज शहादत शामिल है जो किसी ऐसे कर्जके वसूलयाबी के इकरारनामेके सम्बन्धमे हो जो किसी रेहननामे फसल पर लिया गया हो चाहे रेहननामेके समय फसलका अस्तित्व हो या न हो।

(ए) जब दस्तावेजकी तारीखसे कर्ज तीन माहसे अधिक समयमे देय न हो-प्रत्येक रकमके लिये,जो प्राप्त कीगई है औरजो२००) से अधिक न हो — एक आना
प्रत्येक २००) और उसके ऊपर उसके किसी भाग पर — एक आना

(बी) जब कर्ज दस्तावेजकी तारीखसे तीन माहके बाद देय हो किन्तु १८ माहके बाद देय न हो।

प्रत्येक रकमके लिये जो १००) से अधिक न हो — दो आने

प्रत्येक १००) और उसके ऊपर १००) या उसके किसी हिस्से के लिये । दो आने

४२ नोटेरियल ऐक्ट-कोई दस्तावेज़ या सही या नोट या तस्दीक़ या सार्टीफ़िकेट या दाख़िला सिवाय प्रोटेस्ट (नं० ५० के, जो किसी नोटेरी पबलिक द्वारा; अपने आफ़िसके कर्तव्यकी तामीलमें या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो क़ानूनन बतौर नोटेरी पबलिक कामकर रहा हो लिखा या सही किया गया हो । एक रुपया

४३ नोट या यादँदाश्त, जो कोई दलाल या कारिन्दा अपने मालिक के पास व इत्तला इस अमरके भेजे, कि,मालिक मज़कूरकी तरफ़से हस्ब ज़ैल ख़रीद व फ़रोख़्त किया गया है ।

(ए) कोई माल जिसकी क़ीमत २०) से अधिक हो — दो आना

(बी) कोई सरमाया या जमानतनामा क़ाबिल ख़रीद या फ़रोख़्त जिसकी मालियत २०)से अधिक हो । — वा पाबन्दी इन्तहायी मिक़—
—दार २०) के, सरमाये या जमानतनामेकी मालियतकी हर दस हजारकी रक़म पर या उसके किसी हिस्से पर ।

४४ जहाजके मास्टर द्वारा प्रतिवादकी तहरीर — आठ आना

४५ दस्तावेज़ बंटवारा—(दफ़ा २ (१५)) की परिभाषाके अनुसार वही—
—महसूल जो बाण्ड (नं० १५) में नियत है उस रकम पर, जो अलाहिदा लिए हुए हिस्सेकी या जायदादके हिस्सेकी क़ीमत के बराबर हो ।
नोट—सबसे बड़ा हिस्सा, जो जायदादके तक़सीम होजाने के बाद (या यदि दो या अधिक हिस्से बराबर मिलकियतके हों, दूसरे हिस्सोंमेंसे किसीसे कम न हों, तो ऐसे बराबर हिस्सोंमेंसे कोई एक) वह समझा जायगा, जिससे दूसरे हिस्से अलग कर दिये गये हैं ।

किन्तु सदा यह नियम है किः—

(ए) जब कोई तक्सीमनामा जिसमें यह इक़रार हो कि जायदाद अलाहिदा अलाहिदा हिस्सोंमें तकसीम कर दीजायगी, तक़मील पाये, और इस इक़रारके अनुसार बटवारा किया जाय, तो जो महसूल इस दस्तावेज पर लगाया जाना चाहिये था कि जिसके जरिये से सब बंटवारा किया जाय उससे वह महसूल निकाल दिया जायगा, जो दस्तावेज अव्वल में अदा किया गया हो, किन्तु वह आठ आनेसे कम न होगा ।

(बी) जब जमीन बन्दोबस्त मालगुजारी पर इतनी मुद्दतके लिये, जो तीस वर्षसे अधिक न हो, लीजाय, और कुल मालगुजारी अदा करदी जाया करे, तो महसूल लगाने के लिये, जो रकम शुमारकी जायगी वह सालाना मालगुजारीके पाँच गुनासे अधिक न होगी ।

(सी) जब बटवारेके अन्तिम हुक्म पर जो किसी हाकिम माल या किसी अदालत दीवानीने दिया हो या किसी साळिसके फैसलेपर जिसमें बटवारेका हुक्म हो, ऐसा स्टाम्प लगा हो, जो दस्तावेज बंटवारामें लगता है और एक दस्तावेज बटवारा उसी हुक्म या फैसलेके अनुसार बाद तक्मील पायाहो तो उस दस्तावेजपर महसूल आठ आनेसे अधिक न होगा।

४६ दस्तावेज शराकत

(ए) दस्तावेज शराकत

(१) जब शरकतका सरमाया ५००) से अधिक न हो	दो रुपये आठ आने	
(२) अन्य सूरतोंमें	दस रुपया	
(बी) दस्तावेज अलाहिदिगी शराकत	पाच रुपया	
४७ बीमा (Policy of Insurance)	यदि अकेले लीगई हो	यदि डुप्लीकेट में लीगई हो तो पत्येक भाग के लिये
ए—समुद्री बीमा (देखो दफ़ा ७)		
(१) किसी जहाजी सफ़रके लिये या सफ़र पर		
(ए) जब प्रेमियम बीमाकी हुई रक़मके आठवें हिस्सेसे अधिक न अदा की गई हो	एक आना	आध आना
(बी) अन्य सूरतमे एक हज़ार रुपयेपर या उसके किसी भागपर	दो आना	एक आना
(२) वक्त के लिये		
(सी) एक हजार या उसके किसी भागके लिये		
जब बीमा ६ माहसे अधिक का न हो	दो आना	एक आना
जब बीमा ६ माहसे अधिक किन्तु १२ माहसे अधिक न हो	चार आना	दो आना
बी—अग्निका बीमा		
(१) असली पालिसीके सम्बन्धमें		
(ए) जब बीमेकी रक़म ५०००) से अधिक न हो	आठ आना	
(बी) अन्य सूरतमें	एक रुपया	

(२) असली बीमेके नये होनेपर किसी प्रेमियम की अदाई की प्रत्येक रसीदा के सम्बन्धमें —असली बीमेकी सूरतमें दिये जानेवाले महसूलका आधा महसूल मय रक़मके, जिसपर न० ५३ के अनुसार महसूल लगाये जानेके योग्य हो।

(सी) दुर्घटना तथा बीमारीका बीमा

(ए) रेलवे यात्राका बीमा-जो केवल एक यात्राके लिये जायज है — एक आना

अपवाद

जब किसी रेलवेके तीसरे या ड्योढ़े दर्जेमें सफ़र करनेवाले यात्री के सम्बन्धमें जारी किया गया हो

(बी) अन्य सूरतमें-जब रकम १०००) से अधिक न हो, प्रत्येक १०००) या उसके भागके लिये — दो आना

(डी) जिन्दगीका बीमा या अन्य बीमा जब बीमेकी रकम १०००) से अधिक न हो, प्रत्येक १०००) पर या उसके किसी भागपर

(१) यदि अकेला लिया गया हो — छ आने

(२) यदि डुप्लीकेटमें लिया गया हो तो प्रत्येक भागके लिये — तीन आने

अपवाद

जीवनके बीमे, जो भारतीय पोस्ट आफिसके डाइरेक्टर जनरल उन नियमोंके अनुसार जो गवर्नमेण्ट आफ़ इण्डियाके अधिकार पर पोस्टल लाइफ़ इन्स्यूरेंसके लिये जारी किये गये हैं, मंजूर किये गये हों।

ई—किसी इन्स्यूरेंस कम्पनी द्वारा दुबारा बीमा, जिसने किसी सामुद्रिक या अग्नि सम्बन्धी बीमाको स्वीकार किया हो, किसी दूसरी कम्पनीके साथ, बतरीक़ हानि देने या गारण्टी देनेके, बाबत किसी असली बीमे या उसके किसी भाग की रक़मकी अदाई के, जिसका बीमा किया गया हो —असली बीमेके सम्बन्धमें लगाये जानेवाले महसूलका एक चौथाई, किन्तु एक आनेसे कम नहीं या एक रुपयेसे अधिक नहीं।

४८ मुख्तारनामा—(दफ़ा २ (२१) की परिभाषाके अनुसार) जो प्रोक्सी (नं० ५२) न हो।

(ए) जब किसी एक मामलेके सम्बन्धमें, एक या दो दस्तावेज़ों की रजिस्ट्री करानेके लिये या एक या अधिक ऐसे दस्तावेज़ोंकी तामील स्वीकार करनेके लिये किया गया हो। — आठ आना

(बी) जब प्रेसीडेन्सी स्माल काज कोर्ट ऐक्टकी दफा १८८२ के अनुसार किसी नालिश या कार्यवाहीमें आवश्यक हो — आठ आना

(सी) जब, एक मामलेमें, जो उस मामलेके अतिरिक्त हो, जिसका बयान क्लाज़ (ए) में किया गया है, एक आदमी या अधिकको कार्यवाही करनेका अधिकार दिया जाय — एक रुपया

(डी) जब पांचसे अधिक आदमियोंको अधिकार न दिया गया हो, एक साथ या अलाहिदा अलाहिदा कारगुज़ारी करनेके लिये एकसे अधिक मामलेमे या आमतौर पर। — पांच रुपया

(ई) जब पांचसे अधिक किन्तु दससे कम मनुष्योंको, एकसे अधिक मामलेमें या आमतौरपर, एक साथ या पृथक पृथक कारगुज़ारी करनेका अधिकार दिया गया हो। — दस रुपया

(एफ़) जब किसी मुख्तारको किसी स्थावर जायदादके बेचनेका अधिकार दिया गया हो — वही महसूल जो बयनामा (न०२३)में नियत है मालियतकी रकमपर

(जी) अन्य किसी सूरतमें — एक रुपया, प्रत्येक अधिकृत मनुष्यके लिये

व्याख्या—इस आर्टिकिलके अभिप्रायके लिये एक से अधिक मनुष्य, जिसका सम्बन्ध एक ही फ़र्मसे होगा, एक ही मनुष्य समझे जांयगे नोट—शब्द—'रजिस्ट्रेशन'में वे तमाम काम जो रजिस्ट्रीके लिये इण्डियन रजिस्ट्रेशन—ऐक्ट १८७७ के अनुसार आवश्यक हैं, शामिल हैं।

४९. प्रामिजरी नोट (दफ़ा २ (२२)) की परिभाषा के अनुसार — वही महसूल,—जो बिल आफ़ इक्सचेन्ज(न० १३)में नियत है इन्दुल तलबपर अदाई है या उससे अन्य है, उस लिहाजसे जैसी सूरत हो

नोट—यह मियादी नोट होता है या किसी शर्तपर निर्भर होता है

प्रामेसरी नोट या रुक्का इन्दुलतलब, अर्थात् मांगनेपर फौरन अदा करनेकी शर्त समझी जाय — २५०—तक –) और २५० से १०००)तक =)ऊपर ।) यह रसूम ता० १ अक्टूबर सन १९२१ से गवर्नमेण्टके आर्डरसे जारी हुआ है

५० प्रोटेस्ट बिल या नोट यानी कोई लिखित घोषणा, जो किसी नोटेरी पब्लिक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उस पर काम करता हो, किसी बिल आफ़ इक्सचेञ्ज या प्रामिजरी नोटकी गैर अदाईपर तस्दीक़ करते हुए, की जाय — एक रुपया

५१ जहाजके मास्टरका प्रतिवाद — एक रुपया

५२ राय देनेका अधिकार (Proxy) किसी डिस्ट्रिक्ट या लोकल बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड, या किसी सनदयाफ्ता कम्पनी या स्थानीय अधिकारियों या किसी संस्थाके फण्डके पदाधिकारियोंके चुनाव में राय देनेका अधिकार। — एक आना

५३—रसीद (दफ़ा २ (२३) की परिभाषाके अनुसार) किसी रक़म या जायदादके लिये, जिसकी तादाद या कीमत बीस रुपयेसे अधिक हो — एक आना

अपवाद

रसीद

(ए) किसी उचित स्टाम्पसे युक्त दस्तावेजमें दर्ज या नियमं ३ के अनुसार बरी किये हुए (दस्तावेज, जो सरकारकी ओरसे लिखे गये हों) दस्तावेज़में बताई हुई रकमकी रसीद, या किसी मूलधन या सूद या किस्त या अन्य सामयिक अदाईकी रसीद जो उनके द्वारा प्राप्त की गई हो।

(बी) बिना मवाज़ेके अदाकी हुई किसी रकमकी रसीद

(सी) किसी काश्तकार द्वारा, किसी लगानकी अदाईकी रसीद, जो उस जमीन पर दिया गया हो, जिस पर सरकारी मालगुजारी लगाई गई हो, या (फोर्ट सेण्ट जार्ज और बम्बई प्रेसीडेन्सीमें) इनाम आराजीकी रसीद

(डी) नान कमीशण्ड आफिसर या सम्राटकी फौजके सिपाही या सम्राटकी भारतीय फौज, जब उस हैसियत पर काम कर रही हो या घुड़सवार पुलिस कान्स्टेबिलों द्वारा तनख्वाह या एलाउन्स पर दी हुई रसीद

(ई) खानदानी सार्टीफिकेट रखने वालों द्वारा दी हुई रसीद, उन सूरतोंमें जब कि वह व्यक्ति, जिसकी तनख्वाह या एलाउन्ससे रसीदकी रकम पूरी हुई हो, वह कोई नान-कमीशण्ड आफिसर या उपरोक्त फौजोंमे किसी एकका सिपाही हो, या उस हैसियतसे काम करता हो।

(एफ) पेन्शन या एलाउन्सेजके लिये रसीद, उन मनुष्यों द्वारा जिन्होंने इस प्रकारकी पेन्शन या एलाउन्स, किसी नानकमीशन या फौजी सिपाहीकी हैसियतसे काम करते हुए प्राप्त किया हो किन्तु किसी अन्य हैसियतसे नही

(जी) किसी मुखिया या लम्बरदार द्वारा लगान या महसूल की वसूलयाबी पर दी हुई रसीद

(एच) उस रकम या उस रकमकी सेक्यूरिटीज़ जो किसी बैंकके पास जमाकी गई हो, की रसीद

नियम यह है कि यदि वह बैंकर से अन्य किसीके पास जमाकी गई हो तो उस पर विचार न किया जायगा।

यह भी नियम है कि यह अपवाद उस सूरतमें काम न आयेगा जब कि कोई रकम जमाकी गई हो या दी गई हो, किसी हिस्सेके एलाटमेण्टमें या हिस्सेके किसी हुक्म पर या किसी सनदयाफ्ता संस्थामें या किसी ऐसी ही अन्य संस्थामें या किसी ऐसे डेवेञ्चरके सम्बन्धमें जो खरीद फरोख्तके काबिल हो,

५४ दस्तावेज़ वापसी जायदाद मरहूना — वही महसूल

(ए) अगर मावज़ा रेहननामा (१००) से अधिक न हो — जो बयनामा न० २३ में नियत है जिसकी तादाद मावजा दस्तावेज वापसीके बराबर हो

(बी) किसी अन्य सूरतमें — दस रुपये

५५ दस्तावेज़ दस्तबरदारी—यानी वह दस्तावेज दस्तबरदारी जिसका ज़िकर दफा ११ (ए) में किया गया है न हो, जिसके द्वारा

कोई व्यक्ति अपना दावा त्याग दे जो उसको किसी अन्य व्यक्ति या किसी जायदाद खास पर प्राप्त हो

(ए) अगर तादाद या मालियत दावा १०००) से अधिक न हो वही महसूल—जो बाण्ड (न० १५) में नियत है उस रकमके लिये जो दस्तावेज दस्तबरदारीमें दर्ज रकमके बराबर हो।

(बी) किसी अन्य सूरतमें — पांच रुपये

५६ रेस्पाण्डेण्टिया बाण्ड—यानी कोई दस्तावेज जिसके द्वारा किसी ऐसे माल पर जो जहाजमें लादा गया हो या लादा जानेवाला हो कर्ज लिया जाय और उसमे यह शर्त हो कि वह कर्ज उस वक्त अदा किया जायगा, जब कि माल अभीष्ट बन्दरगाह पर पहुंचे। — वही महसूल जो बाण्ड (न० १५) मे नियत है, प्राप्तकी हुई रक़म पर।

५७ जमानतनामा या रेहननामा—जो किसी ओहदेके उचित पालन, या किसी रकम या अन्य जायदादका हिसाब देनेके, जो उस ओहदे पर प्राप्त हो, या किसी ठेकेके उचित रीति पर पूर्ण करनेके सम्बन्धमे बतौर जमानतनामेके लिखा गया हो

(ए) जब प्राप्तकी हुई रकम १०००) से अधिक न हो — वही महसूल जो—बाण्ड (न० १५) में नियत है प्राप्त किये हुए धनके बराबर धन पर।

(बी) किसी अन्य सूरतमें — पांचरुपया

अपवाद

बाण्ड या दूसरा दस्तावेज़ जब कि तकमील पाये

(ए) मुखियों द्वारा, जो कि बंगाल ऐक्ट आबपाशी १८७६ की दफा९९के अनुसार बनाये हुए नियमोंपर नामजद किये गये हों, और इस ऐक्टके अनुसार अपने कर्तव्योंका पालन करनेके लिये, लिखे गये हो।

(बी) किसी व्यक्ति द्वारा, इस बातकी गारण्टी देनेके लिये कि स्थानीय आमदनी जो खानगी चन्दों द्वारा प्राप्त होती है, किसी धर्मार्थ दवाखाने, अस्पताल, या किसी अन्य जनताके लाभके लिये, यह नियत मासिक रकमसे कम न होगी।

(सी) बम्बई आबपाशी ऐक्ट १८७९ की दफा ७० के अनुसार गवर्नर बम्बई सपरिषद द्वारा बनाये हुए नियमोंमेंसे न०३-एके अनुसार

(डी) उन व्यक्तियों द्वारा, जो तरक्की आराजी कर्ज़ ऐक्ट १८८३ या कृषक ऋण ऐक्ट १८८४ के अनुसार तक़ावी लेते है या जामिनोंकी तरफसे, जो तकावीकी अदाईके इतमीनानके लिये होते है

(ई) सरकारी आफिसर या उनके जामिनों द्वारा किसी ओहदे के कर्तव्यको उचित रीति पर पालन करने या उसके द्वारा प्राप्त किसी हिसाब या अन्य जायदादका ठीक हिसाब देनेके लिये

५८ तमलीगनामा (Settlement) — वही महसूल

ए-तमलीगनामा जिसमे काबेननामा (Dower) शामिल है — जो बाण्ड (नं० —१५) में नियत हैं उस रकमपर जो उस तमलीगनामेमें दर्ज तादाद रकम या कीमत जायदादके बराबर हो। नियम यह है कि जब किसी इकरारनामा तहरीर तमलीगनामे पर वह स्टाम्प लगा दियाँ जाये जो तमलीगनामेके लिये नियत है और उस इकरारनामेके अनुसार तमलीगनामा पीछे से लिखा जाय, तो ऐसे तमलीगनामेका महसूल८आनेसे अधिक न होगा

अपवाद

(ए) काबईननाम (Deed of Dower) जो मुसलमानोंके मध्य लिखा जाय।

(बी) हिलोदसा-यानी कोई ऐसा तमलीगनामा जायदाद गैर-मनकूलाका, जो किसी बुद्ध पंथीकी ओरसे, वरमामें किसी धार्मिक उद्देश्यसे लिखा जाय और जिसमें कोई रकम न वताई गई हो, और जिस पर १०) महसूल अदा कर दिया गया हो।

बी-तनसीख तमलीगनामा (Revocation) — वहीमहसूल— जो बाण्ड (नं० १५) में नियत है उस रकमपर जो तत्सम्बन्धी रकम या जायदादके बराबर हो ,जो उसी दस्तावेजमें दर्ज हो, किन्तु १०)से अधिक न हो

५९ शेयर वारण्ट—इण्डियन कम्पनीज़ ऐक्ट १८८२ के अनुसार जारी किया हुआ। — [डेढ गुना]—उस महसूलका जो बयनामा (नं० २३) में नियत है उस रकम पर जो वारण्टमें बतायी हुई रकमके बराबर हो।

अपवाद

शेयर वारण्ट, जब किसी कम्पनी द्वारा, इण्डियन कम्पनी ऐक्ट १८८२ की दफा ३० के अनुसार जारी किया गया हो, जिसका असर केवल उस वक्त हो जब कि स्टाम्प रेवन्यूके कलेक्टरके पास उस महसूलका तसफीहा कर दिया जाय।

(ए) डेढ़ रुपया सैकड़ा, कम्पनीके कुल सरमाया जमाशुदा पर-या

(बी) यदि किसी कम्पनीने वर्णित महसूल पूरा अदा कर दिया हो और बादको एक रकम अतिरिक्त अपने सरमाया जमाशुदा के जारी करे तो डेढ़ रुपया सैकड़ा उस अतिरिक्त रकम पर जो इस तरह जारी हुआ हो।

६० हुक्म जहाजी किसी जहाजके मालके इन्तकालके सम्बन्धमें । एक आना

६१ वापसी पट्टा (Surrender of deed)

(ए) जब वह महसूल जो पट्टे पर वाजिबुल अदा हो ५) से अधिक न हो — वही महसूल—जो ऐसे पट्टे पर वाजिबुल अदा है ।

(बी) किसी अन्य सुरतमे — पांच रुपया

अपवाद

वापसी पट्टा-जब पट्टा महसूलसे बरी हो ।

६२ इन्तकाल (मावजे या बिना मावजेके)

(ए) किसी कम्पनी या अन्य सनदयापता संस्थाके हिस्सोंका (आधा)—उस महसूलका जो बयनामा (न० २३) में नियत है हिस्सोंकी कमितके बराबर रक्म पर ।

(बी) डेबेंचरोंका, जो किफालत नामाजात काबिल खरीद फरोख्त हों चाहे डेबेञ्चर पर महसूल लगने योग्य हो या न हों, उन डेबेञ्चरोंके अतिरिक्त जिनके सम्बन्धमे दफा ८ मे हुक्म है । (आधा) उस महसूलका—जो बयनामा(न० २३) में नियत है उस रकम पर जो डेबेञ्चरके ऊपर दर्ज रक्मके बराबर हो ।

(सी) किसी हकीयतका, जो किसी बाण्ड, या रेहननामा या पालिसी आफ इन्स्यूरेंस (दस्तावेज बीमा) द्वारा प्राप्त कीगई हो,

१ यदि ऐसे बाण्ड, रेहननामे या दस्तावेज़ बीमे पर पांच रुपयेसे अधिक महसूल न हो — वह महसूल—जो इस प्रकारके दस्तावेज रेहननामे या दस्तावेज बीमा पर काबिल अदा होगा ।

२ किसी अन्य सूरतमे — पांच रुपया

(डी) किसी जायदाद पर, जो एडमिनिस्ट्रेशन जेनेरल्स ऐक्ट १,८७४ की दफा ३१ के अनुसार हो । — दस रुपया

(ई) किसी जायदाद ट्रस्टका बिना मावजे एक ट्रस्टीसे दूसरे ट्रस्टीके पास या एक ट्रस्टी सेदक इस्तफादापाने वालेके पास — पाच रुपया या इतनी कम रक्म जो इस आर्टीकिलके क्लाज (ए)से क्लाज (सी)तकके अनुसार वाजिबुल अदा हो ।

अपवाद

इन्तकाल बजरिये तहरीर इबारत जहरी

(ए) किसी बिल आफ इक्सचेञ्ज, चेक या प्रामिजरी नोटका

(बी) किसी बिल आफ लेडिङ्ग (बिल्टी माल जहाज) हुक्म हवालगी माल या मालके वारण्ट या दूसरे तिजारती दस्तावेज जो हकीयत मालके सम्बन्धमे हों ।

(सी) दस्तावेज बीमाका

(डी) गवर्नमेण्ट आफ़ इण्डियाकी सेक्यूरिटीज़

६३ इन्तक़ाल पट्टा-जो बतौर इन्तक़ाल हो न कि शिकमी पट्टे की तरह हो। वही महसूल जो बैयनामा (नं० २३) के लिये नियत है जिसका मावज़ा इन्तकालके मावजेके बराबर हो।

अपवाद

इन्तक़ाल किसी ऐसे पट्टेका जो खुद महसूलसे बरी हो।

६४ अमानत (Trust)

(ए) किसी जायदादके सम्बन्धमें दस्तावेज इस्तक़रारिया जो ऐसी तहरीर द्वारा किया गया हो, जो वसीयतनामा न हो। वही महसूल जो बाण्ड (नं० १५) में नियत है, जिसकी रकम जायदाद मुफ़स्सिलह दस्तावेज़की तादाद या मालियतके बराबर हो, किन्तु १५) से अधिक न हो।

(बी) किसी जायदादके सम्बन्धमें दस्तावेज तनसीख अमानत जो ऐसी तहरीर द्वारा किया गया हो, जो वसीयतनामा न हो। वही महसूल जो बाण्ड—(नं० १५) में नियत है जिसकी रकम जायदाद मुफ़स्सिलह दस्तावेजकी तादाद या मालियतके बराबर हो किन्तु १०) से अधिक न हो।

६५ मालका वारण्ट—यानी वह दस्तावेज जिसके द्वारा किसी व्यक्तिके, जिसका नाम उसमें लिखा हो या उसके प्रतिनिधियोंके, या उस व्यक्तिके, जो वारण्टका अधिकारी हो, अधिकारकी शहादत हो, जो किसी ऐसे मालके सम्बन्धमें हो जो किसी डाक (Dock) या मालगोदाम या माल उतरनेके घाट पर मौजूद हो। ऐसा दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओरसे जिसकी संरक्षामें वह माल हो तस्दीक़ या सनद किया हुआ होना चाहिये। चार आना

नोट—हमने भाइयोंके सुभीतेके लिये इण्डियन स्टाम्प ऐक्टका पहला शिड्यूल इसलिये दे दिया है कि उनकी स्टाम्प जानने सम्बन्धी असुविधाएं दूर हो जांय यदि अधिक जाननेकी इच्छा हो तो 'हिन्दी-लॉ-जरनल' तथा इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट भिन्न रूपसे देखिये। अब हम इस ग्रन्थको समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि पाठकोंको हमारे इस कार्यसे सहायता प्राप्त होगी।

इति।